



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092025-266295
CG-DL-E-22092025-266295

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]
No. 253]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 2025/भाद्र 28, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2025/BHADRA 28, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2025
अंतिम जांच परिणाम
मामला सं. एडी (ओआई)-30/2024

विषय: चीन जन. गण. से "कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील" के आयातों के संबंध में
अंतिम जांच ।

फा.सं. 6/32/2024-डीजीटीआर:- यह समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे एडी नियमावली, 1995 या एडी नियमावली या नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. जबकि, पोस्को महाराष्ट्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड और सीएससीआई स्टील कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "आवेदक" या "याचिकाकर्ता" या "घरेलू उद्योग" कहा जाएगा) ने अधिनियम और नियमों के अनुसार, चीन पीआर (जिसे आगे "विषय देश" कहा जाएगा) में उत्पन्न या वहां से निर्यातित "कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" या "विषय वस्तु" या "सीआरएनओ" कहा जाएगा) के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकरण" कहा जाएगा) के समक्ष आवेदन दायर किया है।
2. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी ने दिनांक 27 सितंबर, 2024 की अधिसूचना संख्या 6/32/2024-डीजीटीआर के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशित किया गया था, जिसमें पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, संबद्ध जाँच शुरू की गई थी ताकि संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. इस जाँच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जाँच शुरू करने से पहले भारत में संबद्ध देश के दूतावास को वर्तमान आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने दिनांक 27 सितंबर, 2024 की अधिसूचना संख्या 6/32/2024-डीजीटीआर जारी की, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशित किया गया था, जिसके अंतर्गत संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत की गई।
- ग. नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्रों के अनुसार, भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरुआत अधिसूचना की एक-एक प्रति भेजी। हितबद्ध

पक्षकारों से कहा गया कि वे जांच शुरूआत अधिसूचना में विहित ढंग और प्रपत्र में संगत जानकारी प्रदान करें और जांच शुरूआत अधिसूचना में विहित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने अनुरोध प्रस्तुत करें।

- घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) के अनुसार आवेदकों द्वारा ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को प्रस्तुत आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रति भी उपलब्ध कराई।
- ड. भारत में संबद्ध देश के दूतावास को उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति इस अनुरोध के साथ भेजी गई कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली के उत्तर जांच शुरूआत अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करने की सलाह दें।
- च. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि ("पीओआई") 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की है। वर्तमान जांच के लिए क्षति जांच अवधि 1 अप्रैल, 2020 - 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल, 2021 - 31 मार्च, 2022, 1 अप्रैल, 2022 - 31 मार्च, 2023 और पीओआई है।
- छ. प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज़ के अगोपनीय अंश के परिचालन के 7 दिनों के भीतर, हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।
- ज. प्राधिकारी ने शुल्कों के आर्थिक प्रभाव पर जानकारी प्राप्त करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक आर्थिक हित प्रश्नावली (जिसे आगे 'ईआईक्यू' कहा गया है) भी जारी की।
- झ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार, संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं:

- i. फ़ोशान ग्रैंड एसेरो कंपनी लिमिटेड
- ii. चाइना स्टील प्रिसिजन मेटल्स
- iii. ग्वांगडोंग मीज़ी कंप्रेसर लिमिटेड
- iv. जियांगशी ज़िस्को-विस्ट्री न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
- v. चेओंगफुली ज़ियामेन कंपनी ली
- vi. ज़ियामेन आईटीजी ग्रुप कॉर्प लिमिटेड
- vii. बाओस्टील झानजियांग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
- viii. जियांगसू शागांग ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- ix. शौगांग ज़िक्सनकियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल कंपनी लिमिटेड
- x. शांक्सी ताइगांग स्टेनलेस स्टील कंपनी लिमिटेड,

- xi. अंगांग स्टील कंपनी लिमिटेड
- xii. बाओशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
- xiii. वुहान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
- xiv. जियांगशी जिस्को-विस्ट्री न्यूमटेरियल कंपनी लिमिटेड

ज. विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातक, संबद्ध जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत हैं और उन्होंने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

- i. बाओशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
- ii. बाओस्टील झानजियांग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
- iii. बाओस्टील सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड
- iv. वुहान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
- v. झांगजियागांग यांगत्ज़ी रिवर कोल्ड रोल्ड शीट कंपनी लिमिटेड
- vi. जियांगसू शागांग ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- vii. जियांगसू शागांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड
- viii. शागांग इंटरनेशनल सिंगापुर (पीटीई) लिमिटेड
- ix. क्यूमिक स्टील लिमिटेड
- x. वेलॉन्ग रिसोर्सज लिमिटेड
- xi. टाक लून स्टील कंपनी लिमिटेड
- xii. शौगांग जिक्सिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैटेरियल्स (कियानआन) कंपनी लिमिटेड
- xiii. शौगांग होल्डिंग ट्रेड (हांगकांग) लिमिटेड
- xiv. चाइना शूगांग इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन

ट. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी हेतु प्रश्नावलियां भेजीं:

- i. एबीबी इंडिया लिमिटेड
- ii. एंड्रिटज़ हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड
- iii. सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड
- iv. ईएलजीआई इक्विप्मेंट्स लिमिटेड
- v. एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
- vi. गोदरेज बॉयस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
- vii. हिकाल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
- viii. हाइली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

- ix. होंडा सिएल पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड
- x. लुबी इंडस्ट्रीज एलएलपी
- xi. मेगाथर्म इंडकशन प्राइवेट लिमिटेड
- xii. मिडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xiii. निडेक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xiv. परमानेंट मैग्नेट्स लिमिटेड
- xv. सीमेंस लिमिटेड
- xvi. टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड
- xvii. टेकुमसेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xviii. वेदांता इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
- xix. वॉयथ हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड
- xx. एस्थेटिक स्टैम्पिंग्स लैमिनेशन्स लिमिटेड
- xxi. अल्फांसो स्टील प्राइवेट लिमिटेड
- xxii. अल्पाइन स्टैम्पिंग्स
- xxiii. अमूल्य मेटल
- xxiv. बाओस्टील इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
- xxv. चाइना स्टील कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xxvi. गुप्ता मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
- xxvii. हाईटेक टूल्स इंडिया
- xxviii. इगारशी मोटर्स इंडिया लिमिटेड
- xxix. जैन ब्रदर्स इंटरनेशनल
- xxx. जैश स्टील प्राइवेट लिमिटेड
- xxxi. जेएफई शोजी स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xxxii. कपिल कोरपैक्स प्राइवेट लिमिटेड
- xxxiii. किको स्टील एलएलपी
- xxxiv. कीर्तनलाल पार्टनर्स
- xxxv. कुमार प्रिसिजन स्टैम्पिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
- xxxvi. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xxxvii. मैगकोर लैमिनेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xxxviii. महिंद्रा स्टील सर्विस सेंटर लिमिटेड
- xxxix. मैनली सिलिकॉन स्टील प्राइवेट लिमिटेड
- xl. एमआई इलेक्ट्रिकल स्टील प्रोसेसिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xli. नवरत्न स्टील
- xlii. नीमराना स्टील सर्विस सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xliii. एनएलएमके इंडिया सर्विस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड

- xliv. नोवैक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
- xliv. पर्ल इंजीनियरिंग कंपनी
- xlvi. पेक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
- xlvi. पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड
- xlvi. पोगेन-एम्प नागरशेठ पावरट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
- xlix. पूजा मेटल प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड
- I. पॉस्को इंडिया प्रोसेसिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
- ii. पॉस्को टीएमसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- lii. पावरकोर इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- lii. प्रेसमैटिक इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- liv. पीआरजी इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
- Iv. रॉयल ओवरसीज एक्सपोर्ट्स
- Ivi. एस एस स्टील एंटरप्राइजेज
- Ivii. सार्थ स्टैम्पिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
- Iviii. सेवा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- Ix. श्री कृष्णा स्टील्स
- Ix. सिलिकॉन कॉर्टेक प्राइवेट लिमिटेड
- Ixi. एसआर इलेक्ट्रोस्टील प्राइवेट लिमिटेड
- Ixii. स्टार वायर प्रोडक्ट
- Ixiii. स्टेकोल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
- Ixiv. स्टील मॉट प्राइवेट लिमिटेड
- Ixv. टेक्नो विज़न टूल्स
- Ixvi. टेम्पल प्रिसिजन मेटल प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ठ. निम्नलिखित आयातक/प्रयोक्ता ने संबद्ध जाँच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण कराया है और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

- i. पोगेनैम्प नागरशेठ पावरट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ("पोगेनैम्प")
- ii. बाओस्टील इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

ड. संबद्ध देश के जिन उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है या जाँच में सहयोग नहीं किया है, उन्हें जाँच में असहयोगी माना गया है।

ढ. हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे और उत्पाद नियंत्रण संख्या ("पीसीएन") पद्धति पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए जाँच

शुरूआत की तारीख से 15 दिनों का समय दिया गया था। प्राधिकारी को एक हितबद्ध पक्षकार से पीयूसी और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त हुआ। तत्पश्चात, प्राधिकारी ने पीयूसी और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए 21 अक्टूबर, 2024 तक का अतिरिक्त समय प्रदान किया।

- ग. प्राधिकारी ने 4 नवंबर, 2024 को पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे संबंधी एक कार्य बैठक आयोजित की। इसके बाद, प्राधिकारी ने 26 नवंबर, 2024 के अपने पत्र के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन पद्धति के अंतिम दायरे को अधिसूचित किया। प्राधिकारी ने पीयूसी के उसी दायरे की पुष्टि की है और उन्हीं पीसीएन को अपनाया है जो 27 सितंबर, 2024 की जांच शुरूआत अधिसूचना फा. संख्या 6/32/2024-डीजीटीआर में प्रस्तावित थे। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 26 नवंबर, 2024 से 30 दिनों का समय दिया। कतिपय हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर, प्राधिकारी ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय अर्थात् 1 जनवरी, 2025 तक का समय बढ़ाया।
- त. डीजी सिस्टम से क्षति अवधि और जाँच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों का सौदावार विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। इसे प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया और जाँच शुरूआत करने के चरण के साथ-साथ वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के लिए भी इस पर विचार किया गया।
- थ. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 18 मार्च, 2025 को आयोजित मौखिक सुनवाई के माध्यम से संबद्ध जांच के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों का लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें, उसके बाद यदि कोई हो, तो प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत करें। हितबद्ध पक्षकारों को लिखित अनुरोधों का अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया गया।
- द. निर्दिष्ट प्राधिकारी के परिवर्तन के कारण, 13 जून, 2025 को एक नई मौखिक सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे अपने लिखित अनुरोध और प्रत्युत्तर अनुरोध, यदि कोई हों, प्रस्तुत करें।
- ध. क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे "एनआईपी" कहा गया है) का निर्धारण भारत में संबद्ध वस्तु के लिए उत्पादन लागत और नियोजित पूंजी पर उचित आय के आधार पर किया गया है, जो सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग

द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

- न. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आवश्यक समझी गई सीमा तक जांच और सत्यापन किया गया है और वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के लिए उस पर भरोसा किया गया है।
- प. संबद्ध देश के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की भी आवश्यक समझी गई सीमा तक जांच और सत्यापन किया गया है और वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ उस पर भरोसा किया गया है।
- फ. प्राधिकारी ने व्यापार सूचना संख्या 01/2020 दिनांक 10 अप्रैल, 2020 के माध्यम से विहित ढंग के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पारस्परिक आधार पर प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना/अनुरोध की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने ऐसी सूचना/अनुरोध को गोपनीय माना है। गोपनीयता के दावों को स्वीकार न करने की स्थिति में, हितबद्ध पक्षकारों को उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करने का निर्देश दिया गया।
- ब. जांच के अनिवार्य तथ्यों, जो अंतिम जांच परिणामों का आधार रहे, वाले एक प्रकटन विवरण हितबद्ध पक्षकारों को 01 सितंबर, 2025 को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए 8 सितंबर, 2025 तक का समय दिया गया। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण संबंधी टिप्पणियों पर इन अंतिम जांच परिणामों में संगत और गैर-दोहराव वाली पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।
- भ. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचनाओं पर उस सीमा तक विचार किया है जहां वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई हैं।
- म. इन अंतिम जांच परिणामों में '***' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और एडी नियम, 1995 के नियम 7 के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- य. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच अवधि के लिए विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.69 रुपये है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच शुरुआत के समय विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है-

“3. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरएनओ) है। इसमें सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पाद शामिल हैं, चाहे वे कॉयल में हों या नहीं, चाहे उनकी चौड़ाई और मोटाई कुछ भी हो।

4. सीआरएनओ की विशेषता यह है कि इसमें शीट के तल में सभी दिशाओं (गैर-उन्मुख) में लगभग समान चुंबकीय और विद्युत गुण होते हैं। इसके विपरीत, ग्रेन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (जीओईएस) में शीट के तल में लंबाई की दिशा में बेहतर चुंबकीय और विद्युत गुण होते हैं, लेकिन अन्य दिशाओं में कम अनुकूल गुण होते हैं।

5. सीआरएनओ को नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (एनओईएस), नॉन-ग्रेन ओरिएंटेड स्टील (एनजीओ), नॉन-ओरिएंटेड स्टील (एनओ), कोल्ड-रोल्ड नॉन-ग्रेन ओरिएंटेड स्टील (सीआरएनजीओ) आदि भी कहा जाता है। इन शब्दों का प्रयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जाता है।

6. पीयूसी में सभी प्रकार के सीआरएनओ शामिल हैं, चाहे वे कोटेड हों या नहीं (जैसे, एनामेल, वार्निश, प्राकृतिक ऑक्साइड सतह, फॉस्फेट सतह या अन्य सामग्रियों से रासायनिक रूप से उपचारित)।

अपवर्जन

7. सीआरएनओ के निर्माण में प्रयुक्त कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरएफएच) को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है।

उपयोग

8. सीआरएनओ का व्यापक रूप से बड़े आकार के बिजली जनरेटर से लेकर छोटे आकार के सटीक इलेक्ट्रिक मोटरों तक, घूर्णन मशीनों की लौह कोर सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है, जिनका उपयोग घरेलू उपकरणों, एचईवी/ईवी ट्रैक्शन मोटर, बड़े जनरेटर, औद्योगिक मोटर आदि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है।

टैरिफ वर्गीकरण

9. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के टैरिफ शीर्षों 72251920, 72251990, 72261920 और 72261990 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, पीयूसी के आयात कतिपय अन्य एचएस कोडों अर्थात् 72255010, 72107000, 72261910, 72269110 और 72261100 में भी यह देखा गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच में पीयूसी के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

10. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है:

पीयूसी के लिए पीसीएन				
क्र.सं.	गुण	अंकों की संख्या	विवरण	कोड
1	मोटाई	2	0.35 मिमी तक	टी1
			0.35 मिमी से अधिक और 0.5 मिमी तक	टी 2
			0.5 मिमी से अधिक	टी3
2	कोर लॉस (50 हर्ट्ज़ आवृत्ति और 1.5 टेस्ला के अधिकतम फ्लक्स घनत्व पर)	2	3.50 वाट/किग्रा तक और उसके सहित	सी1
			3.50 वाट/किग्रा से अधिक और 5.00 वाट/किग्रा तक	सी2
			5.00 वाट/किग्रा से अधिक	सी3"

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- स्टील ग्रेड 30एसडब्ल्यू1500 का उपयोग नवीन ऊर्जा वाहनों, ड्रोन और अन्य उच्च स्तरीय उपकरणों के उत्पादन में किया जाता है और भारत में घरेलू उत्पादक इस उत्पाद का उत्पादन नहीं करते हैं। अतः, स्टील ग्रेड 30एसडब्ल्यू1500 को उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

- ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने "कोर लॉस" को एक मापदंड के रूप में देखते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति का विरोध किया है और इसके लिए निम्नलिखित पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव रखा है:

कोर लॉस	पीसीएन कोड
4.00 वाट/किग्रा तक और उसके सहित	सी1
4.00 वाट/किग्रा से अधिक और 6.00 वाट/किग्रा तक	सी2
6.00 वाट/किग्रा से अधिक	सी3

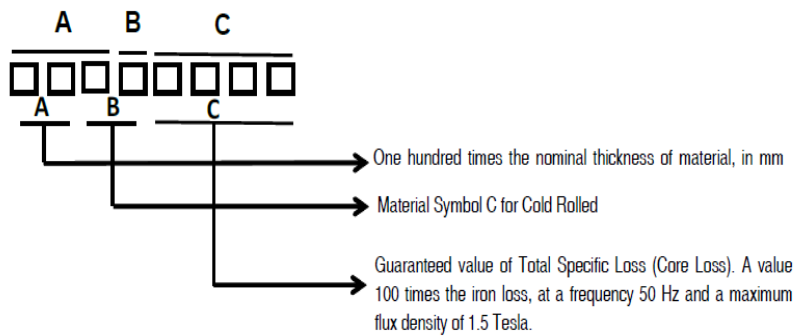
- iii. संबद्ध वस्तु के आयातक/प्रयोक्ता पोगेनैम्प नागरशेठ पॉवरट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने दावा किया है कि भारत में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित ग्रेड उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं:

अपवर्जन के लिए अनुरोध किए गए ग्रेड		
i. 35CS1850HF	x. 25CS2000P	xix. 20CS1200FY
ii. 35CS1750HF	xi. 25CS1500HF	xx. 20CS1200HF
iii. 30CS2000P	xii. 25CS1350HF	xxi. 20CS1150FY
iv. 30CS1800HF	xiii. 25CS1250HF	xxii. 15CS1200HF
v. 30CS1600FY	xiv. 25CS1250FY	xxiii. 15CS1000FY
vi. 30CS1450HF	xv. 25CS1200FY	
vii. 27CS2000P	xvi. 25CS1180FY	
viii. 27CS1450HF	xvii. 20CS1500HF	
ix. 27CS1450FY	xviii. 20CS1300FY	

ग.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. पोगेनैम्प नागरशेठ पावरट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 1 नवंबर, 2024 अर्थात् जाँच शुरूआत के एक महीने से अधिक समय बाद, पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत की हैं। आयातक द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियाँ अस्वीकार कर दी जानी चाहिए क्योंकि वे 21 अक्टूबर, 2024 की नियत तारीख के बाद प्रस्तुत की गई हैं।
- ii. आईएस 648:2022, पीयूसी के लिए अनिवार्य बीआईएस मानक है। यह सीआरएनओ के विभिन्न ग्रेडों के लिए निम्नलिखित नाम प्रदान करता है:



NOTE A = One hundred times the nominal thickness of the product, in mm. B = Material Symbol C for Cold Rolled. C = One hundred times the maximum value of specific total loss in W/kg at 1.5 Tesla, 50 Hz.

Examples

A sheet or strip of 0.50 mm thickness, tested at 1.5 Tesla, 50 Hz and specific total loss 2.70 W/kg shall be designated as 50C270.

- ए. सामग्री की मिमी में नाममात्र की मोटाई के 100 गुना
- बी. कोल्ड रोलड के लिए मैटेरियल सिंबल
- सी. कुल विशिष्ट लॉस (कोर लॉस का गारंटी युक्त मूल्य) । आयरन लॉस के 100 गुना मूल्य, 50 हार्ट्ज की आवृत्ति और 1.5 फ्लक्स अधिकतम टेस्ला की डेंसिटी पर ।

नोट: ए = सामग्री की मिमी में नाममात्र की मोटाई के 100 गुना।

बी = कोल्ड रोलड के लिए मैटेरियल सिंबल

सी = 1.5 टेस्ला के भार/किग्रा, 50 हार्ट्ज में कुल लॉस के अधिकतम मूल्य का 100 गुना।

उदाहरण- 0.50 मिमी मोटाई की एक शीट या स्ट्रिप को 1.5 टेस्ला, 50 हार्ट्ज पर परीक्षित किया जाता है और विशिष्ट कुल लॉस 2.70 डब्ल्यू/किग्रा को 50सी270 के रूप में नामित किया जाएगा।

- iii. उदाहरण के लिए, स्टील ग्रेड 30सीएस2000पी में पहले 2 अंक "30" मोटाई (.30 मिमी) दर्शाते हैं, अगले दो अंक "सीएस" ब्रांडिंग दर्शाते हैं और अंतिम 4 अंक "2000" 1.0 टेस्ला के अधिकतम फ्लक्स घनत्व पर 400 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 20 का कोर लॉस दर्शाते हैं। आईएस 648:2022, बीआईएस मानक का दायरा इस प्रकार प्रावधान करता है:

“यह मानक 3.5 प्रतिशत तक सिलिकॉन सामग्री वाले गैर-उन्मुख विद्युत स्टील, कोल्ड रोल्ड, इंसुलेटेड और अनइंसुलेटेड, पूर्णतः प्रसंस्कृत विद्युत स्टील और स्ट्रिप की आवश्यकताओं को शामिल करता है, जो मुख्य रूप से विद्युत आवृत्तियों पर संचालित स्थिर और घूर्णन मशीनों के लिए अभिप्रेत हैं।

यह मानक 0.35 मिमी, 0.5 मिमी, 0.65 मिमी और 1.00 मिमी की नाममात्र मोटाई में कोल्ड रोल्ड गैर-उन्मुख विद्युत स्टील शीट और स्ट्रिप के ग्रेड को परिभाषित करता है। यदि आवश्यक हो और क्रेता और निर्माता के बीच सहमति हो, तो निर्माता द्वारा क्रेता को स्टील शीट/स्ट्रिप्स के विशिष्ट, भौतिक और यांत्रिक गुणों की आपूर्ति की जाएगी।”

- iv. आईएस 648:2022, 0.35 मिमी, 0.5 मिमी, 0.65 मिमी और 1.00 मिमी की नाममात्र मोटाई में कोल्ड रोल्ड गैर-उन्मुख विद्युत स्टील शीट और स्ट्रिप के ग्रेड को शामिल करता है। .35 मिमी से कम मोटाई वाले स्टील ग्रेड नए युग के उत्पाद हैं (मुख्यतः इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग के लिए) और अनिवार्य बीआईएस मानक के अंतर्गत नहीं आते हैं जैसा कि आईएस 648:2022 के उपर्युक्त दायरे से देखा जा सकता है। आयातक/प्रयोक्ता द्वारा सूचीबद्ध लगभग सभी ग्रेड .35 मिमी से कम मोटाई वाले स्टील ग्रेड हैं और अनिवार्य बीआईएस मानक के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- v. 35 मिमी से कम मोटाई वाले स्टील ग्रेड 30सीएस2000पी और अन्य समान ग्रेड नए युग के उत्पाद हैं (मुख्यतः इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपयोग किए जाने वाले) और 2022 में शुरू किए गए आईएस 648:2022 के अंतर्गत नहीं आते थे क्योंकि हाल के समय तक इन ग्रेडों की मांग न के बराबर थी। यदि आईएस 648:2022 के अंतर्गत न आने वाले ग्रेड बेचे जाने हैं, तो इस्पात मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) आवश्यक है। इस्पात मंत्रालय ने ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया है (बीआईएस वेबसाइट - एफएक्यू-<https://www.bis.gov.in/product-certification/product-certification-faq/>)।

- vi. यदि भारत में वाणिज्यिक मात्रा में मांग है तो घरेलू उद्योग 0.35 मिमी से कम मोटाई वाले स्टील ग्रेड का उत्पादन और आपूर्ति कर सकता है। घरेलू उद्योग ने भारत में किसी भी प्रयोक्ता को .35 मिमी से कम मोटाई वाले स्टील ग्रेड की आपूर्ति से इंकार नहीं किया है। यदि ऑर्डर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग .35 से कम मोटाई वाले स्टील ग्रेड का उत्पादन और आपूर्ति कर सकता है।
- vii. घरेलू उद्योग ने वास्तव में इलेक्ट्रिक वाहन मोटर्स के लिए समान विनिर्देशनों के स्टील ग्रेड का उत्पादन किया है। ईवी डिज़ाइन के आधार पर प्रयोक्ता को .25 या .27 या .30 मोटाई और 15.00 वाट/किग्रा या 14.5 वाट/किग्रा या 12.5 वाट/किग्रा आदि की कोर लॉस की आवश्यकता हो सकती है।
- viii. सीएससीआई ने पहले ही भारत में ग्रेड 27सी1450 का सफल परीक्षण उत्पादन शुरू कर दिया है और पोस्को ने पहले ही भारत में ग्रेड 25पीएनएक्स1250एफ और 27पीएनएक्स1350एफ का सफल परीक्षण उत्पादन शुरू कर दिया है। इन ग्रेडों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए उत्पादन की परीक्षण रिपोर्ट प्राधिकारी के पास प्रस्तुत कर दी गई है।
- ix. पोगेनैम्प ने एक सामान्य दावा किया है कि भारत में घरेलू उत्पादकों द्वारा कुछ ग्रेड का उत्पादन नहीं किया जाता है। पोगेनैम्प को यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए कि उन्होंने घरेलू उत्पादकों को किसी विशेष ग्रेड के लिए ऑर्डर दिया था और घरेलू उत्पादकों ने उन्हें उस विशेष ग्रेड की आपूर्ति करने से मना कर दिया था। ऐसी जानकारी के अभाव में, पोगेनैम्प द्वारा प्रस्तुत अनुरोध का कोई महत्व नहीं है।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

- 7. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे से संबंधित तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध संगत सूचना के आधार पर उनकी जाँच की है।
- 8. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति न किए जाने के कारण, संबद्ध वस्तु के पतले ग्रेड (0.35 मिमी से कम मोटाई वाले) को विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे से बाहर रखने के पोगेनैम्प के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पोगेनैम्प ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह पता चले कि उन्होंने ऐसे ग्रेड की संबद्ध वस्तु की आपूर्ति के लिए घरेलू उद्योग को कोई ऑर्डर दिया है और घरेलू उद्योग द्वारा उसे अस्वीकार/मना कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पोगेनैम्प ने जाँच अवधि के दौरान

चीन जन. गण. से वाणिज्यिक मात्रा में ऐसे ग्रेड की संबद्ध वस्तु के आयात का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्राधिकारी ने आगे नोट किया है कि आईएस 648:2022 एक अनिवार्य बीआईएस मानक है और इसमें 0.35 मिमी, 0.5 मिमी, 0.65 मिमी और 1.00 मिमी की नाममात्र मोटाई वाली कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील शीट और स्ट्रिप के ग्रेड शामिल हैं। 0.35 मिमी से कम मोटाई वाले स्टील ग्रेड नए युग के उत्पाद हैं और अनिवार्य बीआईएस मानक के अंतर्गत नहीं आते हैं।

9. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पोस्को महाराष्ट्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड और सीएससीआई स्टील कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दोनों ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और हाइब्रिड वाहनों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले 0.35 मिमी से कम मोटाई वाले संबद्ध वस्तु के उत्पादन को प्रमाणित करने वाली परीक्षण उत्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि जब भी उन्हें इसके लिए ऑर्डर दिया जाता है, तो वे 0.35 मिमी से कम मोटाई वाले संबद्ध वस्तु की आपूर्ति करने में पूरी तरह सक्षम हैं।
10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीसीएन पद्धति का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्पाद श्रेणियों में लागत और कीमत अंतर को सटीक रूप से दर्शाया जाए। तथापि, न तो आयातक और न ही निर्यातक ने यह प्रदर्शित किया है कि निष्पक्ष तुलना प्राप्त करने या विभिन्न श्रेणियों में लागत और कीमत भिन्नताओं को अधिक सटीक रूप से दर्शाने के लिए पीसीएन में संशोधन आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त, पीसीएन पद्धति में उनके प्रस्तावित संशोधनों को उचित ठहराने के लिए कोई सहायक जानकारी प्रदान नहीं की गई है।
11. यह नोट किया जाता है कि निर्यातक और/या आयातक द्वारा सुझाए गए संशोधन घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित पीसीएन संरचना में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करते हैं। इसलिए, प्राधिकारी निर्यातक और आयातक द्वारा सुझाए गए संशोधनों को स्वीकार नहीं करने का निष्कर्ष निकालते हैं।
12. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पीयूसी और पीसीएन पद्धति का दायरा वही है जैसा कि जांच शुरूआत अधिसूचना में नोट किया गया है और जैसा कि 26 नवंबर, 2024 के नोटिस द्वारा निर्धारित किया गया है और इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

3. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरएनओ) है। इसमें सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पाद शामिल हैं, चाहे वे कॉइल में हों या नहीं, चाहे उनकी चौड़ाई और मोटाई कुछ भी हो।

4. सीआरएनओ की विशेषता यह है कि इसमें शीट के तल में सभी दिशाओं (गैर-उन्मुख) में लगभग समान चुंबकीय और विद्युत गुण होते हैं। इसके विपरीत, ग्रेन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (जीओईएस) में शीट के तल में लंबाई की दिशा में बेहतर चुंबकीय और विद्युत गुण होते हैं, लेकिन अन्य दिशाओं में कम अनुकूल गुण होते हैं।

5. सीआरएनओ को नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (एनओईएस), नॉन-ग्रेन ओरिएंटेड स्टील (एनजीओ), नॉन-ओरिएंटेड स्टील (एनओ), कोल्ड-रोल्ड नॉन-ग्रेन ओरिएंटेड स्टील (सीआरएनजीओ) आदि भी कहा जाता है। इन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है।

6. पीयूसी में सभी प्रकार के सीआरएनओ शामिल हैं, चाहे वे लेपित हों या नहीं (जैसे, एनामेल के साथ, वार्निश, प्राकृतिक ऑक्साइड सतह, फॉस्फेट सतह, या अन्य सामग्रियों से रासायनिक उपचारित)।

अपवर्जन

7. सीआरएनओ के निर्माण में प्रयुक्त कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरएफएच) को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है।

उपयोग

8. सीआरएनओ का व्यापक रूप से बड़े आकार के बिजली जनरेटर से लेकर छोटे आकार के सटीक इलेक्ट्रिक मोटरों तक, घूर्णन मशीनों की लौह कोर सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है, जिनका उपयोग घरेलू उपकरणों, एचईवी/ईवी ट्रैक्शन मोटर, बड़े जनरेटर, औद्योगिक मोटर आदि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है।

टैरिफ वर्गीकरण

9. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के टैरिफ शीर्षकों 72251920, 72251990, 72261920 और 72261990 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, कुछ अन्य एचएस कोड जैसे 72255010, 72107000, 72261910, 72269110 और 72261100। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

10. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है:

पीयूसी के लिए पीसीएन				
क्र.सं.	गुण	अंकों की संख्या	विवरण	कोड
1	मोटाई	2	0.35 मिमी तक	टी1
			0.35 मिमी से अधिक और 0.5 मिमी तक	टी 2
			0.5 मिमी से अधिक	टी3
2	कोर लॉस (50 हर्ट्ज़ आवृत्ति और 1.5 टेस्ला के अधिकतम फ्लक्स घनत्व पर)	2	3.50 वाट/किग्रा तक और उसके सहित	सी1
			3.50 वाट/किग्रा से अधिक और 5.00 वाट/किग्रा तक	सी2
			5.00 वाट/किग्रा से अधिक	सी3"

13. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-
- “समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तु के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;
14. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद, भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित वस्तु, नियमावली के अनुसार समान वस्तु हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर, संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

15. घरेलू उद्योग और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- i. भारतीय उत्पादन में आवेदकों की हिस्सेदारी 55-65% के बीच है। तदनुसार, आवेदकों की हिस्सेदारी कुल भारतीय उत्पादन में 50% से अधिक है, जिसका अर्थ है कि आवेदकों के पास कुल उत्पादन में 'अधिकांश हिस्सा' है और वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) के अनुसार 'प्रमुख अनुपात हिस्सेदारी' की अपेक्षा को स्पष्ट रूप से पूरा करते हैं।
 - ii. किसी भी आवेदक ने चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। कोई भी आवेदक चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।
 - iii. आवेदक प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे यह निष्कर्ष निकालें कि वर्तमान जाँच में आवेदकों के पास घरेलू उद्योग के रूप में अपेक्षित स्थिति है।

घ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

16. घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

17. एडी नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

“(ख) ‘घरेलू उद्योग’ का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले ‘घरेलू उद्योग’ शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

18. वर्तमान मामले में आवेदन पॉस्को महाराष्ट्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड और सीएससीआई स्टील कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उत्पादन में आवेदकों की हिस्सेदारी 55-65% के बीच है। तदनुसार, कुल भारतीय उत्पादन में आवेदकों की हिस्सेदारी 50% से अधिक है, जिसका अर्थ है कि कुल भारतीय उत्पादन में आवेदकों का 'प्रमुख हिस्सा' बनता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि

किसी भी आवेदक ने चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, कोई भी आवेदक चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक/निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

19. अतः, रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में पात्र घरेलू उद्योग हैं और यह कि आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

20. गोपनीयता के दावों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. उत्पादकों/निर्यातकों ने मालिक/प्रमुख शेयरधारकों की सूची और उनकी संबद्धता, भारत को घरेलू और निर्यात बिक्री के लिए विपणन/वितरण चैनल विवरण, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए दावा किए गए समायोजनों का विवरण, विनिर्माण प्रक्रिया और पीयूसी के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री के नाम के बारे में जानकारी का प्रकटन नहीं किया है।
- ii. जियांग्सू शगांग और यांगत्ज़े ने अपने प्रश्नावली उत्तर के खंड ई के प्रश्न 1 के उत्तर में दावा किया है कि उन्होंने अपनी संबद्ध कंपनियों के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। तथापि, जियांग्सू शगांग और यांगत्ज़े ने अपने प्रश्नावली उत्तर के परिशिष्ट 1 में भारत को किसी भी निर्यात की सूचना नहीं दी है।
- iii. शूगांग ज़िक्सन, शूगांग हांगकांग और शूगांग इंटरनेशनल ने अपने-अपने प्रश्नावली उत्तरों में बीजिंग शूगांग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. ('बीजिंग शूगांग') का ब्रोशर प्रदान किया है। घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे यह सत्यापित करें कि क्या बीजिंग शूगांग भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यात/बिक्री में शामिल है।

ड.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

21. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के गोपनीयता दावों के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

22. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का अगोपनीय अंश विभिन्न पक्षकारों के बीच ई-मेल पत्राचार के माध्यम से निरीक्षण हेतु सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया है।
23. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-
- (1) नियम 6 के उपनियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।
- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।
- (3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।
24. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों की, जहाँ तक संगत समझा गया, प्राधिकारी द्वारा जाँच की गई है और तदनुसार उनका समाधान किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में विधिवत रूप से जाँच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहाँ तक संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय बताया है।

च. विविध

च.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

25. विविध मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. प्राधिकारी ने संबद्ध जाँच की शुरुआत करते समय डीजी सिस्टम से आयात आंकड़ों पर पहले ही विचार कर लिया है। जांच शुरुआत अधिसूचना का संगत भाग नीचे दिया गया है:

“19. संबद्ध वस्तु के निर्यात कीमत की गणना डीजी सिस्टम के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर की गई है। कीमतों को कारखानाद्वारा स्तर पर ज्ञात करने के लिए उचित कीमत समायोजन का दावा किया गया है ताकि वे सामान्य मूल्य से तुलनीय हो जाएँ।”

- ii. प्राधिकारी ने 12 दिसंबर, 2024 की अपनी जांच शुरुआत अधिसूचना के तहत भारत में "नॉन अलॉय और अलॉय स्टील फ्लैट उत्पाद" के आयात के संबंध में एक रक्षोपाय जाँच शुरू की थी। इसके बाद, प्राधिकारी ने 18 मार्च, 2025 को रक्षोपाय लागू करने की सिफारिश करते हुए अपने प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए थे। प्राधिकारी ने रक्षोपाय जाँच में सीआरएनओ को विशेष रूप से पीयूसी के दायरे से बाहर रखा था।
- iii. घरेलू उद्योग सीआरएनओ के उत्पादन के लिए सीआरएफएच और/या एचआरएनओ का आयात करता है। आवेदकों ने संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में प्रयुक्त अपने कच्ची सामग्री, अर्थात् कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड (सीआरएफएच) और हॉट रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (एचआरएनओ) को रक्षोपाय जाँच से बाहर रखने के लिए अनुरोध प्रस्तुत किए थे। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में सीआरएफएच और एचआरएनओ को बाहर रखने के दावों की जाँच की है। तथापि, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री, सीआरएफएच और एचआरएनओ को रक्षोपाय जाँच से बाहर नहीं रखा है।
- iv. यदि वर्तमान जाँच के अनुसार सीआरएफएच और एचआरएनओ पर रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है और सीआरएनओ पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो इससे एक विपरीत शुल्क संरचना बन जाएगी, अर्थात् कच्ची सामग्री का आयात रक्षोपाय शुल्क के अधीन होगा, लेकिन अंतिम वस्तु व्यापार उपचार उपाय के अधीन नहीं होगी। इससे प्रतिस्पर्धी स्थितियाँ विदेशी निर्यातकों के पक्ष में हो

जाएँगी। सीआरएनओ के लिए भारतीय उद्योग अप्रतिस्पर्धी हो जाएगा क्योंकि प्राथमिक कच्ची सामग्री, सीआरएफएच और/या एचआरएनओ की खरीद की लागत में वृद्धि के कारण उनकी उत्पादन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाएगी। घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप सीआरएनओ का बिक्री कीमत नहीं बढ़ा पाएगा क्योंकि चीन जन. गण. से भारत में सीआरएनओ का पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम बनी रहेगी। इससे सीआरएनओ की घरेलू बिक्री पर घरेलू उद्योग को होने वाला घाटा और बढ़ जाएगा।

- v. पोगेनैम्प ने 18 मार्च, 2025 को संबद्ध जाँच में आयोजित मौखिक सुनवाई में भाग लिया। पोगेनैम्प ने उक्त मौखिक सुनवाई के दौरान अनुरोध किए थे। तथापि, पोगेनैम्प ने मौखिक सुनवाई के बाद कोई लिखित अनुरोध दायर/परिचालित नहीं किया है। एडी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मौखिक सूचना पर तभी विचार किया जाएगा जब उसे बाद में लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
- vi. पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि घरेलू उद्योग पात्र घरेलू उद्योग होने के लिए एकीकृत उत्पादक हो। प्राधिकारी ने अनेक जाँचों में उन घरेलू उत्पादकों को पात्र घरेलू उद्योग माना है जो बैकवर्ड एकीकृत नहीं हैं। निम्नलिखित पाटनरोधी जाँचों में, प्राधिकारी ने उन घरेलू उत्पादकों को पात्र घरेलू उत्पादक माना है जो बैकवर्ड एकीकृत नहीं थे:
 - कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर से इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड स्टील के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच ।
 - चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ से कलर कोटेड स्टील के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच ।
 - चीन जन. गण. से एल्युमिनियम फॉयल के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच ।
- vii. शूगांग इंटरनेशनल ने दावा किया है कि भारत में उसका कोई कार्यालय नहीं है। तथापि, इंटरनेट पर शोध के आधार पर यह स्पष्ट है कि शूगांग इंटरनेशनल की वास्तव में भारत में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। शौगांग इंटरनेशनल का न केवल भारत में एक कार्यालय है, बल्कि एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'चाइना शौगांग (इंडिया) कंपनी लिमिटेड' ('शौगांग इंडिया') भी है, जो शौगांग इंटरनेशनल के लिए व्यावसायिक विकास, बिक्री और सेवाएँ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार, शौगांग इंटरनेशनल का भारत में कोई कार्यालय नहीं होने का दावा असत्य और गलत है।

- viii. निम्नलिखित 2 कंपनियों के प्रश्नावली के उत्तर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियत तारीख के बाद विलंब से प्रस्तुत किए गए थे और इसलिए उनके प्रश्नावली के उत्तर स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए:
- टाक लून स्टील कंपनी लिमिटेड
 - बाओस्टील इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
- ix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने रक्षोपाय संबंधी प्रारंभिक जांच परिणामों से एचआर प्लेट्स और सीआर कॉइल्स और शीट्स के आयात कीमत रुझान को पुनः प्रस्तुत करते समय आधार वर्ष को 2021-22 के बजाय 2020-21 के रूप में गलत तरीके से दर्ज किया है। यदि तुलना के लिए 2021-22 को आधार वर्ष माना जाए, तो एक ओर एचआर प्लेट्स और सीआर कॉइल्स एवं शीट्स के रुझान और दूसरी ओर घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, यह स्पष्ट होगा कि 2021-22 को आधार वर्ष मानकर घरेलू उद्योग के लिए बिक्री लागत या कच्ची सामग्री की कीमत में गिरावट आ रही है, जो कि रक्षोपाय जांच में एचआर प्लेट्स और सीआर कॉइल्स एवं शीट्स के मामले में भी समान है।
- x. रक्षोपाय जांच के प्रारंभिक जांच परिणामों के अनुसार, एचआर कॉइल्स एवं शीट्स, एचआर पाटे मिल प्लेट्स और सीआर कॉइल्स एवं शीट्स की बिक्री लागत वास्तव में 2021-22 से 2023-24 में बढ़ गई है। दूसरी ओर, वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत वास्तव में 2021-22 से 2023-24 में घट गई है। अतः, यह दावा कि रक्षोपाय जाँच में प्रारंभिक जांच परिणामों के आधार पर संबंधित पक्षकारों से खरीदी गई कच्ची सामग्री की कीमत बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई है, पूरी तरह से निराधार है।
- xi. वर्तमान जाँच में जाँच अवधि 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 है, जबकि रक्षोपाय जाँच में जाँच अवधि 1 अक्टूबर, 2023 से 30 सितंबर, 2024 है। इस सीमा तक भी, कीमत के रुझान में पूर्ण सहसंबंध नहीं हो सकता है।
- xii. प्राधिकारी ने "नॉन अलॉय और अलॉय स्टील फ्लैट उत्पाद" के आयात से संबंधित रक्षोपाय जाँच में दिनांक 18 मार्च, 2025 के प्रारंभिक जांच परिणामों में सिफारिश की है कि भारत में आयातित कोल्ड रोल्ड कॉइल्स और शीट्स पर रक्षोपाय शुल्क तब लगाया जाना चाहिए जब वे 824 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन (सीआईएफ) के आयात कीमत से कम पर भारत में आयात किए जाएँ। इसका अर्थ है कि प्राधिकारी का मानना है कि कोल्ड रोल्ड कॉइल्स और शीट्स [कच्ची सामग्री कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड ("सीआरएफएच") सहित] का भारत में आयात कीमत 824 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन से कम होना अनुचित और घरेलू उद्योग के लिए हानिकारक है। इस प्रकार, जब तक आवेदकों की खरीद कीमत 824 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन के

दायरे में है, तब तक खरीद कीमत की संबंध के कारण प्रभाव पड़ने या खरीद कीमत के बढ़ा-चढ़ाकर बताए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में, प्राधिकारी के प्रारंभिक जांच परिणाम विदेशी निर्यातकों को 824 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन से कम कीमत पर भारत को निर्यात न करने का निर्देश है।

च.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

26. विविध मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आँकड़े प्रामाणिक और विश्वसनीय नहीं हैं। प्राधिकारी को वर्तमान जाँच में आयातों की जाँच के लिए डीजी सिस्टम्स के आँकड़े जाँच शुरू करते समय ही माँगने चाहिए थे।
- ii. घरेलू उद्योग द्वारा संबंधित पक्षकारों से आयातित प्राथमिक कच्ची सामग्री की कीमतों की जाँच करना महत्वपूर्ण है क्योंकि क्षति जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हुई है।
- iii. "नॉन अलॉय और अलॉय स्टील फ्लैट उत्पाद" के आयात से संबंधित हाल के रक्षोपाय जाँच में जाँची गई एचआर प्लेटों और सीआर कॉइल्स/शीट्स की आयात कीमतों में 2020-21 से जाँच अवधि तक कीमतों में स्थिरता या मामूली कमी दिखाई देती है, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि का रुझान दिखाई देता है।
- iv. यह समझना आवश्यक है कि क्या कच्ची सामग्री की आयात कीमतें कंपनियों के बीच संबंधों से प्रभावित थीं या प्रचलित बाजार स्थितियों द्वारा निर्धारित की गई थीं।
- v. चीन में सीआरएनजीओ के निर्माण की स्थापित क्षमता वैश्विक स्थापित क्षमता का लगभग 70% या 1,31,00,000 मीट्रिक टन है, जबकि भारत की स्थापित क्षमता वैश्विक स्थापित क्षमता का लगभग 5% है। पोगोनैम्प ने चीन जन. गण. के लिए निम्नलिखित विनिर्माता-वार क्षमता प्रदान की है:

विनिर्माताओं की सूची	वार्षिक क्षमता (मीट्रिक टन में)
बाओ स्टील, चीन	13,00,000
विस्को, चीन	14,00,000
झांजियांग, चीन	6,00,000
शौगांग, चीन	14,00,000
शागांग, चीन	20,00,000

विस्ड्री, चीन	7,00,000
एनस्टील, चीन	8,50,000
टिस्को, चीन	14,00,000
एमए स्टील, चीन	5,50,000
अन्य 12 मिलें, चीन	30,00,000

- vi. जेएसडब्ल्यू और सेल भारत में ब्लास्ट फर्नेस पद्धति का प्रयोग करके सीआरएनजीओ इलेक्ट्रिकल स्टील का उत्पादन करते हैं, जबकि पोस्को इंडिया और चाइना स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केवल प्रोसेसर हैं और कच्ची सामग्री, अर्थात् कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील और हॉट रोल्ड सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील के आयात पर निर्भर हैं। भारत को एकीकृत इस्पात संयंत्रों के माध्यम से इलेक्ट्रिकल स्टील का उत्पादन करने के लिए घरेलू इस्पात विनिर्माताओं की अत्यधिक आवश्यकता है। पीयूसी की कमी का एकमात्र कारण घरेलू इस्पात विनिर्माताओं के पास सीआरएनजीओ इलेक्ट्रिकल स्टील के निर्माण की क्षमता का अभाव है।
- vii. पीयूसी की घरेलू मांग 750,000 मीट्रिक टन है, जिसमें से 630,000 मीट्रिक टन का निर्माण स्थानीय स्तर पर किया जाता है और 120,000 मीट्रिक टन की कमी आयात द्वारा पूरी की जाती है। लगभग 10%-12% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को देखते हुए, यह कमी हर वर्ष 200,000 मीट्रिक टन तक बढ़ने की संभावना है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजी सिस्टम्स से क्षति अवधि और जाँच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों का सौदावार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। यह विवरण प्राधिकारी को प्राप्त हुआ और जाँच शुरूआत के समय तथा अंतिम जांच के लिए भी इस पर विचार किया गया।
28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की कीमतों का सत्यापन किया है और अपने विश्लेषण में विधिवत रूप से सत्यापित कच्ची सामग्री की कीमतों को अपनाया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के घटक कच्ची सामग्री का आयात कर रहे हैं।
29. हितबद्ध पक्षकारों ने रक्षोपाय जाँच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एचआर प्लेटों और सीआर कॉइल्स/शीट्स की कीमतों की प्रवृत्ति पर भरोसा करते हुए यह सुझाव दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आयातित कच्ची सामग्री की कीमत बढ़ाई गई हो सकती है। हितबद्ध पक्षकारों ने रक्षोपाय जाँच में एचआर प्लेटों और सीआर कॉइल्स/शीट्स की कीमतों की

प्रवृत्ति की तुलना वर्तमान जाँच में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से गलती से की है। रक्षोपाय जांच में क्षति जांच अवधि का आधार वर्ष 2021-22 है जबकि वर्तमान पाटनरोधी जांच में आधार वर्ष 2020-21 है। हितबद्ध पक्षकारों ने रक्षोपाय जांच में वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 के लिए एचआर प्लेट्स और सीआर कॉइल्स/शीट्स की कीमतों के सूचीबद्ध आंकड़े कहीं और से लिए हैं और वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत की प्रवृत्ति के साथ तुलना करते हुए इसे गलती से वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 के सूचीबद्ध आंकड़ों के रूप में दर्शाया है।

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि पाटनरोधी उपायों से संरक्षण की मांग करने वाले घरेलू उद्योग को ऐसी संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री का उत्पादन भी करना चाहिए या घरेलू उद्योग पूरी तरह से बैकवर्ड एकीकृत होना चाहिए और संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री की खरीद पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

छ. बाजार अर्थव्यवस्था उपचार (एमईटी), सामान्य मूल्य का निर्धारण, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

31. अधिनियम की धारा 9(1)(ग) के अधीन किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
 - (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत।

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है अथवा निर्यात के देश में, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में, कोई तुलनीय कीमत नहीं है उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

32. सामान्य मूल्य के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित किए गए अनुरोध दी गई हैं:

- i. चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में सामान्य मूल्य नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 8 (2) और (3) के साथ पठित पैरा-7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 8 के अनुसार, यह माना जाता है कि चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। इसलिए, चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार लगाया जाना चाहिए।
- ii. एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(घ) के अनुसार, 15(क)(ii) का प्रावधान दिसंबर 2016 में समाप्त हो गया है, अर्थात् चीन जनवादी गणराज्य के विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश के 15 वर्ष बाद। हालाँकि, अनुच्छेद 15(क)(i), जो चीन जनवादी गणराज्य के लिए गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था की धारणा प्रदान करता है, अभी भी लागू है। इसलिए, यह मान्य धारणा मौजूद है कि चीन जनवादी गणराज्य पाटनरोधी जाँच के लिए एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था वाला देश है।
- iii. प्राधिकारी यह नोट करें कि उत्तर देने वाले किसी भी निर्यातक ने लागू प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करके बाज़ार अर्थव्यवस्था के उपचार का दावा नहीं किया है और इस संदर्भ

में, पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण अत्यंत आवश्यक है।

छ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

33. सामान्य मूल्य के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित किए गए अनुरोध की गई हैं:
- i. चीन का एसेसन प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने यूरोपीय संघ के खिलाफ चीन जन.गण. द्वारा शुरू किए गए "फास्टनर मामले" पर अपीलीय निकाय की रिपोर्ट में प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) और 15(ख) के बीच संबंध पर भरोसा किया है, जिसने चीन को बाजार में स्वचालित रूप से जन.गण. का दर्जा प्राप्त करने का मजबूत औचित्य प्रदान किया है। प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 समाप्त हो रहा है।
 - ii. 11 दिसंबर 2016 के बाद, पाटनरोधी विनियमों में चीनी निर्यातक उत्पादकों के लिए उनके घरेलू कीमतों और लागतों के अलावा किसी अन्य आधार पर सामान्य मूल्य की स्थापना की अनुमति देने वाला कोई प्रावधान नहीं हो सकता है।
 - iii. विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के तहत भारत के पास गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति का उपयोग करके चीन जनवादी गणराज्य से आने वाले उत्पादों की एंटी-डंपिंग जाँच में सामान्य मूल्य की गणना करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। भारत द्वारा की गई ऐसी कोई भी कार्रवाई जी ए टी टी के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी समझौते की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होगी।
 - iv. प्राधिकारी सामान्य मूल्य की गणना में सरोगेट देश पद्धति का उपयोग नहीं कर सकता है, भले ही चीन जन.गण. को *पैक्टा सेंट सर्वदा* के सिद्धांत, विश्व व्यापार संगठन में चीन के प्रवेश प्रोटोकॉल की धारा 15 और चीन जन.गण. द्वारा शुरू की गई ईसी-फास्टनर्स पर अपीलीय निकाय की रिपोर्ट के कारण बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता हो या नहीं।
 - v. चीन के विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश प्रोटोकॉल के अनुसार चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, इसकी पुष्टि "ईसी-फास्टनर्स" में विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय द्वारा भी की गई थी। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने चीन जन.गण. के साथ अपने-अपने द्विपक्षीय समझौते में भी चीन के विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश के 15 वर्ष बाद गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा समाप्त होने के बारे में उल्लेख किया था।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

34. प्राधिकारी ने संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी थी, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से जानकारी प्रदान करने का परामर्श दिया गया था। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करके जाँच में भाग लिया है:

- i. बाओशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
- ii. बाओस्टील झानजियांग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
- iii. बाओस्टील सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड
- iv. वुहान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
- v. झांगजियागांग यांगत्ज़ी रिवर कोल्ड रोल्ड शीट कंपनी लिमिटेड
- vi. जियांगसू शागांग ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- vii. जियांगसू शागांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड
- viii. शागांग इंटरनेशनल सिंगापुर (PTE) लिमिटेड
- ix. क्यूमिक स्टील लिमिटेड
- x. वेल्डिंग रिसोर्सज लिमिटेड
- xi. टाक लून स्टील कंपनी लिमिटेड
- xii. शौगांग ज़िक्सन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल्स (क्रियानआन) कंपनी लिमिटेड
- xiii. शौगांग होल्डिंग ट्रेड (हांगकांग) लिमिटेड
- xiv. चाइना शौगांग इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन

छ.3.1 चीन गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

क) चीनी उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति

35. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग

करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
 - (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज सहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।
- (ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप

पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

36. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गया है, तथापि पाटनरोधी प्रोटोकॉल के पैराग्राफ 8 में अपेक्षित अभिगमन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित पाटनरोधी पर डब्ल्यूटीओ समझौते के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने पर पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना अपेक्षित होता है।
37. तदनुसार, चीन जनवादी गणराज्य के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

ख) चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

38. चूँकि चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार हेतु अनुपूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है। नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

7. "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।"

8.(1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ कि देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धांतों का लागू नहीं करने वाले के रूप में मानते हैं। जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य नहीं दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वानुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू.टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची सामग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाए गए विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है। खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसंपत्तियों के हास अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी फर्म दिवालिया तथा संपत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्म के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं, तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धांतों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।

(4) तथापि, उप पैरा (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में मान सकते हैं जिसे संगत मानदंडों, जिनमें उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंड शामिल हैं, के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर किसी देश द्वारा, जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, पाटनरोधी जांचों के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन के प्रकाशन द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माना गया है अथवा माने जाने के लिए निर्धारित किया गया है।

39. पैरा 7 सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु पदानुक्रम निर्धारित करता है और यह प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर, या ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को कीमत के आधार पर, या जहाँ यह संभव न हो, किसी भी उचित आधार पर, जिसमें विधिवत समायोजित वस्तु के लिए वास्तव में भुगतान की गई कीमत या यदि आवश्यक हो तो भारत में समायोजित होने की संभावना वाली कीमत शामिल है, उचित लाभ मार्जिन सहित किया जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-1 के अंतर्गत दिए गए विभिन्न अनुक्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना आवश्यक है।
40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से किसी अन्य देश को उत्पाद के घरेलू मूल्य, निर्मित मूल्य या निर्यात मूल्य के संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिलेख में प्रस्तुत जानकारी और साक्ष्य के आधार पर उपयुक्त देश का चयन करना आवश्यक है। चूँकि न तो आवेदकों और न ही हितबद्ध पक्षकारों ने कोई सत्यापन योग्य जानकारी प्रदान की है, इसलिए इस आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सका।
41. नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 7 में उल्लिखित अन्य विधियों के संबंध में अभिलेखों में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध न होने के कारण, प्राधिकारी ने "किसी अन्य उचित आधार" पर विधि पर विचार करके सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
42. अतः, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभों को जोड़कर, विधिवत समायोजित, चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य की गणना की है। चीनी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

घ.4. निर्यात कीमत

छ.4.1 घरेलू उद्योग के माध्यम से किए गए अनुरोध

43. निर्यात मूल्य निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित किए गए अनुरोध दी गई हैं:

- i. बाओस्टील समूह ने दावा किया है कि भारत में उनका कोई कार्यालय नहीं है। हालाँकि, बाओस्टील सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड (और अन्य संबंधित कंपनियों) के प्रश्नावली उत्तर में दिए गए उत्पाद ब्रोशर से यह स्पष्ट है कि बाओस्टील समूह की भारत में 'बाओस्टील इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड' ('बाओस्टील इंडिया') के नाम से उपस्थिति है।
- ii. शौगांग इंटरनेशनल ने दावा किया है कि भारत में उसका कोई कार्यालय नहीं है। हालाँकि, इंटरनेट पर शोध के आधार पर यह स्पष्ट है कि शौगांग इंटरनेशनल की वास्तव में भारत में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। शौगांग इंटरनेशनल का न केवल भारत में एक कार्यालय है, बल्कि एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'चाइना शौगांग (इंडिया) कंपनी लिमिटेड' ('शौगांग इंडिया') भी है, जो शौगांग इंटरनेशनल के लिए व्यावसायिक विकास, बिक्री और सेवाएँ प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार है। इस प्रकार, भारत में कोई कार्यालय न होने का शौगांग इंटरनेशनल का दावा झूठा और गलत है।
- iii. निम्नलिखित 2 कंपनियों के प्रश्नावली के उत्तर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि के बाद विलम्ब से दाखिल किए गए थे, इसलिए उनके प्रश्नावली के उत्तर को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए:
 - टाक लून स्टील कंपनी लिमिटेड
 - बाओस्टील इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
- iv. जियांग्सू शगांग और यांगत्ज़े ने अपने प्रश्नावली के उत्तर के खंड ड. के प्रश्न 1 के उत्तर में दावा किया है कि उन्होंने अपनी संबद्ध कंपनियों के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। हालाँकि, यांगत्ज़े ने प्रश्नावली के उत्तर का परिशिष्ट 3ख दाखिल नहीं किया है, जिसमें व्यापारियों के माध्यम से भारत को निर्यात के संबंध में जानकारी होनी चाहिए।
- v. बाओस्टील सिंगापुर ने प्राधिकारी के समक्ष परिशिष्ट 3ख दाखिल किया है, अर्थात्, जब किसी कंपनी द्वारा निर्यात संबंधित/असंबंधित व्यापारियों/निर्यातकों के माध्यम से किया जाता है। हालाँकि, किसी भी व्यापारी/निर्यातक ने, जिसने बाओस्टील सिंगापुर से संबद्ध वस्तुएँ खरीदी हों और उन्हें भारत में निर्यात किया हो, प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करके वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है। इस प्रकार, बाओस्टील समूह के लिए मूल्य श्रृंखला अपूर्ण बनी हुई है।

- vi. शगांग इंटरनेशनल ने अपने प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 1 में भारत को किसी भी निर्यात की सूचना नहीं दी है क्योंकि भारत को पीयूसी निर्यात की बिक्री मात्रा और बिक्री मूल्य की पंक्तियों को खाली छोड़ दिया गया है।

छ.4.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

44. निर्यात कीमत निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए:
- i. यदि प्राधिकारी संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की अनुशंसा करने का निर्णय लेते हैं, तो प्राधिकारी को सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटनरोधी शुल्क की अलग-अलग दर निर्धारित करनी चाहिए।

छ.4.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

45. चीन जनवादी गणराज्य के निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने भाग लिया है और प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन किया है और उत्पादकों/निर्यातकों तथा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों की जाँच की है। इन उत्पादकों/निर्यातकों के उत्तरों की जाँच निम्नानुसार की गई है:

i. बाओस्टील समूह

क. वुहान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड

46. जांच अवधि के दौरान: वुहान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, चीन जन. ने एक संबंधित निर्यातक/व्यापारी, बाओस्टील सिंगापुर प्रा. लि., सिंगापुर के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष रूप से *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुएँ बेची हैं, जिनका बीजक मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है। इसमें से बाओस्टील सिंगापुर प्रा. लि., सिंगापुर ने भारत में असंबंधित क्रेताओं को सीधे *** मीट्रिक टन और *** मीट्रिक टन वस्तुएँ बेची हैं। बाओस्टील सिंगापुर प्रा. लि., सिंगापुर ने दो असंबंधित क्यूमिक स्टील रिसोर्सज लिमिटेड और वेलॉन्ग रिसोर्सज लिमिटेड के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष रूप से बेची हैं और शेष मीट्रिक टन वस्तुएँ अन्य चार असंबंधित निर्यातकों/व्यापारियों के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष रूप से बेची गई हैं।
47. इन चार असंबंधित निर्यातकों/व्यापारियों को छोड़कर सभी उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास अपने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दाखिल कर दिए हैं। उत्पादकों/निर्यातकों ने कारखानागत -स्तर पर पीसीएन-वार निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्ययों, बैंक शुल्कों और ऋण

लागत के मदों में समायोजन का दावा किया है, और इसे डेस्क सत्यापन के बाद स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ख. बाओस्टील झांजियांग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड

48. जांच अवधि के दौरान: बाओस्टील झांजियांग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, चीन जन. ने एक संबंधित निर्यातक/व्यापारी, बाओस्टील सिंगापुर प्रा. लि., सिंगापुर के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष रूप से *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की हैं, जिनका बीजक मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है। इसमें से बाओस्टील सिंगापुर प्रा. लि., सिंगापुर ने सीधे तौर पर भारत को *** मीट्रिक टन की बिक्री है और बाओस्टील सिंगापुर प्रा. लि., सिंगापुर द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक अन्य असंबंधित निर्यातक/व्यापारी, टोंगयुआन इंटरनेशनल (एचके) कंपनी लिमिटेड के माध्यम से भारत को *** मीट्रिक टन बेची गई है।
49. टोंगयुआन इंटरनेशनल (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड को छोड़कर सभी उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास अपने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर कर दिए हैं। उत्पादकों/निर्यातकों ने कारखाना-पूर्व स्तर पर पीसीएन-वार निर्यात मूल्य निर्धारित करने के लिए अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्ययों, बैंक शुल्कों और ऋण लागत के मदों में समायोजन का दावा किया है और डेस्क सत्यापन के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ग. बाओशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड

50. जांच अवधि के दौरान: बाओशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, चीन जन. ने एक संबंधित निर्यातक/व्यापारी, बाओस्टील सिंगापुर प्रा. लिमिटेड, सिंगापुर के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को *** मीट्रिक टन मूल्य के *** अमेरिकी डॉलर मूल्य के संबद्ध सामानों की बिक्री की है। इसमें से बाओस्टील सिंगापुर प्रा. लिमिटेड, सिंगापुर ने सीधे *** मीट्रिक टन संबंधित आयातक बाओस्टील इंडिया कंपनी प्रा. लिमिटेड को और *** मीट्रिक टन भारत में असंबंधित खरीदारों को बेचे हैं। शेष मात्रा *** मीट्रिक टन बाओस्टील सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर द्वारा अन्य असंबंधित निर्यातकों/व्यापारियों, अर्थात् टोंगयुआन इंटरनेशनल (एचके) कंपनी लिमिटेड और जेएफई के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को बेची गई है। बाओस्टील इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने संबंधित वस्तुओं को भारत में असंबंधित ग्राहकों को लाभ पर पुनः बेचा है।
51. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि बाओ स्टील समूह ने संबंधित भारतीय कंपनी, बाओस्टील इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का विवरण प्रकट नहीं किया है,

प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाओस्टील इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने जाँच के दौरान प्रासंगिक जानकारी प्रदान की है। टोंगयुआन इंटरनेशनल (एचके) कंपनी लिमिटेड और जेएफई को छोड़कर सभी उत्पादकों/निर्यातकों और संबंधित आयातकों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास अपनी प्रश्नावली के उत्तर दाखिल कर दिए हैं। उत्पादकों/निर्यातकों ने कारखाना-पूर्व स्तर पर पीसीएन-वार निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्ययों, बैंक शुल्कों और ऋण लागत के मदों में समायोजन का दावा किया है और डेस्क सत्यापन के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ii. **शौगांग ज़िक्सन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल्स (क्रियान'आन) कंपनी लिमिटेड**

52. शौगांग ज़िक्सन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल्स (क्रियान'आन) कंपनी लिमिटेड ("ज़िक्सन") ने अपने प्रश्नावली के उत्तर में बताया कि ज़िक्सन ने संबंधित निर्यातक/व्यापारी, शौगांग होल्डिंग ट्रेड (हांगकांग) लिमिटेड के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। एक अन्य संबंधित कंपनी, शौगांग इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ("शौगांग इंटरनेशनल") कमीशन एजेंट के रूप में कार्य कर रही है और उसे भारत को निर्यात के लिए ज़िक्सन द्वारा कमीशन शुल्क का भुगतान किया गया था। यह भी बताया गया कि शौगांग होल्डिंग ट्रेड (हांगकांग) लिमिटेड ने दो असंबंधित निर्यातकों/व्यापारियों, टाक लून स्टील कंपनी लिमिटेड और जेएफई शोजी (हांगकांग) लिमिटेड के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को संबद्ध वस्तुओं की पुनः बिक्री की है।
53. हालाँकि, सत्यापन के दौरान, प्राधिकारी ने पाया कि वाणिज्यिक बीजक, सीमा शुल्क घोषणा और अन्य निर्यात संबंधी दस्तावेज़ शौगांग इंटरनेशनल द्वारा जारी किए जाते हैं। शौगांग एच.के. ज़िक्सन द्वारा शौगांग एच.के. को सीधे कोई चालान जारी नहीं किया गया। चूँकि शौगांग इंटरनेशनल द्वारा परिशिष्ट-2 और 3ख में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है, शौगांग इंटरनेशनल द्वारा प्रस्तुत उत्तर पूरी तरह से अपूर्ण है और ज़िक्सन तथा शौगांग इंटरनेशनल द्वारा तथ्यों को छिपाया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी ज़िक्सन और संबंधित निर्यातकों के उत्तर को स्वीकार नहीं करते हैं। ज़िक्सन का निर्यात मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

iii. **झांगजियागांग यांग्ज़ी रिवर कोल्ड रोल्ड शीट कंपनी लिमिटेड**

54. झांगजियागांग यांग्ज़ी रिवर कोल्ड रोल्ड शीट कंपनी लिमिटेड ("झांगजियागांग यांग्ज़ी") द्वारा प्रस्तुत उत्तर से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने घरेलू बाजार में दो संबंधित खरीदारों, अर्थात् जियांगसू शागांग ग्रुप कंपनी लिमिटेड ("जियांगसू शागांग") और झांगजियागांग फ्री ट्रेड ज़ोन बिनलान ट्रेडिंग को संबद्ध वस्तु की बिक्री की है।

55. जियांग्सू शागांग ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने घरेलू बाजार में संबंधित वस्तुओं को जियांग्सू शागांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड नामक एक संबंधित निर्यातक/व्यापारी और अन्य पांच असंबंधित ग्राहकों को पुनर्विक्रय किया है। जियांग्सू शागांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड ने संबंधित निर्यातक/व्यापारी, शागांग इंटरनेशनल (सिंगापुर) प्रा. लि. के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को संबद्ध वस्तुएं बेची हैं। इसके अतिरिक्त, शागांग इंटरनेशनल (सिंगापुर) प्रा. लि. ने सात असंबंधित निर्यातकों/व्यापारियों के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।
56. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया कि झांगजियागांग यांग्त्ज़े और जियांग्सू शागांग ने परिशिष्ट-3ख में भारत को निर्यात के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। इसके अतिरिक्त, जियांग्सू शागांग ने भारत को निर्यात के संबंध में निर्यात-योग्यता समीक्षा (ईक्यूआर) में परिशिष्ट-5 में भी जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए, यह आवश्यक है कि उत्पादक द्वारा जानकारी प्रस्तुत की जाए। परिशिष्ट-3ख प्रारूप में। इसके अलावा, व्यापारी को परिशिष्ट-5 में लाभप्रदता संबंधी जानकारी के साथ भारत को निर्यात का विवरण भी प्रदान करना होगा।
57. प्राधिकारी ने झांगजियागांग यांग्त्ज़े और जियांग्सू शागांग से यह भी स्पष्टीकरण माँगा कि परिशिष्ट-3बी/5 में दी गई जानकारी क्यों नहीं दी गई। हालाँकि, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर झांगजियागांग यांग्त्ज़े और जियांग्सू शागांग से कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। झांगजियागांग यांग्त्ज़े और जियांग्सू शागांग ने बाद में दो महीने से अधिक की देरी के बाद कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत की। प्राधिकारी ने पाया कि झांगजियागांग यांग्त्ज़े और जियांग्सू शागांग द्वारा विलंबित रूप से प्रदान की गई अतिरिक्त जानकारी भी प्रस्तुत किए गए सहायक दस्तावेजों से मेल नहीं खा रही है। रिपोर्ट की गई मात्रा/मूल्य और पीसीएन के बीच बेमेल है।
58. तदनुसार, प्राधिकारी झांगजियागांग यांग्त्ज़े और संबंधित निर्यातकों के उत्तर को स्वीकार नहीं करते हैं। झांगजियागांग यांग्त्ज़े की निवल निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य

59. चीन जनवादी गणराज्य के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, निर्यात कीमत, सहयोगी निर्यातकों के लिए जाँचे गए आँकड़ों को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है:

पाटन मार्जिन

60. संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक/निर्यातकका नाम	सीएनवी (यूएसडी/एमटी)	निवल निर्यात कीमत (यूएसडी/एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएसडी/एमटी)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन % रेंज
वुहान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	55-65
बाओस्टील झांजियांग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	60-70
बाओशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
भारित औसत बाओस्टील समूह	***	***	***	***	50-60
अन्य सभी	***	***	***	***	75-85

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जाँच

ज.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

61. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- घरेलू उद्योग ने बाजार आसूचना के अनुसार अपने पास उपलब्ध आयात आंकड़ों के साथ याचिका दायर की है। प्राधिकारी ने संबंध जाँच शुरू करते समय डीजी सिस्टम से लेन-देन-वार आयात आंकड़ों पर पहले ही विचार कर लिया है।
- घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि:
 - संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात में, निरपेक्ष रूप से और भारत में उत्पादन एवं खपत के सापेक्ष, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
 - पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में उल्लेखनीय कमी ला रहे हैं और कीमतों में भारी गिरावट और मंदी पैदा कर रहे हैं।
 - चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात के कारण घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड काफी बिगड़ गए हैं।

- iii. नियोजित पूंजी पर 22% आय प्रदान करना प्राधिकारी की सतत प्रथा है। इस मुद्दे का निपटारा सीईएसटीएटी के विभिन्न निर्णयों द्वारा किया जा चुका है। मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, अंतिम आदेश संख्या एडी/ए/53541/2015-सीयू[डीबी] दिनांक 27 नवंबर 2015 के मामले में सीईएसटीएटी ने मानक व्यवहार के रूप में नियोजित पूंजी पर 22% आय की दर को अनुमति दी थी। सीईटीएसएटी ने एक्जिमकॉर्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, अंतिम आदेश संख्या एडी/ए/53462/2016-सीयू[डीबी] दिनांक 12 सितंबर 2016 के मामले में इसी सिद्धांत की पुनः पुष्टि की थी।

ज.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

62. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात आँकड़े गलत हैं, इसलिए, मात्रा प्रभाव और मूल्य प्रभाव की जाँच से सही तस्वीर नहीं मिल सकती है।
 - ii. क्षति जाँच अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य से आयातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
 - iii. प्राधिकारी को उद्योग द्वारा अर्जित उस आरओसीई को उचित लाभ मार्जिन के रूप में अपनाना चाहिए जब पाटन का कोई आरोप नहीं था, न कि 22% आरओसीई को। नियोजित पूंजी पर 22% आय प्रदान करना पुरानी प्रथा है और इसे बदला जाना चाहिए।
 - iv. ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में, जहाँ प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए 22% नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की तर्कसंगतता के मुद्दे की जाँच की गई है, यह दर्शाता है कि 22% आरओसीई को अपनाने से क्षति निर्धारण प्रभावित हुआ। इसने कम कीमत पर बिक्री और क्षति मार्जिन को बढ़ा दिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्राधिकारी को उचित आय की गणना के आधार के रूप में उस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ को अपनाना चाहिए जब पाटन का कोई आरोप नहीं था।
 - v. टी-210/95 यूरोपीय उर्वरक निर्माता संघ (ईएफएमए) बनाम परिषद [1999] ईसीआर II-3291 के मामले में, यूरोपीय संघ न्यायालय ने माना कि लक्ष्य मूल्य की गणना करते समय परिषद द्वारा उपयोग किया जाने वाला लाभ मार्जिन, जो संबंधित क्षति को दूर करेगा, उस लाभ मार्जिन तक सीमित होना चाहिए, जिसे डंप किए गए आयातों की अनुपस्थिति में, सामुदायिक उद्योग प्रतिस्पर्धा की सामान्य स्थितियों के तहत गिना जा सकता है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

63. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में समान वस्तुओं के ,पाटित आयातों की मात्रा ..." लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ऐसे "... कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है , "जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।
64. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमों के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।
65. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति के संबंध में किए गए विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान दिया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में किए गए अनुरोधों, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माना गया है, की जांच की गई है और उनका समाधान निम्नानुसार किया गया है।
66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड गिरावट दर्शाते हों। कुछ मानदंड गिरावट दर्शा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य गिरावट नहीं दर्शाते हैं। प्राधिकारी सभी क्षति मानदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद यह निर्धारित करते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है या होने की संभावना है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए क्षति मानदंडों की निष्पक्ष जांच की है।

ज.3.1 पाटित किए गए आयातों का मात्रा प्रभाव

क) मांग का आकलन

67. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में किया है। इस प्रकार आंकलन किए गए मांग नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण		इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री		एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		सूचीबद्ध	100	119	113	121
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री		एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		सूचीबद्ध	100	128	114	124
चीन जन.गण से आयात		एमटी	9,503	40,246	42,132	99,211
प्रवृत्ति		सूचीबद्ध	100	424	443	1,044
अन्य देशों से आयात		एमटी	29,348	25,235	18,967	20,080
प्रवृत्ति		सूचीबद्ध	100	86	65	68
कुल मांग		एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		सूचीबद्ध	100	126	117	138

68. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि:

- क्षति जांच अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है।
- संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात में वर्ष 2020-21 की तुलना में जांच अवधि में 10 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।
- संबद्ध देश से आयात में मुख्य रूप से मांग में वृद्धि शामिल है।

ख) संबद्ध देश की आयात मात्रा और हिस्सेदारी

69. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में, चाहे निरपेक्ष रूप से, या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के लेन-देन-वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और उसका हिस्सा इस प्रकार है:

क्रम. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1.	चीन जन.गण से आयात	एमटी	9,503	40,246	42,132	99,211
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	424	443	1,044
2.	कुल आयात	एमटी	38,851	65,481	61,099	1,19,291
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	169	157	307
3.	घरेलू उद्योग का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	114	124
4.	माँग	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	117	138
5.	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
क.	कुल आयात	%	24%	61%	69%	83%
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	251	282	340
ख.	घरेलू उद्योग का उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	331	390	841
ग.	माँग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	335	380	756

70. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि:

- संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात में वर्ष 2020-21 से जांच अवधि तक समग्र रूप से वृद्धि हुई है। आयात में वर्ष दर वर्ष निरंतर वृद्धि हुई है और वर्ष 2020-21 की तुलना में जांच अवधि में 10 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।
- कुल आयात में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात का हिस्सा वर्ष 2020-21 में 24% से बढ़कर जांच अवधि में 83% हो गया है।
- माँग के संबंध में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात का हिस्सा भी वर्ष 2020-21 में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में 756 सूचकांक अंक हो गया है।
- वर्ष 2020-21 की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं की माँग में *** एमटी (38%) की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में केवल *** एमटी (21%) की वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि माँग में अधिकांश वृद्धि चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण हुई है।

- घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात का हिस्सा वर्ष 2020-21 में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में 841 सूचकांक अंक हो गया है।

ज.3.2 पाटित किए गए आयातों का मूल्य प्रभाव

71. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों के कारण कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों के न्यूनीकरण में अथवा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य स्थिति में घटित होती है, आवश्यक है।
72. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की, कीमत कटौती और कीमत हास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और शुद्ध बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के पहुंच कीमत से की गई है।

क) कीमत कटौती

73. जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती नीचे दी गई है:

विवरण	यूओएम	कीमत कटौती
पहुंच कीमत	रुपये/एमटी	73,768
निवल बिक्री प्राप्ति	रुपये/एमटी	***
कीमत कटौती	रुपये/एमटी	***
कीमत कटौती	%	***
श्रेणी	श्रेणी	5-15%

74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है तथा घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रही है।

ख) कीमत हास/न्यूनीकरण

75. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का हास अथवा न्यूनीकरण रहे हैं या कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव घरेलू कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक कम करना है या घरेलू कीमतों में वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा महत्वपूर्ण सीमा तक घटित हो सकती थी, प्राधिकारी क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों को नोट करते हैं।

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
बिक्री की लागत	रुपये/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	163	165	141
निवल बिक्री प्राप्ति	रुपये/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	162	156	130
पहुँच कीमत	रुपये/एमटी	54,872	1,10,973	93,757	73,768
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	202	171	134

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि और वर्ष 2022-23 के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों का पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अत्यधिक कम थी। इससे घरेलू उद्योग पर कीमत हास का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों के कारण कीमत हास के कारण, जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वर्ष 2020-21 की तुलना में 41 सूचकांक अंकों की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य में केवल 30 सूचकांक अंकों की वृद्धि हुई है।

ज.3.3 घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंड

77. नियमों के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जाँच शामिल होगी। नियमों में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक मापदंडों और सूचकांकों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन का भी प्रावधान है, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नवत विचार विमर्श किया गया है।

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

78. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री का ब्यौरा निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
संस्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन (पीयूसी)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	114	124
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	114	124
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	113	121

79. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

- घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में 2020-21 की तुलना में इसी अवधि के दौरान मांग में वृद्धि के कारण जांच अवधि में वृद्धि हुई है। हालाँकि, उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि की तुलना में कम है।
- मांग में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कम रहा है।

ख) बाजार में हिस्सेदारी

80. क्षति अवधि के दौरान बाजार हिस्सेदारी के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
चीन जन.गण से आयात	एमटी	9,503	40,246	42,132	99,211
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	424	443	1,044
अन्य देशों से आयात	एमटी	29,348	25,235	18,967	20,080
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	86	65	68

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
चीन जन.गण से आयात	एमटी	9,503	40,246	42,132	99,211
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	424	443	1,044
अन्य देशों से आयात	एमटी	29,348	25,235	18,967	20,080
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	86	65	68
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	113	121
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	117	138
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	96	88
चीन जन.गण से आयात का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	335	380	757

81. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि:

- आयात में वर्ष दर वर्ष लगातार वृद्धि हुई है और वर्ष 2020-21 की तुलना में जांच अवधि में 10 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।
- मांग के संबंध में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात का हिस्सा भी 2020-21 में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में 757 सूचकांक अंक हो गया है।
- घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 2020-21 में 100 सूचकांक अंक से घटकर जांच अवधि में 88 सूचकांक अंक रह गई है।
- वर्ष 2020-21 की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में *** एमटी (38%) की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में केवल *** एमटी (21%) की वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि मांग में अधिकांश वृद्धि चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण हुई है।

ग) लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय

82. क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
कर पूर्व लाभ	रुपये/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	148	(35)	(105)
कर पूर्व लाभ	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	175	(40)	(127)
ब्याज और कर पूर्व लाभ	रुपये/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	169	34	(11)
ब्याज और कर पूर्व लाभ	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	201	38	(14)
नकद लाभ	रुपये/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	46	13
नकद लाभ	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	52	16
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	182	35	(13)

83. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि:

- घरेलू उद्योग वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 में लाभ कमा रहा था, जब चीन जनवादी गणराज्य से आयात कम मात्रा में हो रहा था। हालाँकि, घरेलू उद्योग को वर्ष 2022-23 में हानि होने लगी और जाँच अवधि में हानि अत्यधिक बढ़ गई, जब चीन जनवादी गणराज्य से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- घरेलू उद्योग के ब्याज और कर से पूर्व लाभ में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को जांच अवधि में हानि हुई है।
- घरेलू उद्योग का प्रति एमटी नकद लाभ 2020-21 में 100 सूचकांक अंकों से घटकर जांच अवधि में 16 सूचकांक अंक रह गया है।
- घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई है तथा जांच अवधि में यह नकारात्मक हो गया है।

घ) मालसूची

84. क्षति अवधि के दौरान मालसूची के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
प्रारंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	50	82	83
समापन मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	164	164	206
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	110	123

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की मालसूची में वर्ष 2021-22 में गिरावट आई है और तत्पश्चात वर्ष 2022-23 और जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

ङ) उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी

86. क्षति अवधि के दौरान उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

क्रम. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1.	प्रति दिन उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	114	124
2.	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	114	125
3.	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	100	99

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में कुछ सीमा तक वृद्धि हुई है, क्योंकि इसी अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है।

च) वृद्धि

88. क्षति अवधि के दौरान वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	पीओआई
उत्पादन	%	28%	-11%	9%
घरेलू बिक्री	%	19%	-5%	8%
पीबीटी (प्रति यूनिट)	%	48%	-124%	-198%
पीबीआईटी (प्रति यूनिट)	%	69%	-80%	-133%
नकद लाभ (प्रति इकाई)	%	10%	-58%	-72%
लागत पर लाभ	%	6%	-11%	-4%
मांग में डीआई का बाजार हिस्सा	%	-2%	0%	-3%

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता, नकद लाभ, आरओआई और बाजार हिस्सेदारी के मामले में वर्ष दर वर्ष नकारात्मक वृद्धि देखी है।

छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

90. संबद्ध देशों से आयात कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों, जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, आदि की जाँच से पता चलता है कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कम है, जिसके कारण कीमत में कटौती हो रही है। कीमत में कटौती के कारण भारतीय बाजार में मूल्य हास हुआ है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की माँग में वृद्धि हुई है, इसलिए यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता। इसलिए, संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।

ज) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की आगे कोई पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता अत्यधिक कम हो गई है। घरेलू उद्योग पहले से ही हानि में है, और घरेलू उद्योग आगे पूंजी निवेश जुटाने की स्थिति में नहीं है।

झ) पाटन मार्जिन का परिमाण

92. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है और महत्वपूर्ण है।

ज.4 सामग्री क्षति का जोखिम

ज.4.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

93. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामग्री क्षति के जोखिम के संबंध में कोई अनुरोध नहीं दिया है।

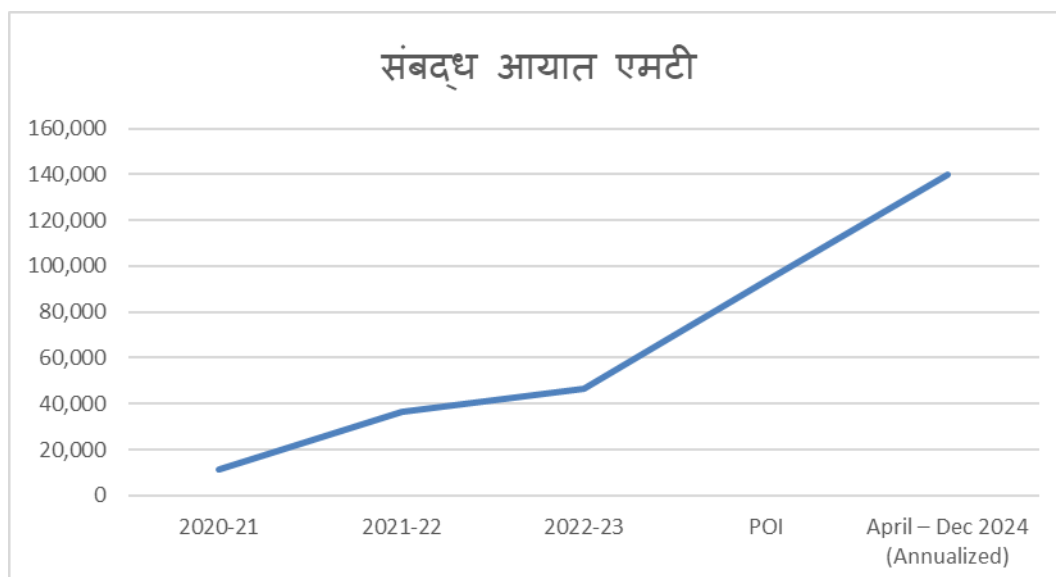
ज.4.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

94. घरेलू उद्योग ने सामग्री क्षति के जोखिम के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया है:

i. जांच अवधि के बाद भी संबद्ध आयातों में लगातार वृद्धि हुई है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई	अप्रैल-दिसंबर 2024 (वार्षिकीकृत)
मात्रा	एमटी	11,081	36,500	46,350	93,634	139,820
	सूचीबद्ध	100	329	418	845	1262
सीआईएफ मूल्य	रुपये/एमटी	49,397	109,241	81,582	68,150	64,278
	सूचीबद्ध	100	221	165	138	130

ii. आयात जांच अवधि के 93,634 एमटी से बढ़कर जांच अवधि के बाद अप्रैल-दिसंबर 2024 (वार्षिकीकृत) की अवधि में 1,39,820 एमटी हो गया है। आयात में तीव्र वृद्धि नीचे दिए गए ग्राफ से स्पष्ट है:



- iii. आधार वर्ष 2020-21 की तुलना में जांच अवधि के बाद की अवधि में आयात में 12 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।
- iv. चीन जनवादी गणराज्य से औसत आयात कीमत में जांच की अवधि के बाद और गिरावट आई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई	पोस्ट-पीओआई (वार्षिकीकृत)
सीआईएफ	रुपये/एमटी	49,397	109,241	81,582	68,150	64,278
मूल्य	सूचीबद्ध	100	221	165	138	130

- v. 2021-22 और 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में आयात कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयात कीमत में और गिरावट आई है। जांच की अवधि के बाद की अवधि में तिमाही-वार गिरावट इस प्रकार है:

विवरण	यूओएम	अप्रैल 2024 से जून 2024 तक	जुलाई 2024 से सितंबर 2024 तक	अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 तक
सीआईएफ कीमत	रुपये/एमटी	66,127	65,114	63,000

- vi. आयात कीमत में निरंतर कमी चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों द्वारा अपनाई जा रही आक्रामक मूल्य निर्धारण कार्यनीतियों को उजागर करती है, जिससे घरेलू उद्योग की बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है।
- vii. पिछले कुछ वर्षों में चीन जन.गण में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन क्षमता में लगातार वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे सारणीबद्ध है और इसका प्रमाण क्यूमिक स्टील लिमिटेड की 'चीन का सीआरएनजीओ स्टील: एक उद्योग अवलोकन' शीर्षक वाली रिपोर्ट से मिलता है:

विवरण	एमटी	2020	2021	2022	2023	2025/2026 (अनुमानित)
चीन जन.गण में कुल क्षमता	मिलियन टन	12.6	13.1	13.6	13.6	14.5 /16
	सूचकांक	100	104	108	108	115/127

- viii. चीन जन.गण में सीआरएनओ की कुल क्षमता कुल भारतीय मांग का लगभग 20 गुना है।
- ix. कई देशों ने चीन जन.गण. से होने वाले निर्यात के विरुद्ध व्यापार उपचारात्मक उपाय लागू किए हैं। चीन जन.गण. से होने वाले निर्यात के विरुद्ध लगाए गए और वर्तमान में लागू व्यापार उपचारात्मक उपायों का विवरण नीचे दिया गया है:

आयातक देश	निर्यातक देश	उत्पाद	माप का प्रकार	शुल्क की दर (चीन जन.गण)
ब्राज़िल	चीन जन.गण, ताइवान और कोरिया आरपी	गैर-उन्मुख सिलिकॉन स्टील	पाटन-रोधी	90 - 166.32%
संयुक्त राज्य अमेरिका	चीन जन.गण, स्वीडन, कोरिया आरपी, ताइवान, जापान, जर्मनी	गैर-उन्मुख विद्युत स्टील	पाटन-रोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क	158.88% (सीवीडी) 407.52% (ईस्वी)

आयातक देश	निर्यातक देश	उत्पाद	माप का प्रकार	शुल्क की दर (चीन जन.गण)
यूरोपीय संघ	चीन जन.गण	सीआरएनओ	रक्षोपाय	25% कोटा से अधिक
संयुक्त राज्य अमेरिका	चीन जन.गण	सीआरएनओ	धारा 232	25%
संयुक्त राज्य अमेरिका	चीन जन.गण	सीआरएनओ	धारा 301	25%

ज.4.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

95. पाटन-रोधी नियमों के अनुलग्नक II के पैरा (vii) में निम्नानुसार प्रावधान है:

(vii) सामग्री क्षति के जोखिम का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा, न कि केवल आरोप, अनुमान या दूरगामी संभावना पर। परिस्थितियों में परिवर्तन, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें पाटन से क्षति होगी, स्पष्ट रूप से पूर्वानुमानित और आसन्न होना चाहिए। सामग्री क्षति के जोखिम के अस्तित्व के संबंध में निर्धारण करते समय, निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर भी विचार करेंगे:

(क) भारत में पाटित आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि दर, जो आयात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है;

(ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से प्रयोज्य, या आसन्न, पर्याप्त वृद्धि, जो भारतीय बाजारों में पाटित किए गए निर्यात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है, किसी भी अतिरिक्त निर्यात को प्राप्त करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए;

(ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहा है जिसका घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण रूप से हास या न्यूरकरणीकृत प्रभाव पड़ेगा, तथा इससे अधिक आयात की मांग में वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) जांच की जा रही मालसूची

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामग्री क्षति के जोखिम के आकलन के लिए, प्राधिकारी भारत में पाटित आयातों की वृद्धि दर, संबद्ध देश में मुक्त रूप से प्रयोज्य क्षमता, संबद्ध देश में क्षमता में वृद्धि, संबद्ध देश से आयात कीमतों की प्रवृत्ति, संबद्ध देश में उत्पादकों/निर्यातकों के पास पीयूसी की सूची जैसे कारकों पर विचार करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वे घरेलू उद्योग को सामग्री क्षति के जोखिम के आकलन के लिए उपरोक्त कारकों के अतिरिक्त किसी अन्य कारक की भी जाँच कर सकते हैं।

क) भारत में पाटित किए गए आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि दर से आयात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता है।

97. नीचे दी गई तालिका में आयात संबंधी आंकड़े दर्शाते हैं कि जाँच अवधि में चीन जन.गण. से आयात 9,503 एमटी से बढ़कर 99,211 एमटी हो गया है।

आयात	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
चीन जन.गण	एमटी	9,503	40,246	42,132	99,211
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	424	443	1,044
माँग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	117	138

98. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जाँच अवधि के दौरान चीन जन.गण. से आयात में लगातार और उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चीन जन.गण. से आयात 2020-21 की तुलना में जाँच अवधि में 10 गुना से अधिक बढ़ गया। घरेलू उद्योग ने जाँच अवधि के बाद की अवधि के लिए जानकारी प्रस्तुत की है। तथापि, प्राधिकारी की जाँच केवल जाँच अवधि तक ही सीमित है।

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से आयात की प्रवृत्ति की माँग की प्रवृत्ति के साथ तुलना से ज्ञात होता है कि क्षति जाँच अवधि के दौरान आयात में वृद्धि की दर माँग में वृद्धि की दर से बहुत अधिक है।

ख) किसी भी अतिरिक्त निर्यात को प्राप्त करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से प्रयोज्य, या आसन्न, पर्याप्त वृद्धि, जो भारतीय बाजारों में पाटित किए गए निर्यात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।

100. भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना से ज्ञात होता है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों के पास उपलब्ध क्षमता, चीन जन.गण. में घरेलू मांग से अधिक है।

चीन जन.गण से निर्माता/निर्यातक	विवरण (सूचकांक बिंदुओं में)	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
बाओशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	संस्थापित क्षमता	100	100	140	152
	क्षमता उपयोग	100	93	88	87
	भारत को निर्यात बिक्री	100	88	731	393
वुहान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	संस्थापित क्षमता	100	100	100	100
	क्षमता इस्तेमाल	100	94	98	100
	भारत को निर्यात बिक्री	100	40	272	376
बाओस्टील सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड.	भारत को निर्यात बिक्री	100	47	316	735
शौगांग ज़िक्सन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल(क्रियानआ) कंपनी लिमिटेड	संस्थापित क्षमता	100	99	115	121
	क्षमता इस्तेमाल	100	99	93	91
	भारत को निर्यात बिक्री	100	1,830	1,534	1,105
शौगांग होल्डिंग ट्रेड हांगकांग लिमिटेड	भारत को निर्यात बिक्री	100	1430	1,391	1339
शगांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड	भारत को निर्यात बिक्री	-	-	100	150
क्यूमिक स्टील लिमिटेड	भारत को निर्यात बिक्री	-	100	341	385
वेलोंग रिसोर्सेज लिमिटेड	भारत को निर्यात बिक्री	-	-	100	377

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. के सहभागी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच से पता चलता है कि उत्पादकों/निर्यातकों के पास संबद्ध वस्तुओं की पर्याप्त स्वतंत्र रूप से प्रयोज्य क्षमता है और/या उन्होंने क्षति जांच अवधि के दौरान भारत को अपनी क्षमता और निर्यात बिक्री में वृद्धि की है।

102. इस प्रकार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर आते हैं कि पर्याप्त मात्रा में मुक्त रूप से प्रयोज्य क्षमता है, अथवा इसमें शीघ्र ही पर्याप्त वृद्धि होने वाली है, तथा चीनी उत्पादक भारतीय बाजारों में पाटित निर्यात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत दे रहे हैं।

ग) क्या आयात उन कीमतों पर हो रहा है जिनका घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण हास या न्यूनाकरणीकृत प्रभाव पड़ेगा, और क्या इससे आगे आयात की मांग में वृद्धि होगी

103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों का पहुँच मूल्य, वर्ष 2021-22 को छोड़कर, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से काफी कम है। इससे घरेलू उद्योग पर मूल्य हास/न्यूनाकरणी का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है।

ज.5 आकस्मिक कारक और गैर- आरोपण विश्लेषण

ज.5.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

104. घरेलू उद्योग ने आकस्मिक कारक के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया है:

क. भारत में होने वाले कुल आयातों में से अधिकांश आयात संबद्ध देशों से होते हैं। संबद्ध देशों से आयातों को छोड़कर, अन्य देशों से आयात या तो कम मात्रा में और/या ऊँची कीमतों पर होते हैं। इसलिए, अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कारण नहीं बन सकते।

ख. हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के किसी अन्य कारण की पहचान नहीं की है।

ज.5.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

105. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आकस्मिक कारक के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ज.5.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

106. पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुसार, प्राधिकारी को अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अतिरिक्त ऐसे किसी भी ज्ञात कारक की जाँच करना अपेक्षित है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हों, ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति को पाटित आयातों के

कारण न माना जाए। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, माँग में कमी या उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन तथा उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस बात की जाँच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अतिरिक्त अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाई है।

क) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात बहुत अधिक मात्रा में नहीं है। साथ ही, गैर-संबद्ध देशों से जिस मूल्य पर विचाराधीन उत्पाद का आयात किया गया, वह मूल्य संबद्ध देश के मूल्य से काफी अधिक है।
108. चीन जनवादी गणराज्य के अलावा, जापान और कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का आयात न्यूनतम स्तर से अधिक है। हालाँकि, जापान और कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का आयात मूल्य चीन जनवादी गणराज्य से आयात मूल्य से बहुत अधिक है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
चीन जन.गण	रुपये/एमटी	54,872	1,10,973	93,757	73,768
जापान	रुपये/एमटी	84,814	1,19,951	1,37,372	96,635
कोरिया आरपी	रुपये/एमटी	85,981	1,15,241	1,11,634	1,13,014

ख) मांग में संकुचन

109. क्षति अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। इसलिए, मांग में संकुचन घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कारण नहीं हो सकती।

ग) निर्यात निष्पादन और आबद्ध खपत

110. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू परिचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है। ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी जानकारी केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के कार्यानिष्पादन से संबंधित है।

घ) प्रौद्योगिकी का विकास

111. प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान हो।

ड) कंपनी के अन्य उत्पादों का कार्यप्रदर्शन

112. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ केवल पीयूसी से संबंधित सूचना पर ही विचार किया है।

च) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

113. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं जिन्हें घरेलू उद्योग को हुई सामग्री क्षति का कारण माना जा सके।

छ) खपत की पद्धति में परिवर्तन

114. भारत में पीयूसी के संबंध में खपत की पद्धति में परिवर्तन नहीं है।

ज.6. क्षति और कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष

115. सूचना का विश्लेषण घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति की मौजूदगी और आगे भी महत्वपूर्ण क्षति के खतरे को दर्शाता है। पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध भी स्थापित किया गया है। प्राधिकारी यह निष्कर्ष देते हैं कि:-

- i. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में 2020-21 की तुलना में पीओआई में 10 गुणा से अधिक वृद्धि हुई है। मांग के संबद्ध में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के हिस्से में भी 2020-21 में 100 सूचकांक बिंदुओं से पीओआई में 757 सूचकांक बिंदुओं तक देश से तक की वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के हिस्से में 2020-21 में 100 सूचकांक बिंदुओं से वृद्धि हो कर यह पीओआई में 841 सूचकांक बिंदु हो गया।
- ii. पीओआई में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से निम्न है और घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रही है।

- iii. पीओआई और 2022-23 के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागतों से काफी कम थी। इसने घरेलू उद्योग पर महत्वपूर्ण ह्रासकारी प्रभाव का सृजन किया है।
- iv. मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग निम्न बना हुआ है।
- v. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2020-21 में 100 सूचकांक बिंदुओं में गिरावट आ कर पीओआई में यह 88 सूचकांक बिंदु रह गया।
- vi. घरेलू उद्योग ने 2022-23 में हानियां उपगत करना आरंभ किया और पीओआई में हानियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जब चीन जन. गण. से आयातों में उल्लेखनीय मात्रा में वृद्धि हुई।
- vii. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई है और पीओआई में यह ऋणात्मक हो गई है।
- viii. घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता, नकद लाभ, आरओआई और बाजार हिस्से के संदर्भ में वर्षानुवर्ष ऋणात्मक वृद्धि का साक्ष्य किया है।
- ix. घरेलू उद्योग ने चीन जन. गण. से पाटित आयातों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण क्षति का सामना किया है।
- x. चीन जन. गण. में उत्पादकों / निर्यातकों के पास उपलब्ध क्षमता चीन जन. गण. में घरेलू उद्योग की तुलना में अधिक है।
- xi. सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना दर्शाती है कि उत्पादकों/निर्यातकों के पास संबद्ध वस्तुओं की पर्याप्त मुक्त रूप से निस्तारणीय क्षमता और/ अथवा उन्होंने क्षति जांच अवधि के दौरान भारत को अपनी क्षमता और निर्यात बिक्रियों में वृद्धि की है।
- xii. घरेलू उद्योग को और अधिक बढ़ी हुई क्षति का भी खतरा है यदि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया है।
- xiii. किसी अन्य कारक द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई गई प्रतीत नहीं होती। प्राधिकारी निष्कर्ष देते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों द्वारा पहुंची है।
- xiv. संबद्ध देश क्षति मार्जिन न केवल सकारात्मक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

116. उपर्युक्त विश्लेषण यह इंगित करता है कि घरेलू उद्योग संबद्ध देश से भारत में विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए पाटित आयातों के कारण और अधिक बढ़ी हुई क्षति के खतरे तथा उल्लेखनीय क्षति का सामना कर रहा है। संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा झेली जा रही महत्वपूर्ण क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध मौजूद है।

ज.7. क्षति मार्जिन की मात्रा

117. प्राधिकारी ने यथासंशोधित, अनुबंध III के साथ पठित नियमों में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद के एनआईपी को पीओआई के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पादन की विधिवत सत्यापित लागत से संबंधित सूचना / आंकड़ों को अपना कर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत के साथ एनआईपी की तुलना की गई है। एनआईपी का निर्धारण करने के लिए क्षति अवधि में कच्चे माल और उपयोगिता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन की लागत से असाधारण अथवा अनावर्ती व्ययों को शामिल नहीं किया गया है। जैसाकि नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित किया गया है, एनआईपी पर पहुंचने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियों सहित औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर पूर्व @ 22%) को अनुमति प्रदान की गई थी।

118. पहुंच कीमत के आधार पर और उपरोक्त अनुसार निर्धारित किए गए एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित क्षति नीचे तालिका में उपलब्ध कराई गई है:-

क्षति मार्जिन तालिका

उत्पादक / निर्यातक का नाम	एनआईपी/ मी. टन (यूएस डॉलर)	पहुंच मूल्य/मी. टन (यूएस डॉलर)	क्षति मार्जिन / मी. टन (यूएस डॉलर)	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन % रेंज
मेसर्स वुहान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	25-35
मेसर्स बाओस्टील झांजियांग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
मेसर्स बाओशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
भारित औसत बाओस्टील समूह	***	***	***	***	20-30
सभी अन्य	***	***	***	***	45-55

झ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

झ. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

119. घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक हित के मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. भारत में किसी भी आयातकों / प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं किए हैं और/या न ही आर्थिक हित प्रश्नावली दायर करने के द्वारा उन पर पाटनरोधी शुल्क का कोई मात्रात्मक प्रभाव उपलब्ध कराया है। यह स्वयं में दर्शाता है कि पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण का उनके व्यापार पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ता।
- ii. घरेलू उद्योग ने गणना प्रस्तुत की है, जिसमें दर्शाया गया है कि विभिन्न उपयोगकर्ता उद्योगों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव न्यूनतम होगा, जो इस प्रकार है:

विवरण	यूओएम	ट्रांसफार्मर (इन्वर्टर)	पंप (सबमर्सिबल- 1 एचपी)	ऑटोमोबाइल (मैग्नेटो -पल्सर 200आरएस)	होम अपलाइसिंस (1टीएसीकंप्रे सर)	होम अपलाइसिंस (बीएलडीसी फैन)
सीआरएनओ की पहुंच कीमत	रु/मी. टन	73,772	73,772	73,772	73,772	73,772
विचारित ग्रेड		50सी470	50सी1000	50सी700	35सी360	50सी1000
उत्पाद ग्रेड के लिए सीआरएनओ की पहुंच कीमत	रु/मी. टन	***	***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क @10%	रु/एमटी	***	***	***	***	***
सीआरएनओ में तैयार उत्पाद में खपत संबंधी	एमटी/सं.	***	***	***	***	***

मानदंड						
तैयार उत्पाद की बिक्री कीमत	रूपए	***	***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क के कारण तैयार उत्पाद लागत पर प्रभाव	रूपए/नहीं	***	***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क के कारण तैयार उत्पाद कीमत पर प्रभाव	%	***	***	***	***	***
रेंज	%	0-1%	0-1%	0-1%	0-1%	0-1%

झ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

120. सार्वजनिक हित संबंधी मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

- माल की लागतार उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए शुल्कों के वर्धन के साथ भी उपभोक्ता को आयात करना होगा, जिसके लिए घरेलू उत्पादकों द्वारा अत्यधिक ऊंची कीमत प्रभारित की जाएगी
- भारतीय उद्योग में भारत में संबद्ध वस्तुओं के डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं द्वारा अपेक्षित पर्याप्त गुणवत्ता की कमी है, जिस कारण आयात अनिवार्य है।
- यदि शुल्कों को लागू किया जाता है तो यह डाउनस्ट्रीम उत्पादकों को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा, इस कारण बेहतर उत्पाद गुणवत्ता के साथ संबद्ध वस्तुओं को स्रोत करने में अक्षमता, ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए डाउनस्ट्रीम उत्पादकों के प्रमुख समय और क्षमता को प्रभावित करेगा।

झ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

121. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से संबद्ध पाटनरोधी जांच पर उनके मतों को आमंत्रित करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने उनके परिचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित

प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आयातकों / प्रयोक्तओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की थी। प्राधिकारी ने अन्य के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर विनिमेयता, उपभोक्ताओं की स्रोतों को बदलने की क्षमता, प्रयोक्तओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव संबंधी जानकारी की मांग की थी।

122. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य रूप में पाटनरोधी शुल्क को लागू करने का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू किए जाने का उद्देश्य वैसे भी प्रकार संबद्ध देशों से आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है। व्यापार उपचार जांचों का अभिप्राय व्यापार को विकृत करने वाले आयातों के विरुद्ध उचित शुल्कों को लागू करने के द्वारा घरेलू उत्पादकों के लिए समान स्तर पर व्यापार को सुनिश्चित करके घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसरों को सुरक्षित करना है। इसी समय, प्राधिकारी इस बात से अवगत हैं कि ऐसे शुल्कों का प्रभाव न केवल पीयूसी के घरेलू उत्पादकों तक सीमित है बल्कि पीयूसी के प्रयोक्तओं और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करता है।
123. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने डाउनस्ट्रीम उद्योग और अंतिम ग्राहकों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव पर कोई मात्रात्मक और / या सत्यापन योग्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। विभिन्न अंतिम उपभोक्तों पर औसत रूप से प्रभाव 0-1 प्रतिशत के बीच है।
124. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में पीओआई में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है। संबद्ध देश से आयातों की वृद्धि ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को विपरीत रूप से प्रभावित किया है। इसके अलावा, यह भी नोट किया गया है कि भारतीय उद्योग देश में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता धारित करता है और कोई मांग आपूर्ति अंतर नहीं है। संबद्ध वस्तुओं की त्वरित और अल्पावधिक डिलीवरी के लिए भारतीय सीमा क्षेत्र के भीतर संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति के स्रोतों को धारित करना उपभोक्ता उद्योग के हित में है। आपूर्ति के बहुल स्रोतों को बनाए रखने प्रयोक्ता उद्योग के लिए दीर्घावधिक हित में है।

अ. प्रकटन प्रश्नात टिप्पणियां

अ.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

125. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रकटन पश्चात अनुरोध किए हैं:-

- i. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में पीयूसी के दायरे को सही नोट किया है।
- ii. प्राधिकारी ने सही रूप में नोट किया है कि घरेलू उद्योग की अपेक्षित स्थिति है और यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग ठहरता है।
- iii. प्राधिकारी का यह अवलोकन कि शाओगांग ग्रुप और शगांग ग्रुप द्वारा दायर प्रश्नावली उत्तर त्रुटिपूर्ण है और उनके लिए पाटनरोधी शुल्क की पृथक दर को निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए, सही तथ्यात्मक और कानूनी विचारा धारा पर आधारित है।
- iv. कंपनी ने बाओस्टील इंडिया कंपनी प्रा० लि० द्वारा प्रश्नावली उत्तर को दायर करने में हुए विलंब के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे की जांच नहीं की है। घरेलू उद्योग नोट करते हैं कि संबंधित हस्ती द्वारा प्रश्नावली उत्तर को समय पर दायर करने के अभाव के कारण सभी संबंधित हस्तियों के प्रश्नावली उत्तर को अस्वीकृत किया जाना चाहिए और बाओस्टील ग्रुप के लिए पाटनरोधी शुल्क की कोई पृथक दर निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। प्राधिकारी को कम से कम खरीद और बाओस्टील इंडिया कंपनी प्रा० लि० द्वारा पुनः बेचे गए मात्रा के लिए उपलब्ध विपरीत तथ्यों को लागू करना चाहिए।
- v. घरेलू उद्योग प्राधिकारी के साथ बाओस्टील इंडिया कंपनी प्रा० लि० के प्रश्नावली उत्तर की स्वीकार्यता के संबंध में नोट की गई आपत्ति के अधीन चीन जन. गण. से उत्पादकों / निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के संबंध में प्राधिकारी के साथ सहमत है।
- vi. चीन जन. गण. से आयातों में वृद्धि, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट, चीन जन. गण. से आयातों के कारण कीमत कटौती और कीमत हास, चीन जन. गण. में क्षमता में वृद्धि, चीन जन. गण. में मुक्त रूप से निस्तारणीय क्षमता की विद्यमानता के संबंध में प्राधिकारी का अवलोकन स्पष्ट रूप से यह संकेत करता है कि घरेलू उद्योग महत्वपूर्ण क्षति का सामना कर रहा है।
- vii. चीन जन. गण. से आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में प्राधिकारी की जांच सही तथ्यात्मक और कानूनी विचार-विमर्शों पर आधारित है। प्राधिकारी ने सही रूप से अवलोकन किया है कि अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हैं।
- viii. प्राधिकारी ने अवलोकनों के आधार पर एक मात्र संभव निष्कर्ष यह है कि घरेलू उद्योग चीन जन. गण. से पाटित आयातों के कारण महत्वपूर्ण क्षति का सामना कर रहा है और पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध हैं।

- ix. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति के खतरे की सही जांच की है और महत्वपूर्ण क्षति के खतरे के संबंध में प्राधिकारी का प्रस्तावित निष्कर्ष सही वास्तविक और कानूनी विचार-विमर्शों पर आधारित है।
- x. प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं / डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी के प्रभाव की सही जांच की है।
- xi. घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण सही तथ्यात्मक और कानूनी विचार-विमर्शों पर आधारित है।
- xii. प्राधिकारी को पीयूसी के दायरे, घरेलू उद्योग की स्थिति, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति, आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों, महत्वपूर्ण क्षति के खतरे, आयातकों और अंतिम जांच परिणामों में उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का नगण्य प्रभाव के संबंध में प्रस्तावित निष्कर्ष की पुष्टि करनी चाहिए।
- xiii. यदि प्रकटन विवरण में प्रकट किए गए अनिवार्य तथ्यों में कोई परिवर्तन है तो इसकी टिप्पणियां उपलब्ध कराने के लिए घरेलू उद्योग को अवसर प्रदान करना चाहिए।

अ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

126. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित प्रकटन संबंधी अनुरोध किए हैं:-

- i. प्राधिकारी ने बाओस्टील द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार बाओस्टील ग्रुप के लिए निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य का निर्धारण किया है, किंतु निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य को क्रमशः *** प्रतिशत और *** प्रतिशत कम बताया है।
- ii. शांगांग ग्रुप ने समयबद्ध रूप में सारी जानकारी उपलब्ध कराई है और प्राधिकारी को पूरा सहयोग दिया है। उत्पादक यांगतजी रिवर द्वारा परिशिष्ट उख को प्रस्तुत न किया जाना क्षमा योग्य है, क्योंकि यह असहयोग के कारण नहीं है बल्कि यह भारत को निर्यातों के बारे में दृश्यता की और अनुरक्षित रिकार्ड की प्रकृति के कारण है।
- iii. शांगांग ने स्वैच्छिक रूप से फीफो पद्धति पर आधारित एक जटित पृथक्करण अभ्यास को अपनाया है और मानवीय रूप से घरेलू बिक्रियों से भारत को अंतिम नियति से बिक्रियों में त्रुटियों को पुनः निर्मित किया है।
- iv. सत्यापन के समय पीसीएन अथवा भारत को निर्यातों से संबंधित मात्रा में यदि कोई त्रुटि है तो उसे मानवीय रूप से पृथक्करण प्रक्रिया के स्वरूप के कारण माना जा सकता है।
- v. प्राधिकारी द्वारा यांगतजे रिवर के उत्तर की अवहेलना करने का प्रस्ताव पूर्ण रूप से अत्यधिक और असंगत है।

- vi झीशिन, शाऊगांग, इंटरनेशनल (बिक्री एजेंट) और शाऊगांग एचके (निर्यातक) को मिला कर बनने वाले निर्यात ढांचे ने पूर्ण और पारदर्शी रूप से जांच के दौरान प्रकटन किया है।
- vii. उत्तर को अस्वीकार किया जाना इस आधार पर है कि इस तथ्य को पूरी तरह से अपेक्षित करते हुए शाऊगांग इंटरनेशनल ने परिशिष्ट 2 और 3ख को प्रस्तुत नहीं किया कि शाऊगांग इंटरनेशनल संबद्ध वस्तुओं के स्वामित्व को अधिग्रहीत नहीं करता न ही यह वाणिज्यिक संदर्भ में यह किसी निर्यातक अथवा व्यापार के रूप में कार्य नहीं करता। यह केवल उत्पादक से प्राप्त अनुदेशों के तहत एक सेल्स एजेंट के रूप में काम करता है और इसकी कमीशन उत्पादक के परिशिष्ट 3ख में उचित रूप से बताई गई है।
- viii. प्राधिकारी को इसकी स्थिति पर पुनः विचार करना चाहिए और शाऊगांग झीशिन और इसकी संबंधित हस्तियों द्वारा दायर किए गए उत्तरों को स्वीकार करना चाहिए तथा शुल्क की पृथक दर को प्रदान करना चाहिए।

अ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

127. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है। यह अवलोकन किया गया है कि इन अनुरोधों के अधिक भाग ऐसे तर्कों और आरोपों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही जांच की जा चुकी है और इसलिए, इनका अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराग्राफों में अनिवार्य समझे जाने की सीमा तक उल्लेख किया गया है। संक्षिप्तता के लिए, प्राधिकारी ने इस प्रकटीकरण पश्चात जांच में ऐसे मुद्दों पर उत्तर को दोहराने से बचाव किया है।
128. इस अनुरोध के संबंध में कि बाओस्टील इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रश्नावली उत्तर दायर करने में देरी हुई थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाओस्टील ग्रुप के संपूर्ण डाटा पर बाओस्टील इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के प्रश्नावली उत्तर का सीमित प्रभाव है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबंधित हस्तियों में से एक के द्वारा प्रश्नावली उत्तर को दायर करने में हुआ मामूली विलंब बाओस्टील ग्रुप के प्रश्नावली उत्तर में उपलब्ध कराई गई जानकारी को हानि नहीं पहुंचा सकता।
129. इस अनुरोध के संबंध में कि शागांग ग्रुप ने सारी जानकारी समयबद्ध रूप में उपलब्ध कराई है और प्राधिकारी को पूर्ण सहयोग प्रदान किया है और उत्पादक चांगत्जे रिवर द्वारा परिशिष्ट 3ख को दायर न किया जाना क्षमा योग्य है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक / निर्यातक द्वारा निर्धारित फार्मेट के अनुसार जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि व्यापारी की लाभप्रदता के संबंध में जानकारी को भी निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए परिशिष्ट 5 में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

प्राधिकारी इस जानकारी के बिना उत्पादक के लिए कारखानागत निर्यात कीमत को निर्धारित नहीं कर सकते। अतः, उत्पादक द्वारा परिशिष्ट 3 में तथा व्यापारी द्वारा परिशिष्ट 5 में जानकारी को प्रस्तुत न किए जाने का अर्थ है कि उत्पादक / निर्यातक ने अनिवार्य सूचना उपलब्ध नहीं कराई है और प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध तथ्यों को लागू किए जाने की।

130. इसके अलावा, शाऊगांग ग्रुप के संबंध में प्रश्नावली उत्तर में बताई गई मात्रा और मूल्य सत्यापन के दौरान उपलब्ध कराए गए समर्थक दस्तावेजों के मुताबिक और/ अथवा सत्यापनीय नहीं हैं। इसके अलावा, परिशिष्ट 3ख और 4क में रिपोर्ट किए गए पीसीएन त्रुटि पूर्ण हैं और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए पीसीएन को नहीं दर्शाते।
131. इस अनुरोध के संबंध में कि शाऊगांग ने इंटरनेशनल केवल एक सेल्स एजेंट के रूप में काम किया है, उत्पादक के अनुदेश पर दस्तावेज जारी किए हैं और वे माल के स्वामित्व के अधिग्रहीत नहीं करते, प्राधिकारी नोट करते हैं कि शाऊगांग इंटरनेशनल को 'सेल्स एजेंट' के रूप में नहीं माना जा सकता यदि वह शाऊगांग एचके को वाणिज्यिक इनवॉयस सीमा शुल्क घोषणा पत्र और अन्य निर्यात संबंधित दस्तावेज जारी कर रहा है। यदि प्राधिकारी इस आधार पर शाऊगांग इंटरनेशनल से जानकारी अनुपस्थिति को अनुमति देते हैं कि वह 'सेल्स एजेंट' है तब ऐसे सभी मामलों में जहां भारत को निर्यातों में शामिल व्यापारी यह दावा कर सकते हैं कि वे 'सेल्स एजेंट' के रूप में काम करते हैं और इसलिए, परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 3ख के अनुसार सूचना उपलब्ध कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
132. इस अनुरोध के संबंध में कि बाओस्टील ग्रुप की कारखानागत निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य को कम बताया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने असहयोगी व्यापारियों / निर्यातकों के जरिए निर्यातित निर्यात मात्रा के लिए उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद कारखानागत निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य को निर्धारित किया है अर्थात् तांगयुआन इंटरनेशनल (एचके) कंपनी लि० और जेएफई।

ट. निष्कर्ष

133. उठाए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों के संबंध में, जैसाकि उपर्युक्त जांच परिणामों में रिकार्ड किया गया है और पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष देते हैं:-

- i. विचाराधीन उत्पाद कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरएनओ) है। इसमें कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स ऑफ सिलीकॉन - इलेक्ट्रिकल स्टील, चाहे वे कॉयल्स में हैं या नहीं, चौड़ाई और मोटाई पर ध्यान दिए बिना, शामिल है। सीआरएनओ को नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सीएनओईएस), नॉन-ग्रेन ओरिएंटेड स्टील (एनजीओ), नॉन-ओरिएंटेड स्टील (एनओ), कोल्ड-रोल्ड नॉन-ग्रेन ओरिएंटेड स्टील (सीआरएनजीओ) आदि के रूप में भी ज्ञात है। इन पदों को परस्पर विनिमेयता के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के सीआरएनओ, चाहे वे कोटेड हों अथवा नहीं (एनामेल, वार्निश, प्राकृतिक ऑक्साइड सर्फेश, फास्फेट सर्फेश अथवा अन्य सामग्रियों के साथ बोमिकली ट्रीटिड) ।
- ii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित वस्तुएं नियमावली के संदर्भ में समान वस्तु है।
- iii. आवेदक कंपनियां नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर 'घरेलू उद्योग' स्थापित होती है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति संबंधी मानदंड को पूरा करता है।
- iv. संबद्ध देश पाटन मार्जिन न केवल सकारात्मक है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है।
- v. 2020-21 की तुलना में पीओआई में संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के आयातों में 10 गुणा वृद्धि हुई है। मांग के संबद्ध में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के हिस्से में भी 2020-21 में 100 सूचकांक बिंदुओं से पीओआई में 757 सूचकांक बिंदुओं तक की वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों का हिस्से में 2020-21 में 100 सूचकांक बिंदुओं से पीओआई में 841 सूचकांक बिंदुओं की वृद्धि हुई।
- vi पीओआई में संबद्ध वस्तुओं का पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है और घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहा है।
- vii. पीओआई और 2022-23 के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत से काफी कम थी। इसने घरेलू उद्योग पर महत्वपूर्ण कीमत हास प्रभाव निर्मित किया है।
- viii. मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग निम्न बना रहा है।
- ix. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2020-21 में 100 सूचकांक बिंदुओं से गिरावट आ कर यह पीओआई में 88 सूचकांक बिंदु रह गई।
- x. घरेलू उद्योग ने 2022-23 में हानियां उपलब्ध करना आरंभ किया और पीओआई में हानियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जब चीन जन. गण. से आयातों में महत्वपूर्ण मात्रा में वृद्धि हुई।

- xi. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई है और पीओआई में यह ऋणात्मक हो गया है।
- xii. घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता, नकद लाभ, आरओआई और बाजार हिस्से के संदर्भ में वर्षानुवर्ष ऋणात्मक वृद्धि को साक्ष्य किया है।
- xiii. चीन जन. गण. से पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग ने क्षति का सामना किया है।
- xiv. चीन जन. गण. में उत्पादकों / निर्यातकों के पास उपलब्ध क्षमता चीन जन. गण. में घरेलू मांग की तुलना में उच्च है।
- xv. सहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना दर्शाती है कि उत्पादकों / निर्यातकों के पास संबद्ध वस्तुओं की पर्याप्त मुक्त रूप से निस्तारणीय क्षमता है और/या क्षति जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात बिक्रियों और अपनी क्षमता में वृद्धि की है।
- xvi. घरेलू उद्योग को और अधिक बड़ी हुई क्षति का खतरा भी है। यदि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू नहीं किया गया है।
- xvii. कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग क्षति पहुंचाता प्रतीत नहीं होता। प्राधिकारी यह निष्कर्ष देते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण हुई है।
- xviii. संबद्ध देश से क्षति मार्जिन न केवल सकारात्मक बल्कि महत्वपूर्ण भी है।
- xix. किसी भी आयातक / प्रयोक्ता ने डाउनस्ट्रीम उद्योग और अंतिम प्रयोक्तों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संभावित प्रभाव पर सत्यापन योग्य और/या कोई मात्रा संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है।
- xx. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई मात्रा संबंधी और सत्यापन योग्य सूचना दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है।
- xxi. सार्वजनिक हित के संबंध में यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर नगण्य प्रभाव होगा। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करते बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि आयात उचित कीमतों पर बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।

134. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह पाते हैं कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि संबद्ध देश से भारत को विचाराधीन उत्पादों का निर्यात पाटित कीमतों पर किया गया है और संबद्ध देश से संबद्ध उत्पाद का ऐसे पाटन ने घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाई है।

ठ. सिफारिश

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच आरंभ की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, संबद्ध देश के दूतावास, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था।
136. नियमावली के तहत निर्धारित किए गए प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंधों में शुरुआत करने और जांच आयोजित करने के संबंध में, प्राधिकारी का विचार है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामस्वरूप होने वाली क्षति को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने की जरूरत है। इसलिए, प्राधिकारी पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए यहां नीचे वर्णित स्वरूप और तरीके में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश करना अनिवार्य समझते हैं।
137. नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 7(1)(ख) में अंतर्निहित प्रावधानों के संबंध में, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के समकक्ष पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार, चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित शुल्क तालिका के कॉलम 3 पर वर्णित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों के लिए लागू किए जाने के लिए नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित धनराशि के समकक्ष निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तु का विवरण	मूल का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूओएम	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	7210, 7225 और 7226*	कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील **	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	वुहान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	223.82	एमटी	अमरीकी डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	बाओस्टील झानजियांग आयरन एंड स्टील कंपनी	223.82	एमटी	अमरीकी डॉलर

					लिमिटेड			
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	बाओशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	223.82	एमटी	अमरीकी डॉलर
4	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	क्रम संख्या 1,2 और 3के अलावा कोई उत्पादक	414.92	एमटी	अमरीकी डॉलर
5	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के अलावा अन्य कोई देश	चीन जन. गण.	कोई	414.92	एमटी	अमरीकी डॉलर

* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

** कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरएनओ) में कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पादों के सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील, चाहे वे कॉयल में हों अथवा नहीं, चौड़ाई और मोटाई के निरपेक्ष, शामिल हैं। सीआरएनओ के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरएफएच) जो सीआरएनओ के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, पीयूसी के दायरे से बाहर है।

138. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य निर्धारणीय मूल्य होगा जैसाकि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 द्वारा निर्धारित किया गया है और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 8ख, 9, 9क के तहत आने वाले शुल्कों के अलावा, सीमा शुल्क के सभी शुल्क शामिल हैं।

ड. आगे की प्रक्रिया

139. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसरण में सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(Directorate General of Trade Remedies)****NOTIFICATION**New Delhi the 19th September, 2025**FINAL FINDINGS****Case No. AD (OI)-30/2024****Subject: Final Findings in the anti-dumping investigation concerning imports of “Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel” from China PR**

F. No. 6/32/2024 -DGTR: - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (“AD Rules, 1995” or the “AD Rules” or the “Rules”).

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Whereas, POSCO Maharashtra Steel Private Limited and CSCI Steel Corporation India Private Limited (hereinafter collectively referred to as the “Applicants” or the “Petitioners” or the “domestic industry”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), in accordance with the Act and the Rules for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “**Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel**” (hereinafter referred to as the “product under consideration” or the “PUC” or “subject goods” or “CRNO” or) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).
2. The Authority, on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the applicants, issued a public notice vide Notification No. 6/32/2024-DGTR dated 27th September 2024, published in Part-I Section-I of the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Customs Tariff Act read with Rule 5 of the AD Rules, 1995 to determine the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The following procedure has been followed with regard to this investigation:

- a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the AD Rules, 1995.
- b. The Authority issued a notification vide No. 6/32/2024-DGTR dated 27th September, 2024, published in Part-I Section-I of the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
- c. In accordance with Rule 6(2) of the Rules, the Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, known importers/users in India as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicants. The interested parties were asked to provide relevant information in the form and manner prescribed in the initiation notification and make their submissions known in writing within the time limit prescribed in the initiation notification.
- d. The Authority also provided copy of the non-confidential version of the application filed by the applicants to the known producers/exporters, known importers/users and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules, 1995.
- e. The Embassy of the subject country in India was sent a copy of letter and questionnaire sent to the producers/exporters with the request to advise the exporters/producers from their country to submit their responses to the questionnaire within the time limit prescribed by the initiation notification.
- f. The period of investigation (“POI”) for the purpose of the present investigation is 1st April 2023 to 31st March 2024. The injury investigation period for the present investigation is 1st April 2020 – 31st March 2021, 1st April 2021 – 31st March 2022, 1st April 2022 – 31st March 2023 and the POI.
- g. The interested parties were granted an opportunity to present their comments on the issues of confidentiality claimed by the other interested parties within 7 days of the circulation of the non-confidential version of the document filed before the Authority.
- h. The Authority also issued an economic interest questionnaire (hereafter referred to as ‘EIQ’) to the interested parties seeking inputs on the economic impact of the duties.
- i. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules, 1995:

- i. Foshan Grand Acero Co Ltd
- ii. China Steel Precision Metals
- iii. Guangdong Meizhi Compressor Limited
- iv. Jiangxi Xisco-Wisdri New Material Co Ltd
- v. Cheongfuli Xiamen Company Li
- vi. Xiamen ITG Group Corp Ltd
- vii. Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co, Ltd
- viii. Jiangsu Shagang Group Co. Ltd
- ix. Shougang Zhixinqian'an Electromagnetic Material Co., Ltd
- x. Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd.,
- xi. Angang Steel Company Limited
- xii. Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.
- xiii. Wuhan Iron and Steel Company Limited
- xiv. Jiangxi Xisco-Wisdri Newmaterial Co. Ltd

j. The following producers/ exporters of the product under consideration from subject country have registered as an interested party in the subject investigation and filed the questionnaire response within the time-limit prescribed by the Authority:

- i. Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.
- ii. Baosteel Zhanjiang Iron and Steel Co. Ltd.
- iii. Baosteel Singapore Pte Ltd.
- iv. Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.
- v. Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd.
- vi. Jiangsu Shagang Group Co. Ltd.
- vii. Jiangsu Shagang International Trade Co. Ltd.
- viii. Shagang International Singapore (PTE) Ltd.
- ix. Cumic Steel Ltd
- x. Welong Resources Limited
- xi. Tak Loon Steel Company Limited
- xii. Shougang Zhixin Electromagnetic Materials (Qian'an) Co., Ltd

- xiii. Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited
- xiv. China Shougang International Trade & Engineering Corporation

k. The Authority sent questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information, in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

- i. ABB India Limited
- ii. Andritz Hydro Private Limited
- iii. CG Power and Industrial Solutions Limited
- iv. ELGI Equipments Limited
- v. Elin Electronics Limited
- vi. Godrej Boyce Mfg Co Ltd
- vii. Hical Technologies Private Limited
- viii. Highly Electrical Appliances India Pvt Ltd
- ix. Honda Siel Power Products Ltd
- x. Lubi Industries Llp
- xi. Megatherm Induction Pvt Ltd
- xii. Midea India Private Limited
- xiii. Nidec Industrial Automation India Private Limited
- xiv. Permanent Magnets Limited
- xv. Siemens Limited
- xvi. Td Power Systems Ltd
- xvii. Tecumseh Products India Private Limited
- xviii. Vedanta Electricals Private Limited
- xix. Voith Hydro Private Limited
- xx. Aesthetic Stampings Laminations Limited
- xxi. Alphonso Steel Pvt Ltd
- xxii. Alpine Stampings
- xxiii. Amulya Metal
- xxiv. Baosteel India Company Private Limited
- xxv. China Steel Corporation India Private Limited

- xxvi. Gupta Machine Tools Private Limited
- xxvii. Hitech Tools India
- xxviii. Igarashi Motors India Ltd
- xxix. Jain Brothers International
- xxx. Jash Steel Private Limited
- xxxi. JFE Shoji Steel India Private Limited
- xxxii. Kapil Corepacks Private Limited
- xxxiii. Kico Steel LLP
- xxxiv. Kirtanlal Partners
- xxxv. Kumar Precision Stampings Private Limited
- xxxvi. LG Electronics India Pvt Ltd
- xxxvii. Magcore Lamination India Private Limited
- xxxviii. Mahindra Steel Service Centre Ltd
- xxxix. Manly Silicon Steel Private Limited
- xl. Mi Electrical Steel Processing India Pvt Ltd
- xli. Navratna Steel
- xl.ii. Neemrana Steel Service Center India Private Limited
- xl.iii. Nlmc India Service Center Private Limited
- xl.iv. Novac Advisors Private Limited
- xl.v. Pearl Engineering Co
- xl.vi. Pec Ventures Private Limited
- xl.vii. Pitti Engineering Limited
- xl.viii. Poggen-Amp Nagarsheth Powertronics Pvt Ltd
- xl.ix. Pooja Metal Processors P Limited
- l. Posco India Processing Center Private Limited
- li. Posco Tmc India Private Limited
- lii. Powercore Industries India Pvt Ltd
- lii.iii. Pressmatic Engineers India Private Limited
- li.v. Prg International Electricals Private Limited
- li.v. Royal Overseas Exports
- li.vi. S S Steel Enterprises

- lvii. Sarth Stampings Private Limited
 - lviii. Sewa Electrical Industries Private Limited
 - lix. Shree Krishna Steels
 - lx. Silicon Cortech Private Limited
 - lxi. SR Electrosteel Pvt Ltd
 - lxii. Star Wire Product
 - lxiii. Stecol International Private Limited
 - lxiv. Steel Mont Pvt Ltd
 - lxv. Techno Vision Tools
 - lxvi. Tempel Precision Metal Products India Private Limited
1. The following importer/user have registered as an interested party in the subject investigation and submitted the importer questionnaire response within the time limit prescribed by the Authority:
- i. Poggenamp Nagarsheth Powertronics Pvt. Ltd. (“Poggenamp”)
 - ii. Baosteel India Company Pvt. Ltd.
- m. The producers/exporters from the subject country who have not submitted the questionnaire response or have not cooperated in the investigation have been treated as non-cooperative in the investigation.
- n. Interested parties were provided 15 days’ time from the date of initiation of the investigation, to file their comments on the scope of product under consideration (PUC) and product control number (“PCN”) methodology. The Authority received a request from an interested party for granting an extension of the timeline to file the comments on PUC and PCN methodology. Subsequently, the Authority granted additional time up to 21st October 2024 for filing the comments on PUC and PCN methodology.
- o. The Authority held a meeting on the scope of PUC and PCN methodology on 4th November 2024. Thereafter, the Authority notified the final scope of PUC and PCN methodology vide its letter dated 26th November 2024. The Authority confirmed the same scope of PUC and adopted the same PCN methodology as were proposed in the initiation notification- F. No. 6/32/2024-DGTR dated 27th September 2024. The Authority granted 30 days’ time to interested parties from 26th November 2024 to file questionnaire responses. Upon the request of certain interested parties, the Authority granted further extension of one week to file the questionnaire responses i.e. till 1st January 2025.

- p. The DG System was requested to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the injury period and the period of investigation. The same was received by the Authority and considered at the stage of initiation of the investigation as well as for the present final findings.
- q. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, 1995, the Authority provided an opportunity to the interested parties for presenting their views orally regarding the subject investigation through an oral hearing held on 18th March 2025. The interested parties who presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of the written submissions with the other interested parties.
- r. Due to the change of the Designated Authority, a fresh oral hearing was held on 13th June, 2025 wherein all interested parties were provided the opportunity to present their views. The interested parties were requested to submit their written submissions and rejoinder submissions, if any.
- s. The non-injurious price (hereinafter referred to as the “NIP”) has been determined based on the cost of production and reasonable return on capital employed for the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995 so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- t. The information submitted by the domestic industry has been examined and verified to the extent deemed necessary and has been relied upon for the present final findings.
- u. The examination and verification of the information submitted by the cooperating producers/exporters from the subject country was also carried out to the extent deemed necessary and the same has been relied upon for the purpose of the present final findings.
- v. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties on mutual basis in the manner prescribed through Trade Notice no. 01/2020 dated 10th April 2020. The information/submissions provided by the interested parties on a confidential basis were examined concerning the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied concerning the sufficiency of the confidentiality claims filed by the interested parties, the Authority has considered such information/submissions as confidential. In case of non-acceptance of confidentiality

claims, the interested parties were directed to submit the non-confidential version of the same and circulate it to the other interested parties.

- w. A disclosure statement containing the essential facts of the investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 01 September 2025 and the interested parties were allowed time up to 8th September 2025 to file comment on the same. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non-repetitive, in these final findings.
- x. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- y. ‘***’ in the final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under Rule 7 of AD Rules, 1995.
- z. The exchange rate for the POI adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= INR 83.69.

C. **PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

4. The product under consideration as defined at the stage of initiation is as follows-

“3. The product under consideration in the present investigation is Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel (CRNO). It includes cold-rolled flat steel products of silicon-electrical steel, whether or not in coils, regardless of width and thickness.

4. CRNO is characterized as having substantially the same magnetic and electrical properties in all directions (non-oriented) in the plane of the sheet. In contrast, Grain-Oriented Electrical Steel (GOES) has superior magnetic and electrical properties along the lengthwise direction in the plane of the sheet but less favorable properties in other directions.

5. CRNO is also referred to as Non-Oriented Electrical Steel (NOES), Non-Grain Oriented Steel (NGO), Non-Oriented Steel (NO), Cold-Rolled Non-Grain Oriented Steel (CRNGO) etc. These terms are used interchangeably.

6. PUC includes all kinds of CRNO whether or not it is coated (e.g., with enamel, varnish, natural oxide surface, phosphate surface, or chemically treated with other materials).

Exclusion

7. Cold Rolled Full Hard Silicon Electrical Steel (CRFH) used for manufacturing of CRNO is excluded from the scope of PUC.

Uses

8. CRNO is widely used for iron core materials of rotating machines ranging from large-size power generators to small-size precision electric motors, which are used in variety of applications like home appliances, HEV/EV traction motors, large generators, industrial motors etc.

Tariff Classification

9. The product under consideration is classified under tariff headings 72251920, 72251990, 72261920, and 72261990 of the Customs Tariff Act, 1975. However, imports of PUC have also been observed in certain other HS Codes viz., 72255010, 72107000, 72261910, 72269110 and 72261100. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the PUC in the present investigation.

10. The domestic industry has proposed the following Product Control Number (PCN) for the product under consideration in the present investigation:

PCN for PUC				
S.No.	Attributes	No. of Digits	Description	Code
1	Thickness	2	upto and including 0.35 mm	T1
			More than 0.35 mm and upto 0.5mm	T2
			More than 0.5mm	T3
2	Core Loss (at a frequency 50 Hz and a maximum flux density of 1.5 Tesla)	2	upto and including 3.50 Watt/Kg	C1

PCN for PUC				
S.No.	Attributes	No. of Digits	Description	Code
			More than 3.50 Watt/Kg and upto 5.00 Watt/Kg	C2
			More than 5.00 Watt/Kg	C3''

C.1. Submissions made by the other interested parties

5. The following submissions have been made by the other interested parties with respect to product under consideration and PCN methodology:

i. Steel grade 30SW1500 is used to produce new energy vehicles, drones and other high-end equipment and domestic producers in India do not produce this product. Therefore, steel grade 30SW1500 should be excluded from the product scope.

ii. The other interested parties have contested the PCN methodology proposed by the domestic industry in the context of “Core Loss” as a parameter and has proposed the following PCN methodology for the same:

Core Loss	PCN Code
Up to and including 4.00 Watt/Kg	C1
More than 4.00 Watt/Kg and upto 6.00 Watt/Kg	C2
More than 6.00 Watt/Kg	C3

iii. Poggenamp Nagarsheth Powertronics Pvt. Ltd., an importer/user of the subject goods has claimed that following grades are not made available by the domestic industry in India:

Grades requested for exclusion			
i. 35CS1850HF	x. 25CS2000P	xix. 20CS1200FY	
ii. 35CS1750HF	xi. 25CS1500HF	xx. 20CS1200HF	
iii. 30CS2000P	xii. 25CS1350HF	xxi. 20CS1150FY	
iv. 30CS1800HF	xiii. 25CS1250HF	xxii. 15CS1200HF	
v. 30CS1600FY	xiv. 25CS1250FY	xxiii. 15CS1000FY	

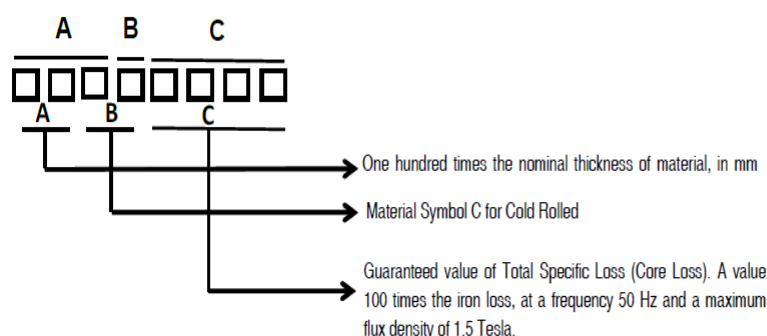
vi. 30CS1450HF	xv. 25CS1200FY	
vii. 27CS2000P	xvi. 25CS1180FY	
viii. 27CS1450HF	xvii. 20CS1500HF	
ix. 27CS1450FY	xviii. 20CS1300FY	

C.2. Submissions made by the domestic industry

6. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the product under consideration:

i. Poggenamp Nagarsheth Powertronics Pvt. Ltd. has filed the comments on scope of PUC and PCN methodology on 1st November 2024 i.e. more than 1 month after the initiation of investigation. The comments filed by importer should be rejected because they have been submitted after due date of 21st October 2024.

ii. IS 648:2022 is the mandatory BIS standard for PUC. It provides the designation for different grades of CRNO as follows:



NOTE A = One hundred times the nominal thickness of the product, in mm. B = Material Symbol C for Cold Rolled. C = One hundred times the maximum value of specific total loss in W/kg at 1.5 Tesla, 50 Hz.

Examples

A sheet or strip of 0.50 mm thickness, tested at 1.5 Tesla, 50 Hz and specific total loss 2.70 W/kg shall be designated as 50C270.

iii. For example, in steel grade 30CS2000P, the first 2 digits “30” indicates thickness (.30mm), the next two digits “CS” indicate branding and last 4 digits “2000” indicate core loss of 20 at frequency of 400 Hz at maximum flux density of 1.0 Tesla. IS 648:2022 provides the scope of BIS standard as follows:

“This standard covers the requirement for non-oriented electrical steel with silicon content up to 3.5 percent, cold rolled, both insulated and uninsulated, fully

processed electrical steel and strip primarily intended for static and rotating machines operating at power frequencies.

This standard defines grades of cold rolled non-oriented electrical steel sheet and strip in nominal thicknesses of 0.35 mm, 0.5 mm, 0.65 mm and 1.00 mm. If required and agreed to between the purchaser and the manufacturer, the typical, physical and mechanical properties of the steel sheets/strips shall be supplied by the manufacturer to the purchaser.”

- iv. IS 648:2022 covers grades of cold rolled non-oriented electrical steel sheet and strip in nominal thicknesses of 0.35 mm, 0.5 mm, 0.65 mm and 1.00 mm. Steel grades having less than .35mm thickness are new age products (mainly for use in EV) and are not covered by mandatory BIS standard as can be seen from the aforementioned scope of IS 648:2022. Almost all grades listed by the importer/user are Steel grades having less than .35mm thickness and are not covered by mandatory BIS standard.
- v. The steel grade 30CS2000P and other similar grades with less than .35mm thickness are new age products (primarily to be used for electric vehicles) and were not covered by IS 648:2022 introduced in 2022 as there was hardly any demand of these grades until recently. If grades not covered by IS 648:2022 are to be sold, NOC is required from Ministry of Steel. Ministry of Steel has constituted a technical committee to deal with such issues (BIS Website – FAQ- <https://www.bis.gov.in/product-certification/product-certification-faq/>).
- vi. The Domestic industry can produce and supply steel grade with less than .35mm thickness if there is demand in India in commercial quantity. Domestic industry has not refused supply of steel grade with less than .35mm thickness to any user in India. Domestic industry can produce and supply steel grade having less than .35 thickness if order is placed on it.
- vii. The domestic industry has in fact produced steel grade of similar specifications for electric vehicle motors. Based on EV design, the user may require .25 or .27 or .30 thickness and core loss of 15.00 W/Kg or 14.5W/Kg or 12.5W/Kg etc.
- viii. CSCI has already undertaken successful trial production of grade 27C1450 and POSCO has already undertaken successful trial production of grades 25PNX1250F & 27PNX1350F in India. Test reports of production undertaken by domestic industry for these grades have been submitted with the Authority.
- ix. Poggenamp has made a generic claim that certain grades are not produced by domestic producers in India. Poggenamp should provide evidence to show that they have placed order on domestic producers regarding particular grade and domestic producers have refused to supply that particular grade to them. In absence of such information, submission made by Poggenamp is not of any significance.

C.3. Examination by the Authority

7. The Authority has addressed the arguments regarding the scope of the PUC submitted by various interested parties and has examined the same based on the relevant information available on record.
8. With regard to the submission of Poggenamp for the exclusion of thinner grades (with thickness less than 0.35mm) of subject goods from the scope of PUC as these are not supplied by the domestic industry, the Authority notes that Poggenamp has not provided any evidence demonstrating that they have placed an order on the domestic industry for the supply of such grades of subject goods and the same has been refused/declined by the domestic industry. Further, Poggenamp has not provided any evidence of import of such grades of subject goods in commercial quantities from China PR during the POI. The Authority further notes that IS 648:2022 is a mandatory BIS standard and covers grades of cold rolled non-oriented electrical steel sheet and strip in nominal thicknesses of 0.35 mm, 0.5 mm, 0.65 mm and 1.00 mm. Steel grades having less than .35mm thickness are new age products and are not covered by mandatory BIS standard.
9. The Authority notes that both POSCO Maharashtra Steel Private Limited and CSCI Steel Corporation India Private Limited have furnished trial production test reports certifying production of subject goods with thickness less than 0.35mm to be used in production of electric vehicles (EVs) and hybrid vehicles. The domestic industry has submitted that they are fully capable of supplying subject goods with thickness less than 0.35mm as and when an order for the same is placed on them.
10. The Authority notes that the primary purpose of the PCN methodology is to ensure that cost and price differences across product categories are accurately represented. However, neither the importer nor the exporter has demonstrated that modifications to the PCN are necessary to achieve fair comparison or to more accurately reflect cost and price variations across categories. Furthermore, no supporting information has been provided to justify their proposed modifications to the PCN methodology.
11. It is noted that the modifications suggested by the exporter and/or importer do not constitute substantial changes to the proposed PCN structure by the domestic industry. Therefore, the Authority concludes to not accept the modifications suggested by the exporter and importer.
12. In view of the above, the Authority concludes that the scope of PUC and the PCN methodology is same as noted in the initiation notification and as determined vide notice dated 26th November 2024 and the same is reproduced as below:

“3. The product under consideration in the present investigation is Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel (CRNO). It includes cold-rolled flat steel products of silicon-electrical steel, whether or not in coils, regardless of width and thickness.

4. CRNO is characterized as having substantially the same magnetic and electrical properties in all directions (non-oriented) in the plane of the sheet. In contrast, Grain-Oriented Electrical Steel (GOES) has superior magnetic and electrical properties along the lengthwise direction in the plane of the sheet but less favorable properties in other directions.

5. CRNO is also referred to as Non-Oriented Electrical Steel (NOES), Non-Grain Oriented Steel (NGO), Non-Oriented Steel (NO), Cold-Rolled Non-Grain Oriented Steel (CRNGO) etc. These terms are used interchangeably.

6. PUC includes all kinds of CRNO whether or not it is coated (e.g., with enamel, varnish, natural oxide surface, phosphate surface, or chemically treated with other materials).

Exclusion

7. Cold Rolled Full Hard Silicon Electrical Steel (CRFH) used for manufacturing of CRNO is excluded from the scope of PUC.

Uses

8. CRNO is widely used for iron core materials of rotating machines ranging from large-size power generators to small-size precision electric motors, which are used in variety of applications like home appliances, HEV/EV traction motors, large generators, industrial motors etc.

Tariff Classification

9. The product under consideration is classified under tariff headings 72251920, 72251990, 72261920, and 72261990 of the Customs Tariff Act, 1975. However, imports of PUC have also been observed in certain other HS Codes viz., 72255010, 72107000, 72261910, 72269110 and 72261100. The customs classifications is indicative only and is in no way binding on the scope of the PUC in the present investigation.

10. The domestic industry has proposed the following Product Control Number (PCN) for the product under consideration in the present investigation:

S. No.	Attributes	No. of Digits	Description	Code
1	Thickness	2	Upto and including 0.35mm	T1

			More than 0.35mm and including 0.5mm	T2
			More than 0.5mm	T3
2	Core Loss (at a frequency 50 Hz and a maximum density of 1.5 Tesla)	2	Upto and including 3.50 Watt/Kg	C1
			More than 3.50 Watt/kg and upto 5.0 Watt/kg	C2
			More than 5.00 Watt/Kg	C3”

13. Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules provides the definition of like article as under:

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation

14. After considering the information on record, the Authority concludes that the product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are like articles in terms of the Rules. The two are technically and commercially, substitutable. Thus, the Authority concludes that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject country within the scope and meaning of Rule 2(d) of Anti-Dumping Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1. Submissions made by the domestic industry

15. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the domestic industry and standing:
- The applicants share in Indian production is in the range of 55-65%. Accordingly, the share of applicants exceeds 50% in total Indian production, which means that the applicants have ‘majority share’ in total production and clearly satisfy the requirement of ‘major proportion share’ in terms of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the AD Rules.
 - None of the applicants have imported the subject goods from China PR. None of the

applicants are related to any exporter of subject goods from China PR or any importer of subject goods in India.

- iii. The applicants request the Authority to conclude that the applicants have requisite standing as domestic industry in the present investigation.

D.2. Submissions made by the other interested parties

16. No submissions have been made by the other interested parties with regard to the standing of the domestic industry.

D.3. Examination by the Authority

17. Rule 2 (b) of the AD rules defines the "domestic industry" as under:

"(b) 'domestic industry' means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

18. The application in the present case has been filed by POSCO Maharashtra Steel Private Limited and CSCI Steel Corporation India Private Limited. The Authority notes that the applicants share in Indian production is in the range of 55-65%. Accordingly, the share of applicants exceeds 50% in total Indian production, which means that the applicants have 'major proportion' in total Indian production. The Authority notes that none of the applicants have imported the subject goods from China PR. Further, none of the applicants are related to any producer/exporter of subject goods from China PR or any importer of subject goods in India.
19. Therefore, considering the information on record, the Authority concludes that the applicants are eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions made by the domestic industry

20. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the confidentiality claims:

- i. Producers/exporters have not disclosed information regarding owner/principal shareholder list and their affiliations, marketing/distribution channel details for domestic and export sales to India, details of adjustments claimed for determining normal value and export price, manufacturing process and names of raw materials used in the production of PUC.
- ii. Jiangsu Shagang and Yangtze have claimed that they have exported subject goods to India through their affiliated companies in response to Question 1 of Section E of their questionnaire response. However, Jiangsu Shagang and Yangtze have not reported any exports to India in Appendix 1 of their questionnaire response.
- iii. Shougang Zhixin, Shougang Hong Kong and Shougang International have provided the brochure for Beijing Shougang Co., Ltd., China PR ('Beijing Shougang') in their respective questionnaire responses. Domestic industry requests the Authority to verify whether Beijing Shougang is involved in exports/sales of subject goods to India.

E.2. Submissions made by the other interested parties

21. The other interested parties have not made any submissions with regard to the confidentiality claims of the domestic industry.

E.3. Examination by the Authority

22. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties for inspection through e-mail communication between various parties.
23. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the AD Rules, 1995 provides as follows:

“(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the

opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.”

24. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. The Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was duly examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. MISCELLANEOUS

F.1. Submissions made by the domestic industry

25. The following submissions have been made by the domestic industry with respect to the miscellaneous issues:

- i. The Authority has already considered the import data from DG System at the time of initiation of the subject investigation. The relevant portion of the initiation notification is noted below:

“19. The export price for the subject goods has been computed based on the DG System transaction-wise import data. Appropriate price adjustments have been claimed to make the prices at ex-factory levels so that they become comparable with normal value.”

- ii. The Authority had initiated a safeguard investigation concerning imports of "Non-Alloy and Alloy Steel Flat Products" into India vide its Initiation Notification dated 12th December 2024. Subsequently, the Authority issued its preliminary findings on 18th March 2025 recommending imposition of safeguard measures. The Authority specifically excluded CRNO from the scope of PUC in the safeguard investigation.

- iii. Domestic industry imports CRFH and/or HRNO for its production of CRNO. The applicants had made submissions for exclusion of their raw material i.e., Cold Rolled Full Hard (CRFH) and Hot Rolled Non-Oriented Electrical Steel (HRNO) used in the manufacturing of the subject goods in the safeguard investigation. The Authority examined the claims for exclusion of CRFH and HRNO in the preliminary findings. However, the Authority has not excluded the raw material CRFH and HRNO used in the production of subject goods from safeguard investigation.
- iv. If safeguard duty is imposed on CRFH and HRNO and anti-dumping duty is not imposed on CRNO pursuant to the present investigation, then it will create an inverted duty structure i.e. import of raw material will be subject to safeguard duty but final goods will not be subject to trade remedy measure. It will tilt the competitive conditions in favour of foreign exporters. Indian industry for CRNO will become uncompetitive as their cost of production will increase significantly due to increase in cost of procurement of primary raw material CRFH and/or HRNO. The domestic industry will not be able to increase selling price of CRNO corresponding to the increase in cost of production because landed price of CRNO into India from China PR would continue to be lower than the cost of sales of the domestic industry. This will further aggravate the losses incurred by domestic industry on domestic sales of CRNO.
- v. Poggenamp participated in the oral hearing conducted in the subject investigation on 18th March 2025. Poggenamp made submissions during the said oral hearing. However, Poggenamp has not filed/circulated any written submissions subsequent to the oral hearing. Rule 6(6) of AD Rules provides oral information shall be taken into consideration by the Designated Authority only when it is subsequently reproduced in writing.
- vi. There is no requirement under the AD rules that the domestic industry should be an integrated producer to be an eligible domestic industry. The Authority in a catena of investigations has considered domestic producers who are not backward integrated as eligible domestic industry. In the following anti-dumping investigations, the Authority considered domestic producers who were not backward integrated as eligible domestic producers:
- *Anti-dumping investigation concerning imports of Electrogalvanized Steel from Korea RP, Japan and Singapore*
 - *Anti-dumping investigation concerning imports of Color Coated Steel from China PR and European Union*
 - *Anti-dumping investigation concerning imports of Aluminum Foil from China PR*
- vii. Shougang International has claimed that it does not have an office in India. However, based

- on internet research it is evident that Shougang International in fact has a wholly owned subsidiary in India. Shougang International not only has an office in India but also a wholly owned subsidiary ‘China Shougang (India) Co., LTD.’ (‘Shougang India’) which is responsible for providing business development, sales and services for Shougang International. Thus, the claim of Shougang International not having any offices in India is false and incorrect.
- viii. The questionnaire responses of the following 2 companies were filed belatedly after the due date prescribed by the Authority and therefore their questionnaire responses should not be accepted:
- Tak Loon Steel Company Limited
 - Baosteel India Company Pvt Ltd
- ix. The other interested parties have wrongly noted base year as 2020-21 instead of 2021-22 while reproducing the import price trend of HR Plates and CR Coils and Sheets from the safeguard preliminary findings. There would be no significant divergence in trend between HR Plates and CR Coils and Sheets on one hand and cost of sales of the domestic industry on the other hand if 2021-22 is considered as the base year for comparison. In other words, it would be clear that cost of sales or price of raw material for domestic industry is declining considering 2021-22 as the base year, which is same in case of HR Plates and CR Coils and Sheets in the safeguard investigation.
- x. The cost of sales of HR coils and sheets, HR Pate Mill Plates and CR Coils and Sheets have actually increased from 2021-22 to 2023-24 as per the preliminary findings in the safeguard investigation. On the other hand, the cost of sales of the domestic industry in the present investigation has actually reduced from 2021-22 to 2023-24. Therefore, the claim that price of raw material purchased from related parties is inflated by relying on preliminary findings in safeguard investigation, is completely baseless.
- xi. The POI period in the present investigation is 1st April 2023 to 31st March 2024 whereas POI period in the safeguard investigation is 1st October 2023 to 30th September 2024. To that extent as well, there cannot be a complete correlation in price trend.
- xii. The Authority in the preliminary findings dated 18th March 2025 in the safeguard investigation concerning imports of “Non-Alloy and Alloy Steel Flat Products” has recommended that the safeguard duty should be imposed on Cold Rolled Coils and Sheets when imported into India below the import price of 824 USD/MT (CIF). This means that the Authority is of the view that import price into India of Cold Rolled Coils and Sheets [including raw material Cold Rolled Full Hard (“CRFH”)] lower than 824 USD/MT is unfair and injurious to the domestic industry. Thus, so long as the purchase price of applicants is in the range of 824 USD/MT, there can be no question

of the purchase price being affected by the relationship or the purchase price being inflated. In fact, the preliminary findings of the Authority are effectively a direction to the foreign exporters to not export to India at a price lower than 824 USD/MT.

F.2. Submissions made by the other interested parties

26. The following submissions have been made by the other interested parties with respect to the miscellaneous issues:

- i. The data sourced from the secondary sources is not authentic and reliable. The Authority should have called for DG System data for the examination of imports in the present investigation at the time of initiation.
- ii. It is critical to examine the prices of primary raw material, which are imported by the domestic industry from related parties because there is increase in cost of sales of the domestic industry during the injury investigation period.
- iii. The import prices for HR Plates and CR Coils/Sheets, as examined in the recent safeguard investigation concerning imports of “Non-Alloy and Alloy Steel Flat Products”, show a stable or even slight decrease in prices from 2020-21 to the POI whereas the cost of sales of the domestic industry shows an increasing trend.
- iv. It is necessary to understand whether import prices of raw material were influenced by the relationships between the companies or were determined by prevailing market conditions.
- v. The installed capacity to manufacture CRNGO in China is approximately 70% of the global installed capacity or 1,31,00,000 MT whereas India's installed capacity is approximately 5% of the Global Installed Capacity. Poggenamp has provided the following manufacturer wise capacity for China PR:

List of manufacturers	Annual Capacity (in MT)
Bao Steel, China	13,00,000
Wisco, China	14,00,000
Zhanjiang, China	6,00,000
Shougang, China	14,00,000
Shagang, China	20,00,000
Wisdri, China	7,00,000
Ansteel, China	8,50,000
Tisco, China	14,00,000

MA Steel, China	5,50,000
Other 12 Mills, China	30,00,000

vi. JSW and SAIL produce CRNGO Electrical Steel in India using the blast furnace route while POSCO India and China Steel Corporation of India are only processors and dependent on import of raw material i.e. Cold Rolled Full Hard Silicon Electrical Steel and Hot Rolled Silicon Electrical Steel. India desperately needs domestic steel manufacturers to produce electrical steel through integrated steel plants. The only reason that has led to the shortages of the PUC is the lack of capacity of the domestic steel manufacturers capabilities to manufacture CRNGO Electrical Steel.

vii. The domestic demand for the PUC is 750,000 MT out of which 630,000 is manufactured locally and the shortfall of 120,000 is bridged by imports, considering the CAGR of around 10%-12% the shortfall is bound to increase to the tune of 200,000 every year.

F.3. Examination by the Authority

27. The Authority notes that the DG Systems was requested to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the injury period and the period of investigation. The same was received by the Authority and considered at the stage of initiation of the investigation as well as for the final findings.
28. The Authority notes that it has verified the raw material prices of domestic industry and has adopted the duly verified raw material prices in its analysis. The Authority also notes that the constituents of domestic industry are importing raw materials.
29. The interested parties have relied on the trend in price of HR Plates and CR Coils/Sheets determined by the Authority in the safeguard investigation to suggest that the price of raw material imported by the domestic industry may have been inflated. The interested parties have erroneously compared the trend of prices of HR Plates and CR Coils/Sheets in safeguard investigation with the cost of sales of the domestic industry in the present investigation. The base year of the injury investigation period in the safeguard investigation is financial year 2021-22 whereas the base year in the present anti-dumping investigation is financial year 2020-21. The interested parties have borrowed the indexed figures of prices of HR Plates and CR Coils/Sheets in safeguard investigation for the financial years 2021-22, 2022-23, 2023-24 and have wrongly shown it as the indexed figures for the years 2020-21, 2021-22, 2022-23 while making comparison with the trend in cost of sales of the domestic industry in the present investigation.
30. The Authority notes that there is no requirement under the AD Rules that the domestic industry seeking protection of anti-dumping measures should also produce the raw material

for the production of such subject goods or that the domestic industry should be fully backward integrated and should not rely on purchase of raw material for production of subject goods.

G. MARKET ECONOMY TREATMENT (MET), DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

31. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

G.1. Submissions made by the domestic industry

32. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to normal value:

- i. China PR should be treated as a non-market economy country and normal value in case of the producers/exporters from China PR should be determined in accordance with para-7 read with para 8 (2) and (3) of Annexure I of the Rules. In terms of Para 8 in Annexure I to the Rules, it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non-market economy conditions. Therefore, normal

value of the subject goods in China PR should be estimated in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules.

- ii. As per Article 15(d) of the Accession Protocol, the provision of 15(a)(ii) has expired in December 2016 i.e. 15 years after China PR's accession to the WTO. However, Article 15(a)(i), which provides for presumption of non-market economy for China PR, is still in force. Hence, a valid presumption exists that China PR is a non-market economy country for anti-dumping investigations.
- iii. The Authority notes that none of the responding exporters have claimed market economy treatment by filing applicable questionnaire replies and, in this context, determination of normal value based on paras 7 and 8 of Annexure-I to the AD Rules is very essential.

G.2. Submissions made by the other interested parties

- 33. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to normal value:
 - i. China's Accession Protocol has expired on 11th December 2016. Interested parties have relied on relationship between Article 15(a) and 15(b) of the protocol in the Appellate Body report on the "Fastener case" initiated by China PR against the EU, which has provided strong justification for China PR to automatically obtain the market-economy status once the Article 15 of the Protocol expires.
 - ii. After 11th December 2016, anti-dumping regulations cannot contain any provisions allowing for the establishment of the normal value for the Chinese exporting producers on a basis other than their domestic prices and costs.
 - iii. India has no legal basis under the agreements of the WTO to calculate normal value in anti-dumping investigation of products from China PR using the non-market economy methodology. Any such action by India would be inconsistent with the requirements of the Agreement on Implementation of Article VI of the GATT.
 - iv. The Authority may not use surrogate country methodology in calculating normal value, regardless of whether China PR is treated as a market economy due to the principle of *pacta sunt servanda*, Section 15 of China's Accession Protocol to WTO and Appellate Body Report on EC- Fasteners initiated by China PR.
 - v. China PR should not be treated as a non-market economy as per China's accession protocol to WTO, the same was also confirmed by the WTO Appellate Body in "EC-Fasteners". US and EU in their respective bilateral agreement with China PR had also noted about the expiry of non-market economy status after 15 years after China enters WTO.

G.3. Examination by the Authority

34. The Authority had sent questionnaire to the known producers/exporters in the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. Following producers/exporters have participated in the investigation by filing the prescribed questionnaire responses:

- i. Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.
- ii. Baosteel Zhanjiang Iron and Steel Co. Ltd.
- iii. Baosteel Singapore Pte Ltd.
- iv. Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.
- v. Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd.
- vi. Jiangsu Shagang Group Co. Ltd.
- vii. Jiangsu Shagang International Trade Co. Ltd.
- viii. Shagang International Singapore (PTE) Ltd.
- ix. Cumic Steel Ltd
- x. Welong Resources Limited
- xi. Tak Loon Steel Company Limited
- xii. Shougang Zhixin Electromagnetic Materials (Qian'an) Co., Ltd
- xiii. Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited
- xiv. China Shougang International Trade & Engineering Corporation

G.3.1 Normal value and export price for China PR

a) Market Economy Status for Chinese Producers

35. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based

on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.”

36. It is noted that while the provision contained in Article 15(a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of the WTO Agreement on Anti-Dumping read with the obligation under 15(a)(i) of the Accession Protocol requires the criterion stipulated in Para 8 of Annexure I to the AD Rules, 1995 to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire upon claiming market economy status.

37. Accordingly, the normal value for all the producers/exporters from China PR have been determined as below.

b) Determination of normal value for China PR

38. As none of the producers from China PR have filed the supplementary questionnaire response for market economy treatment, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules. Para 7 of Annexure I of the Rules provides as follows:

7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

8. (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WO member country during the three year period preceding the investigation is a non- market economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such d presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub- paragraph (3).

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding

prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non- market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write- offs, barter trade and payment vid compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization.”

39. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to any other country, including India, or where it is not possible, on any reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like article, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure-I.
40. The Authority notes that none of the interested parties have provided any information with regard to domestic price, constructed value or export price of the product from an appropriate market economy country to any other country. The Authority notes that it is required to select an appropriate country on the basis of information and evidence brought on record by the interested parties. Since neither the applicants nor the interested parties have provided any verifiable information, the normal value could not be determined on this basis.
41. In the absence of sufficient information on record regarding the other methods enshrined in Para 7 of Annexure I of the Rules, the Authority has determined the normal value by considering the method on “*any other reasonable basis*”.

42. The Authority has therefore constructed the normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and addition of reasonable profits. The constructed normal value so determined for Chinese producers/exporters is mentioned in the dumping margin table.

G.4. Export Price

G.4.1 Submissions on behalf of domestic industry

43. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to determination of export price:

- i. Baosteel Group has claimed that they do not have any offices in India. However, it is evident from the product brochure provided in the questionnaire response of Baosteel Singapore Pte Ltd., (as well as other related companies) that Baosteel Group has a presence in India in the name of 'BAOSTEEL INDIA COMPANY PRIVATE LIMITED' ('Baosteel India').
- ii. Shougang International has claimed that it does not have an office in India. However, based on internet research it is evident that Shougang International in fact has a wholly owned subsidiary in India. Shougang International not only has an office in India but also a wholly owned subsidiary 'China Shougang (India) Co., LTD.' ('Shougang India') which is responsible for providing business development, sales and services for Shougang International. Thus, the claim of Shougang International of not having any offices in India is false and incorrect.
- iii. The questionnaire responses of the following 2 companies were filed belatedly after the date prescribed by the Authority and therefore their questionnaire response should not be accepted:
 - Tak Loon Steel Company Limited
 - Baosteel India Company Pvt Ltd.
- iv. Jiangsu Shagang and Yangtze have claimed that they have exported subject goods to India through their affiliated companies in response to Question 1 of Section E of their questionnaire response. However, Yangtze has not filed Appendix 3B of questionnaire response which should contain information regarding export to India through traders.
- v. Baosteel Singapore has filed Appendix 3B with the Authority i.e., when the exports by a company are made through related/unrelated traders/exporters. However, no trader/exporter who has purchased the subject goods from Baosteel Singapore and exported the same to India has participated in the present investigation by filing a questionnaire response. Thus, the value chain for Baosteel Group remains incomplete.

- vi. Shagang International has not reported any exports to India in Appendix 1 of its questionnaire response as the rows for sales quantity and sales value of PUC exports to India has been left blank.

G.4.2 Submissions made by other interested parties

44. The following submissions were made by other interested parties with regard to determination of export price:
- i. If the Authority decides to recommend imposition of anti-dumping duty on the import of subject goods, the Authority should determine individual rate of anti-dumping duty for the cooperating producers/exporters.

G.4.3 Examination by Authority

45. Following producers and exporters from China PR have participated and filed questionnaire response. The Authority has undertaken the desk verification and examined the claims made by the producer/exporters and the domestic industry. The responses by these producers/exporters have been examined as under:

i. **Baosteel Group**

a. **Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.**

46. During the POI: Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., China PR, has sold *** MT of subject goods of invoice value *** US\$ indirectly to India through a related exporter/trader namely, Baosteel Singapore Pte Ltd., Singapore. Out of which Baosteel Singapore Pte Ltd., Singapore has directly sold *** MT to India to unrelated buyers in India, *** MT and *** MT, Baosteel Singapore Pte Ltd., Singapore has sold to India indirectly through two unrelated Cumic Steel Limited and Welong Resources Limited and rest of the quantity *** MT has been sold to India indirectly through another four unrelated exporters/traders.
47. All the producers/exporters have filed their exporters questionnaires responses with the Designated Authority except these four unrelated exporters/traders. The producers/exporters have claimed adjustments on accounts of inland transportation, port and other related expenses, bank charges and credit cost to arrive at PCN-wise export price at ex-factory level, and the same has been accepted after desk verification. The net export price so determined is shown in the dumping margin table.

b. **Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.**

48. During the POI: Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd., China PR, has sold *** MT of subject goods of invoice value *** US\$ indirectly to India through a related exporter/trader

namely, Baosteel Singapore Pte Ltd., Singapore. Out of which Baosteel Singapore Pte Ltd., Singapore has directly sold 1820 MT to India and *** MT has been sold to India by Baosteel Singapore Pte Ltd., Singapore indirectly through another unrelated exporter/trader namely, Tongyuan International (HK) Co., Limited.

49. All the producers/exporters have filed their exporters questionnaires responses with the Designated Authority except Tongyuan International (HK) Co., Limited. The producers/exporters have claimed adjustments on accounts of inland transportation, port and other related expenses, bank charges and credit cost to arrive at PCN-wise export price at ex-factory level and the same has been accepted after desk verification. The net export price so determined is shown in the dumping margin table.

c. Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

50. During the POI: Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., China PR, has sold *** MT of subject goods of invoice value *** US\$ indirectly to India through a related exporter/trader namely, Baosteel Singapore Pte Ltd., Singapore. Out of which Baosteel Singapore Pte Ltd., Singapore has directly sold *** MT to related importer Baosteel India Co. Pvt. Ltd. and *** MT to unrelated buyers in India. Rest of the quantity *** MT have been sold to India by Baosteel Singapore Pte Ltd., Singapore indirectly through another unrelated exporters/traders namely, Tongyuan International (HK) Co., Limited and JFE. Baosteel India Co. Pvt. Ltd has resold the subject goods to unrelated customers in India at profit.
51. With regard to the submission made by the domestic industry that Bao Steel Group has not disclosed the details of related Indian company, Baosteel India Co. Pvt. Ltd, the Authority notes that Baosteel India Co. Pvt. Ltd has provided the relevant information during the course of the investigation. All the producer/exporters and related importer have filed their questionnaires responses with the Designated Authority except Tongyuan International (HK) Co., Limited and JFE. The producers/exporters have claimed adjustments on accounts of inland transportation, port and other related expenses, bank charges and credit cost to arrive at PCN-wise export price at ex-factory level and the same has been accepted after desk verification. The net export price so determined is shown in the dumping margin table.

ii. Shougang Zhixin Electromagnetic Materials (Qian'an) Co., Ltd

52. Shougang Zhixin Electromagnetic Materials (Qian'an) Co., Ltd., ("Zhixin") in its questionnaire response submitted that Zhixin has exported the subject goods to India through related exporter/trader, namely, Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited ("Shougang HK"). Another related company, Shougang International Trade & Engineering Corporation ("Shougang International") is acting as commission agent and it was paid the commission fee by Zhixin for exports to India. It was also submitted that Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited has resold the subject goods to India indirectly through two unrelated

exporters/traders namely, Tak Loon Steel Company Limited and JFE Shoji (Hong Kong) Ltd.

53. However, during the verification, it was noted by the Authority that commercial invoices, custom declaration and other export related documents are issued by Shougang International to Shougang HK. No invoices were issued by Zhixin to Shougang HK directly. Since no information has been filed by Shougang International in Appendix-2 and 3B, the response submitted by Shougang International is grossly incomplete and there is suppression of facts by Zhixin and Shougang International. Accordingly, the Authority concludes not to accept the response of Zhixin & related exporters. The export price for Zhixin has been determined on the basis of facts available and the same is shown in the dumping margin table.

iii. Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

54. From the response filed by Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd. (“Zhangjiagang Yangtze”), Authority notes that it has sold the subject goods in home market to two related buyers namely, Jiangsu Shagang Group Co., Ltd (“Jiangsu Shagang”) and Zhangjiagang Free Trade Zone Binlan Trading.
55. Jiangsu Shagang Group Co., Ltd., has resold the subject goods in home market to a related exporter/trader namely, Jiangsu Shagang International Trade Co., Ltd. and other five unrelated customers. Jiangsu Shagang International Trade Co.,Ltd., has sold subject goods to India indirectly through a related exporter/trader namely, Shagang International (Singapore) Pte. Ltd. Further, Shagang International (Singapore) Pte. Ltd., has exported the subject goods to India directly and indirectly through seven unrelated exporters/traders.
56. It was also noted by the Authority that Zhangjiagang Yangtze and Jiangsu Shagang has not submitted the information with regard to exports to India in Appendix-3B. Further, Jiangsu Shagang has also not submitted information in Appendix-5 in the EQR with regard to exports to India. In order to determine the net export price, it is essential that information by producer must be submitted in Appendix-3B format. Further, trader is also required to provide exports to India details along with profitability information in Appendix-5.
57. The Authority also sought explanation from Zhangjiagang Yangtze and Jiangsu Shagang that why information in Appendix-3B/5 is not provided. However, no satisfactory answer was received from Zhangjiagang Yangtze and Jiangsu Shagang within the time limit prescribed by the Authority. Zhangjiagang Yangtze and Jiangsu Shagang later on filed some additional information after further delay of more than two months. The Authority noted that even delayed additional information provided by Zhangjiagang Yangtze and Jiangsu Shagang is not matching with the supporting documents provided. There is mismatch between the quantity/value and PCN reported.

58. Accordingly, the Authority concludes not to accept the response of Zhangjiagang Yangtze in & related exporters. The net export price for Zhangjiagang Yangtze has been determined on the basis of facts available and the same is shown in the Dumping Margin Table.

Export Price for non-cooperating producers/exporters

59. For all other producers/ exporters of China PR, export price has been determined based on facts available taking into account the data examined for the co-operating exporters and the same is mentioned in the dumping margin table below:

Dumping Margin

60. Considering the normal value and the export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject country is determined as follows:

Dumping margin table

Producer's/ exporter's name	CNV (USD/MT)	Net Export Price (USD/ MT)	Dumping margin (USD/ MT)	Dumping margin %	Dumping margin % range
Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.	***	***	***	***	55-65
Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.	***	***	***	***	60-70
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.	***	***	***	***	40-50
Weighted Average Baosteel Group	***	***	***	***	50-60
All others	***	***	***	***	75-85

H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions made by the domestic industry

61. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

- i. Domestic industry has filed the petition with the import data available with it as per market intelligence. Authority has already considered the transaction wise import data from DG System at the time of initiation of the subject investigation.
- ii. The information submitted by the domestic industry clearly demonstrates that
 - There has been a significant increase in the dumped imports of subject goods, both in absolute terms and relative to production and consumption in India.
 - The dumped imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry and causing significant price suppression and depression.
 - The economic parameters of the domestic industry have significantly deteriorated due to dumped imports of subject goods from China PR.
- iii. Grant of 22% return on capital employed is the consistent practice of the Authority. This issue has been settled by various judgments of the CESTAT. CESTAT in *Merino Panel Products Ltd. v. Designated Authority*, Final Order No. AD/A/53541/2015-CU[DB] dated 27 November 2015 had permitted the 22% rate of return on capital employed as standard practice. CESTAT had reaffirmed the same principle in *Eximcorp India Pvt. Ltd. v. Designated Authority*, Final Order No. AD/A/53462/2016-CU[DB] dated 12 September 2016.

H.2. Submissions made by the other interested parties

62. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:
- i. The import data filed by the domestic industry is incorrect, therefore, examination of volume effect and price effect may not provide a true picture.
 - ii. The imports from China PR have not caused any injury to the domestic industry during the injury investigation period.
 - iii. The Authority should adopt ROCE earned by the industry when there was no allegation of dumping as reasonable profit margin and not 22% ROCE. Providing 22% return on capital employed is old practice and should be changed.
 - iv. In the case of Bridge Stone Tyre Manufacturing & others vs. Designated Authority, where the issue of reasonableness of 22% return on capital employed adopted by the Authority has been examined shows that adoption of 22% ROCE coloured the injury determination. It has inflated the price underselling and injury margin. It is submitted that Authority should adopt the actual profit earned by the domestic industry during the period when there was no allegation of dumping as a basis for calculating reasonable return.
 - v. In case of T-210/95 European Fertilizer Manufacturer's Association (EFMA) v Council [1999] ECR II-3291, the EU Court held that the profit margin to be used by the Council

when calculating the target price that will remove the injury in question must be limited to the profit margin which the Community industry could reasonably count on under normal conditions of competition, in the absence of the dumped imports.

H.3. Examination by the Authority

63. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve an examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “..... *taking into account all the relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...*” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
64. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II to the Rules.
65. The Authority has taken note of the various submissions made by the domestic industry and the other interested parties on injury. The submissions made by interested parties with regard to injury and causal link, which have been considered relevant by the Authority are examined and addressed as under.
66. The Authority notes that it is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not show deterioration. The Authority considers all injury parameters and, thereafter, determines whether the domestic industry has suffered injury or is likely to suffer injury due to dumping. The Authority has examined the injury parameters objectively considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.

H.3.1. Volume effect of the dumped imports

a) Assessment of Demand

67. The Authority has determined the demand or the apparent consumption of the product in India, as the sum of domestic sales of the domestic producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	119	113	121
Sales of other Indian Producers	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	128	114	124
Imports from China PR	MT	9,503	40,246	42,132	99,211
<i>Trend</i>	Indexed	100	424	443	1,044
Imports from other countries	MT	29,348	25,235	18,967	20,080
<i>Trend</i>	Indexed	100	86	65	68
Total Demand	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	126	117	138

68. From the above, it can be seen that:

- The demand during the injury investigation period has increased. Demand of subject goods has increased in the POI as compared to 2020-21.
- The imports of subject goods from the subject country have increased by more than 10 times in the POI as compared to 2020-21.
- The Imports from the subject country have predominantly captured the increase in demand.

b) Import volume and share of the subject country

69. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or in relation to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied upon the transaction-wise import data from DG Systems. The import volumes of the subject goods and share of the same during the injury investigation period are as follows:

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1.	Imports from China PR	MT	9,503	40,246	42,132	99,211
	<i>Trend</i>	Indexed	100	424	443	1,044
2.	Total Imports	MT	38,851	65,481	61,099	1,19,291

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
	<i>Trend</i>	Indexed	100	169	157	307
3.	Production of the domestic industry	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	Indexed	100	128	114	124
4.	Demand	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	Indexed	100	126	117	138
5.	Subject imports in relation to					
a.	Total imports	%	24%	61%	69%	83%
	<i>Trend</i>	Indexed	100	251	282	340
b.	Production of the domestic industry	%	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	Indexed	100	331	390	841
c.	Demand	%	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	Indexed	100	335	380	756

70. From the above, it can be observed that:

- The imports of subject goods from subject country have increased in absolute terms from 2020-21 to the POI. Imports have increased consistently year on year and have increased by more than 10 times in the POI as compared to 2020-21.
- Share of imports of subject goods from subject country in total imports has increased from 24% in 2020-21 to 83% in the POI.
- Share of imports of subject goods from subject country in relation to demand has also increased from 100 indexed points in 2020-21 to 756 indexed points in the POI.
- Demand of the subject goods has increased by *** MT (38%) in the POI as compared to 2020-21 whereas sales of the domestic industry have increased by only *** MT (21%) during the same period. This shows that majority of the increase in demand has been captured by dumped imports of subject goods from China PR.
- Share of imports of subject goods from subject country in relation to production of domestic industry has increased from 100 indexed points in 2020-21 to 841 indexed points in the POI.

H.3.2. Price effect of the dumped imports

71. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course.

72. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country has been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of sales and the net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of the subject imports from the subject country.

a) Price undercutting

73. The price undercutting during the POI is noted below:

Particulars	UOM	Price Undercutting
Landed Price	Rs/MT	73,768
Net Sales Realization	Rs/MT	***
Price Undercutting	Rs/MT	***
Price Undercutting	%	***
Range	Range	5-15%

74. The Authority notes that the landed price of subject imports in the POI is below the selling price of the domestic industry and is undercutting the prices of the domestic industry.

b) Price suppression / depression

75. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress domestic prices to a significant degree or prevent increases in domestic prices which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority notes the changes in the costs and prices over the injury period.

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	163	165	141
Net Sales Realisation	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	162	156	130
Landed Price	Rs/MT	54,872	1,10,973	93,757	73,768
<i>Trend</i>	Index	100	202	171	134

76. The Authority notes that the landed price of imports of subject goods from the subject country during the POI and 2022-23 was well below the cost of sales of the domestic industry. This has created significant price suppression effect on the domestic industry. The cost of sales of the domestic industry has increased by 41 indexed points in the POI as

compared to 2020-21 whereas selling price of the domestic industry has increased only by 30 indexed points during the same period due to the price pressure exerted by the dumped imports from China PR.

H.3.3. Economic parameters pertaining to the domestic industry

77. Annexure - II of the Rules lays down that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of such products. The Rules further provide for an objective evaluation of all relevant economic parameters and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity: factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a) Capacity, production, capacity utilization and domestic sales

78. The details of capacity, production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry over the injury period are as under:

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Installed Capacity	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	100	100	100
Production (PUC)	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	128	114	124
Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	128	114	124
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	119	113	121

79. The Authority notes as follows:

- Production, capacity utilisation and domestic sales of the domestic industry have increased in the POI as compared to 2020-21 owing to increase in demand during the same period. However, the increase in production and domestic sales is lower than the increase in demand of subject goods.
- Capacity utilisation of the domestic industry has remained low during the injury investigation period despite significant increase in demand.

b) Market Share

80. Information with respect to market share over the injury period is as under:

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Imports from China PR	MT	9,503	40,246	42,132	99,211
<i>Trend</i>	Indexed	100	424	443	1,044
Imports from other countries	MT	29,348	25,235	18,967	20,080
<i>Trend</i>	Indexed	100	86	65	68
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	119	113	121
Total Demand	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	126	117	138
Market Share of Domestic Industry	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	94	96	88
Market Share of Imports from China PR	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	335	380	757

81. From the above, it can be seen that:

- i. Imports have increased consistently year on year and have increased by more than 10 times in the POI as compared to 2020-21.
- ii. Share of imports of subject goods from subject country in relation to demand has also increased from 100 indexed points in 2020-21 to 757 indexed points in the POI.
- iii. Market share of domestic industry has declined from 100 indexed points in 2020-21 to 88 indexed points in the POI.
- iv. Demand of the subject goods has increased by *** MT (38%) in the POI as compared to 2020-21 whereas sales of the domestic industry have increased by only *** MT (21%) during the same period. This shows that majority of the increase in demand has been captured by dumped imports of subject goods from China PR.

c) Profitability, Cash profits and return on investments

82. Information with respect to profitability, return on investment and cash profits during the injury period is as under:

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
-------------	-----	---------	---------	---------	-----

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Profit before Tax	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	148	(35)	(105)
Profit before Tax	Rs Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	175	(40)	(127)
Profit before interest & tax	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	169	34	(11)
Profit before interest & tax	Rs Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	201	38	(14)
Cash Profit	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	110	46	13
Cash Profit	Rs Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	130	52	16
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	182	35	(13)

83. From the above, it can be observed that:

- i. The domestic industry was earning profit in 2020-21 and 2021-22 when imports from China PR were coming in small quantities. However, the domestic industry started incurring losses in 2022-23 and the losses increased significantly in the POI when imports from China PR increased in significant quantities.
- ii. Profit before interest and tax of the domestic industry has declined and domestic industry has incurred losses in the POI.
- iii. Cash profit per MT of the domestic industry has declined from 100 indexed points in 2020-21 to 16 indexed points in the POI.
- iv. Return on capital employed of the domestic industry has declined and has become negative in the POI.

d) Inventory

84. Information with respect to inventory over the injury period is as under:

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	50	82	83
Closing Inventory	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	164	164	206

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	50	82	83
Closing Inventory	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	164	164	206
Average Inventory	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	88	110	123

85. The Authority notes that the inventory of the domestic industry has declined in 2021-22 and has thereafter increased in 2022-23 and the POI.

e) Productivity, employment and wages

86. Information with respect to productivity, employment and wages over the injury period is as under:

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1.	Productivity Per day	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	Indexed	100	128	114	124
2.	Productivity per employee	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	Indexed	100	126	114	125
3.	No of employees	Nos.	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	Indexed	100	101	100	99

87. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has increased to some extent during the injury investigation period owing to increase in demand during the same period.

f) Growth

88. Information with respect to year-on-year growth over the injury period is as under:

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	POI
Production	%	28%	-11%	9%
Domestic Sales	%	19%	-5%	8%
PBT (Per Unit)	%	48%	-124%	-198%
PBIT (Per Unit)	%	69%	-80%	-133%
Cash Profit (Per Unit)	%	10%	-58%	-72%

ROI	%	6%	-11%	-4%
Market Share of DI in Demand	%	-2%	0%	-3%

89. The Authority notes that the domestic industry has witnessed negative growth year on year in terms of profitability, cash profit, ROI and market share.

g) Factors affecting domestic prices

90. The examination of the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of imported material from the subject country is below the selling price of the domestic industry, causing price undercutting. The price undercutting has led to price suppression in the Indian market. The demand for the subject goods increased over the injury period and therefore it could not have been a factor affecting domestic prices. Therefore, the imports from the subject country are impacting the prices of the domestic industry.

h) Ability to raise capital investments

91. The Authority notes that the ability of the domestic industry to raise any further capital investment is significantly curtailed owing to the dumped imports of subject goods into India. The domestic industry is already incurring losses, and the domestic industry is not in a position to raise further capital investments.

i) Magnitude of dumping margin

92. It is seen that the dumping margin is above *de minimis* level and is significant.

H.4. THREAT OF MATERIAL INJURY

H.4.1. Submissions made by the other interested parties

93. The other interested parties have not made any submissions with regard to threat of material injury.

H.4.2. Submissions made by the domestic industry

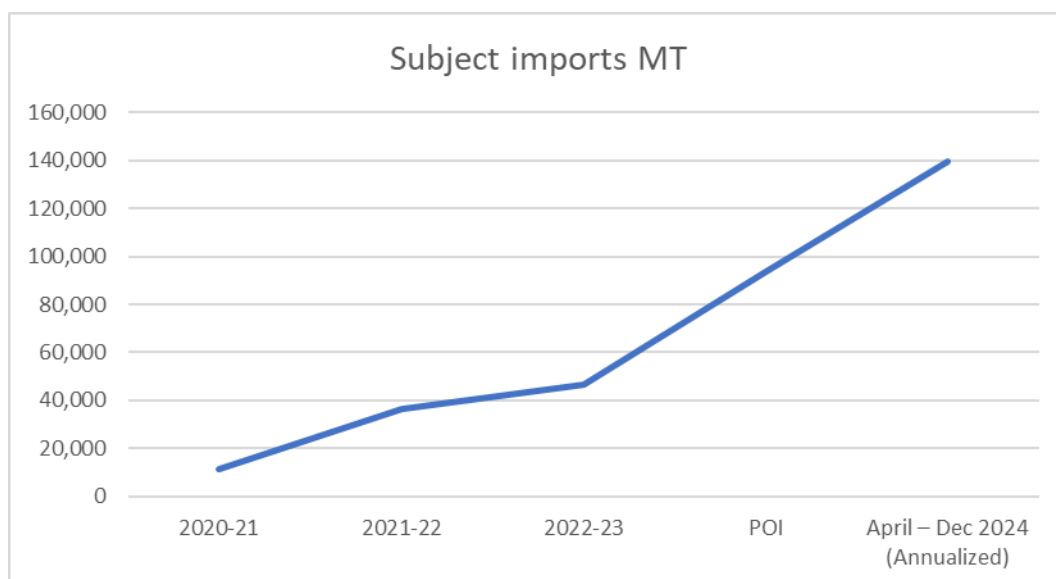
94. The domestic industry has made following submissions with regard to threat of material injury:

i. Subject imports have continuously increased after the period of investigation also:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI	April-December 2024 (Annualised)
Quantity	MT	11,081	36,500	46,350	93,634	139,820
	Indexed	100	329	418	845	1262
CIF Price	Rs/MT	49,397	109,241	81,582	68,150	64,278
	Indexed	100	221	165	138	130

- ii. Imports have increased from 93,634 MT in the POI to 1,39,820 MT in the post-POI period of April-Dec 2024 (Annualized). Steep increase in imports is evident from the below graph:

iii. I



the post POI period have increased by more than 12 times as compared to the imports in the base years of 2020-21.

- iv. The average import price from China PR has further declined in the post POI period as can be seen in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI	Post-POI (Annualised)
-------------	------	---------	---------	---------	-----	-----------------------

CIF price	Rs/MT	49,397	109,241	81,582	68,150	64,278
	Indexed	100	221	165	138	130

- v. The import price declined significantly in the POI as compared to 2021-22 and 2022-23. The import price has further declined in the post POI period. The quarter wise decline in post POI period is noted as follows:

Particulars	UoM	April 2024 to June 2024	July 2024 to September 2024	October 2024 to December 2024
CIF price	Rs/MT	66,127	65,114	63,000

- vi. The consistent reduction in import price highlights the aggressive pricing strategies being employed by exporters from China PR, exerting significant pressure on the domestic industry's ability to compete in the market.
- vii. The production capacity of subject goods in China PR has increased consistently over the last few years as tabulated below and the same is evidenced by the Report titled 'China's CRNGO Steel: An Industry Overview' of CUMIC Steel Limited:

Particulars	MT	2020	2021	2022	2023	2025/2026 (Projected)
Total Capacity in China PR	Million Tons	12.6	13.1	13.6	13.6	14.5 /16
	Index	100	104	108	108	115/127

- viii. The total capacity of CRNO in China PR is approximately 20 times the total Indian demand.
- ix. A number of countries have imposed trade remedy measures against exports of subject goods from China PR. The details of trade remedy measures imposed and currently in force against exports from China PR are given below:

Importing Country	Exporting Country	Product	Type of Measure	Rate of Duty (China PR)
Brazil	China PR, Taiwan and	Non-oriented silicon steel	Anti-dumping	90 - 166.32%

Importing Country	Exporting Country	Product	Type of Measure	Rate of Duty (China PR)
	Korea RP			
United States	China PR, Sweden, Korea RP, Taiwan, Japan, Germany	Non-oriented electrical steel	Anti-dumping & Countervailing duty	158.88% (CVD) 407.52% (AD)
European Union	China PR	CRNO	Safeguard	25% exceeding quota
United States	China PR	CRNO	Section 232	25%
United States	China PR	CRNO	Section 301	25%

H.4.3. Examination by the Authority

95. Para. (vii) of Annexure II of the Anti-dumping Rules provides as follows:

(vii) A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create a situation in which the dumping would cause injury must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the designated authority shall consider, inter alia, such factors as:

(a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;

(b) sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;

(c) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and

(d) inventories of the article being investigated.

96. The Authority notes that for assessment of threat of material injury, Authority considers factors such as rate of increase of dumped imports into India, freely disposable capacity in subject country, increase in capacity in subject country, trend of import prices from subject country, inventory of PUC with producers/exporters in subject country. The Authority notes that it can also examine any other factor in addition the above factors for assessment of threat of material injury to the domestic industry.

a) Significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation

97. The import data in the table below shows that imports from China PR have increased significantly from 9,503 MT to 99,211 MT in the POI.

Imports	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
China PR	MT	9,503	40,246	42,132	99,211
<i>Trend</i>	Index	100	424	443	1,044
Demand	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	126	117	138

98. The Authority notes that imports from China PR have increased consistently and significantly during the injury investigation period. Imports from China PR increased by more than 10 times in the POI as compared to 2020-21. The domestic industry has furnished information for the post-POI period. However, the examination of the Authority is restricted to the POI only.

99. The Authority notes that comparison of trend in imports from China PR with the trend in demand shows that the rate of increase in imports is significantly higher than the rate of increase in demand during the injury investigation period.

b) Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports

100. Information submitted by participating producers/exporters shows that capacity available with the producers/exporters in China PR is higher than the domestic demand in China PR.

Producer/Exporter from China PR	Particulars (in index points)	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Baoshan Iron & Steel Company Limited	Installed Capacity	100	100	140	152
	Capacity Utilisation	100	93	88	87
	Export Sales to India	100	88	731	393
Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.	Installed Capacity	100	100	100	100
	Capacity Utilisation	100	94	98	100
	Export Sales to India	100	40	272	376
Baosteel Singapore Pte Ltd.	Export Sales to India	100	47	316	735
Shougang Zhixin Electromagnetic Materials (Qian'an) Co., Ltd.	Installed Capacity	100	99	115	121
	Capacity Utilisation	100	99	93	91
	Export Sales to India	100	1,830	1,534	1,105
Shougang Holding Trade Hong Kong Limited	Export Sales to India	100	1430	1,391	1339
Shagang International Trade Co. Ltd	Export Sales to India	-	-	100	150
Cumic Steel Limited	Export Sales to India	-	100	341	385
Welong Resources Limited	Export Sales to India	-	-	100	377

101. The Authority notes that the examination of information provided by participating producers/exporters from China PR shows that producers/exporters have sufficient freely disposable capacity of subject goods and/or have increased their capacity and export sales to India during the injury investigation period.

102. Thus, Authority concludes that there is sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity with the Chinese producers indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets

c) Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports

103. The Authority notes that landed price of imports from the subject country during the injury investigation period is well below the cost of sales and selling price of the domestic industry except in 2021-22. This is creating significant price depression/suppression effect on the domestic industry.

H.5. CAUSAL LINK AND NON – ATTRIBUTION ANALYSIS

H.5.1. Submissions made by the domestic industry

104. The domestic industry has made following submission with regard to causal link:

- a. Imports from subject country constitute majority of the total imports into India. Barring imports from the subject country, imports from other countries are either in low volumes and/or at higher prices. Therefore, imports from other countries cannot be a cause of injury to the domestic industry.
- b. Interested parties have not identified any other causes of injury to the domestic industry.

H.5.2. Submissions made by the other interested parties

105. The other interested parties have not made any submissions with regard to causal link.

H.5.3. Examination by the Authority

106. As per the AD Rules, 1995, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are causing injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance

and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

a) Volume and price of imports from third countries

107. The Authority notes that the imports of the product under consideration from non-subject countries are not in significant quantity. Also, the price at which imports of the PUC were made from non-subject countries is significantly higher than price of the subject country.

108. Apart from China PR, imports of subject goods from Japan and Korea RP are above de-minimis level. However, landed price of subject goods from Japan and Korea RP is much higher than landed price from China PR as can be seen from below table:

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
China PR	Rs/MT	54,872	1,10,973	93,757	73,768
Japan	Rs/MT	84,814	1,19,951	1,37,372	96,635
Korea RP	Rs/MT	85,981	1,15,241	1,11,634	1,13,014

b) Contraction in Demand

109. There has been constant increase in the demand of the product concerned throughout the injury period. Therefore, contraction in demand cannot be a cause of injury to the domestic industry.

c) Export Performance and Captive Consumption

110. The Authority has considered the data for domestic operations only for its injury analysis. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market.

d) Development of Technology

111. There has been no change in technology which can cause injury to the domestic industry.

e) Performance of other products of the company

112. The Authority has only considered information related to the PUC for the purpose of injury analysis.

f) Trade Restrictive Practices and Competition between the Foreign and Domestic producers

113. There are no trade restrictive practices that can be considered reason to the material injury suffered by the domestic industry.

g) Changes in pattern of consumption

114. The pattern of consumption in India has not changed with respect to the PUC.

H.6. CONCLUSION ON INJURY AND CAUSAL LINK

115. Analysis of the information shows existence of material injury and threat of further aggravated material injury to the domestic industry. The causal link between dumped imports and injury is also established. The Authority concludes that:

- i. The imports of subject goods from the subject country have increased by more than 10 times in the POI as compared to 2020-21. Share of imports of subject goods from subject country in relation to demand has also increased from 100 indexed points in 2020-21 to 757 indexed points in the POI. Share of imports of subject goods from subject country in relation to production of domestic industry has increased from 100 indexed points in 2020-21 to 841 indexed points in the POI.
- ii. Landed price of imports of subject goods from the subject country in the POI is below the selling price of the domestic industry and is undercutting the prices of the domestic industry.
- iii. Landed price of imports of subject goods from the subject country during the POI and 2022-23 was well below the cost of sales of the domestic industry. This has created significant price suppression effect on the domestic industry.
- iv. Capacity utilisation of the domestic industry has remained low during the injury investigation period despite significant increase in demand.
- v. Market share of domestic industry has declined from 100 indexed points in 2020- 21 to 88 indexed points in the POI.

- vi. The domestic industry started incurring losses in 2022-23 and the losses increased significantly in the POI when imports from China PR increased in significant quantities.
- vii. Return on capital employed of the domestic industry has declined and has become negative in the POI.
- viii. The domestic industry has witnessed negative growth year on year in terms of profitability, cash profit, ROI and market share.
- ix. The domestic industry has suffered material injury as a result of dumped imports from China PR.
- x. Capacity available with the producers/exporters in China PR is higher than the domestic demand in China PR.
- xi. Information submitted by cooperating producers/exporters shows that producers/exporters have sufficient freely disposable capacity of subject goods and/or have increased their capacity and export sales to India during the injury investigation period.
- xii. There is also threat of further aggravated injury to the domestic industry if anti-dumping duty is not imposed on imports of subject goods from China PR.
- xiii. No other factor appears to have caused injury to the domestic industry. The Authority concludes that the injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject country.
- xiv. The injury margin from subject country is not only positive but significant.

116. The above analysis indicates that the domestic industry is suffering material injury as well as threat of further aggravated material injury due to increased dumped imports of the product under consideration into India from the subject country. There exists a causal relation between the increase in dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject country and the material injury suffered by the domestic industry.

H.7. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

117. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under

consideration has been determined by adopting the information/data relating to the duly verified cost of production provided by the domestic industry for the POI. The NIP has been compared with the landed price of subject goods from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the Rules.

118. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as determined by the Authority is provided in the table below:

Injury Margin Table

Producer's/ exporter's name	NIP/MT (US\$)	Landed Value/MT (US\$)	Injury margin/MT (US\$)	Injury margin %	Injury margin % range
M/s Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.	***	***	***	***	25-35
M/s Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.	***	***	***	***	30-40
M/s Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.	***	***	***	***	10-20
Weighted Average Baosteel Group	***	***	***	***	20-30
All others	***	***	***	***	45-55

I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

I.1. Submissions made by the domestic industry

119. The domestic industry has made following submissions with regard to public interest issues:

- None of the importers/users in India have filed importers/users questionnaire response and/or provided any quantifiable impact of anti-dumping duty on them by filing economic interest questionnaire. This itself shows that imposition of anti-dumping duty on PUC has no material bearing on their business.

- ii. Domestic industry has provided calculation showing that the impact of imposition of anti-dumping duty on various user industries will be minimal as follows:

Particulars	UOM	Transformers (Invertor)	Pumps (Submersible- 1HP)	Automobiles (Magneto-Pulsar 200RS)	Home Appliances (1T AC compressor)	Home Appliances (BLDC Fan)
Landed Price of CRNO	Rs/MT	73,772	73,772	73,772	73,772	73,772
Grade Considered		50C470	50C1000	50C700	35C360	50C1000
Landed Price of CRNO for Product Grade	Rs/MT	***	***	***	***	***
Anti-dumping Duty @10%	Rs/MT	***	***	***	***	***
Consumption Norms of CRNO in Final Product	MT/No	***	***	***	***	***
Selling Price of Final Product	Rs	***	***	***	***	***
Impact on Final Product Cost due to Anti-dumping duty	Rs/No	***	***	***	***	***
Impact on Final Product Price due to Anti-dumping duty	%	***	***	***	***	***
Range	%	0-1%	0-1%	0-1%	0-1%	0-1%

I.2. Submissions made by other interested parties

120. The other interested parties have made following submissions with regard to public interest issues:

- i. Consumers will have to import even with the addition of duties to ensure constant availability of goods for which an exorbitant price will be charged by the domestic producers.
- ii. The domestic industry lacks adequate quality required by the downstream users of the subject goods in India, thereby necessitating imports.
- iii. If duties are imposed, it will adversely affect downstream producers and lead to inability to source the subject goods with good product quality, lead times, and impact the ability of downstream producers to meet the customer's demands.

I.3. Examination by the Authority

121. The Authority issued a gazette notification inviting views on the subject anti-dumping investigation from all the interested parties, including importers, users and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the importers/users to provide relevant information with regard to the present investigation, including possible effect of anti-dumping duty on their operations. The Authority sought information on *inter-alia*, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the consumers to switch sources, effect of anti-dumping duty on the users etc.
122. The Authority notes that the purpose of imposition of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject country in any way. Trade remedial investigations are intended to restore equal competitive opportunities in the domestic market by ensuring a level playing field for domestic producers by the imposition of appropriate duties against trade distorting imports. At the same time, the Authority is aware that the impact of such duties is not limited to only the domestic producers of the PUC but also affects the users and consumers of the PUC.
123. The opposing interested parties have not provided any quantifiable and/or verifiable information on the likely impact of anti-dumping duty on the downstream industry and end customers. However, the domestic industry has submitted quantifiable and verifiable information on the impact of duty to end consumers. On an average for different end users, the impact is ranging from 0-1%.
124. The Authority notes that the volume of imports from the subject country has increased significantly in the POI. The increase in imports from the subject country has adversely impacted the market share of the domestic industry. Further, it is also noted that the Indian

Industry hold sufficient capacity to meet the demand in the country and there is no demand supply gap. It is also in the interest of the user industry to have sources of supply of subject goods within the Indian territory for prompt and short-term delivery of the subject goods. It is also in the long-term interest of the user industry to maintain multiple sources of supply.

J. POST DISCLOSURE COMMENTS

J.1. Submissions made by the domestic industry

125. The domestic industry has made the following post disclosure submissions:

- i. The Authority has rightly noted the scope of PUC in the disclosure statement.
- ii. The Authority has rightly noted that the domestic industry has requisite standing and is eligible to constitute as domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules.
- iii. The observation of the Authority that questionnaire response filed by Shougang Group and Shagang Group is deficient and individual rate of anti-dumping duty should not be determined for them is based on correct factual and legal considerations.
- iv. The Authority has not examined the claim of domestic industry regarding delay in filing questionnaire response by Baosteel India Company Pvt Ltd. Domestic industry notes that absence of timely filing of questionnaire response by related entity should result in rejection of questionnaire response of all related entities and no individual rate of anti-dumping duty should be determined for Baosteel group. The Authority should at-least apply adverse facts available for quantity purchased and resold by Baosteel India Company Pvt Ltd.
- v. Domestic industry is in agreement with the Authority with regard to the determination of dumping margin and injury margin for producers/exporters from China PR subject to the objection noted regarding acceptance of questionnaire response of Baosteel India Company Private Ltd.
- vi. The observation of the Authority regarding increase in imports from China PR, decline in market share of domestic industry, decline in profitability of domestic industry, price undercutting and price suppression due to imports from China PR, increase in capacity in China PR, existence of freely disposable capacity in China PR clearly indicates that domestic industry is suffering material injury.
- vii. Examination of the Authority regarding causal link between imports from China PR and injury to the domestic industry is based on correct factual and legal

considerations. The Authority has rightly observed that other factors have not caused injury to the domestic industry.

- viii. The only possible conclusion based on observations of the Authority is that the domestic industry is suffering material injury due to dumped imports from China PR and there is a causal link between dumping and injury.
- ix. The Authority has correctly examined the threat of material injury to the domestic industry and proposed conclusion of the Authority regarding threat of material injury is based on correct factual and legal considerations.
- x. The Authority has correctly examined the impact of anti-dumping duty on users/downstream industry.
- xi. The determination of non-injurious price of the domestic industry is based on correct factual and legal considerations.
- xii. The Authority should confirm the proposed conclusion regarding scope of PUC, standing of domestic industry, dumping margin and injury margin, material injury to the domestic industry, causal link between imports and injury to the domestic industry, threat of material injury and negligible impact of anti-dumping duty on importers and users in the final findings as well.
- xiii. The Authority should provide opportunity to the domestic industry to provide its comments if there is any change in the essential facts disclosed in the disclosure statement.

J.2. Submissions made by other parties

126. The other interested parties have made following post disclosure submissions:

- i. Authority has determined export price and landed value for Baosteel group as per the information provided by Baosteel group but the export price and landed value is understated by 12% and 2%, respectively.
- ii. Shagang Group has provided all information in a timely manner and has extended full cooperating to the Authority. Non-filing of Appendix 3B by producer Yangtze River is excusable because it is not due to non-cooperation but due to lack of visibility about exports to India and nature of record maintenance.
- iii. Shagang voluntarily undertook a complex disaggregation exercise based on the FIFO method, and manually reconstructed the sales flows from domestic sales to final export to India.

- iv. Mismatch, if any, in PCN or quantity regarding exports to India at the time of verification can be attributed to the nature of the manual disaggregation exercise.
- v. The Authority's proposal to disregard Yangtze River's response entirely is excessive and disproportionate.
- vi. Export structure involving Zhixin, Shougang International (sales agent), and Shougang HK (exporter) has been fully and transparently disclosed during the investigation.
- vii. The rejection of the responses on the grounds that Shougang International did not submit Appendices 2 and 3B overlooks the core fact that Shougang International did not acquire ownership of the subject goods, nor did it act as an exporter or trader in commercial terms. It merely issued documentation as a sales agent under instructions from the producer, and its commission was properly reported in the producer's Appendix 3B.
- viii. Authority should reconsider its position and accept the responses filed by Shougang Zhixin and its related entities and grant individual rate of duty.

J.3. Examination by the Authority

127. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties. It is observed that the majority of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and are therefore, addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. For the sake of brevity, the Authority has refrained from repeating responses to such issues in this post-disclosure examination. However, any new issues raised for the first time in the post-disclosure submissions, as well as those previously addressed but deemed necessary to examine further are addressed hereunder.
128. With regard to the submission that there was delay in filing questionnaire response by Baosteel India Company Pvt Ltd., the Authority notes that there is limited impact of questionnaire response of Baosteel India Company Pvt Ltd. on the overall data of Baosteel group. Authority also notes that minor delay in filing of questionnaire response by one of the related entity does not prejudice the information provided in the questionnaire response of Baosteel group.
129. With regard to the submission that Shagang Group has provided all information in a timely manner and has extended full cooperating to the Authority and non-filing of Appendix 3B by producer Yangtze River is excusable, Authority notes that producer/exporter is required to provide information as per prescribed format. Authority cannot conclusively determine the ex-factory export price of producer if information is not provided in Appendix 3B. The

Authority also notes that information regarding profitability of trader is also required to be provided in Appendix 5 for determination of export price. Authority cannot determine ex-factory export price for producer without this information. Thus, non-submission of information in Appendix 3-B by the producer and in Appendix 5 by the trader means that the producers/exporters have not provided necessary information and in such case the Authority is required to apply facts available.

130. Moreover, with respect to Shagang Group, the Authority notes that the quantity and value reported in the questionnaire response is not reconcilable and/or verifiable with the supporting documents provided during verification. Also, the PCNs reported in Appendix 3B and 4A are inaccurate and not reflective of the PCN prescribed by the Authority.
131. With regard to the submission that Shougang International acted only as sales agent, issued documentation at the instruction of producer and did not acquire ownership of goods, the Authority notes that Shougang International cannot be considered as 'sales agent' if it is issuing commercial invoices, custom declaration and other export related documents to Shougang HK. If Authority permits absence of information from Shougang International on the ground that it is 'sales agent' then in all cases the trader involved in exports to India can claim that it has acted as 'sales agent' and therefore there is no need to provide information as per Appendix 2 and Appendix 3B.
132. With regard to the submission that ex-factory export price and landed value of Baosteel group is understated, the Authority notes that it has determined ex-factory export price and landed value after considering facts available for export quantity exported through non-cooperating traders/exporters, namely, Tongyuan International (HK) Co., Limited and JFE.

K. CONCLUSION

133. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of above analysis of the dumping, injury and causal link, the Authority concludes as follows:
 - i. The product under consideration is Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel (CRNO). It includes cold-rolled flat steel products of silicon-electrical steel, whether or not in coils, regardless of width and thickness. CRNO is also referred to as Non-Oriented Electrical Steel (NOES), Non-Grain Oriented Steel (NGO), Non-Oriented Steel (NO), Cold-Rolled Non-Grain Oriented Steel (CRNGO) etc. These terms are used interchangeably. It includes all kinds of CRNO whether or not it is coated (e.g., with enamel, varnish, natural oxide surface, phosphate surface, or chemically treated with other materials).

- ii. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are like articles in terms of the Rules.
- iii. The applicant companies constitute 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
- iv. The dumping margin from subject country is not only positive but also significant
- v. The imports of subject goods from the subject country have increased by more than 10 times in the POI as compared to 2020-21. Share of imports of subject goods from subject country in relation to demand has also increased from 100 indexed points in 2020-21 to 757 indexed points in the POI. Share of imports of subject goods from subject country in relation to production of domestic industry has increased from 100 indexed points in 2020-21 to 841 indexed points in the POI.
- vi. Landed price of subject goods in the POI is below the selling price of the domestic industry and is undercutting the prices of the domestic industry.
- vii. Landed price of imports of subject goods from the subject country during the POI and 2022-23 was well below the cost of sales of the domestic industry. This has created significant price suppression effect on the domestic industry.
- viii. Capacity utilisation of the domestic industry has remained low during the injury investigation period despite significant increase in demand.
- ix. Market share of domestic industry has declined from 100 indexed points in 2020- 21 to 88 indexed points in the POI.
- x. The domestic industry started incurring losses in 2022-23 and the losses increased significantly in the POI when imports from China PR increased in significant quantities.
- xi. Return on capital employed of the domestic industry has declined and has become negative in the POI.
- xii. The domestic industry has witnessed negative growth year on year in terms of profitability, cash profit, ROI and market share.

- xiii. The domestic industry has suffered material injury as a result of dumped imports from China PR.
- xiv. Capacity available with the producers/exporters in China PR is higher than the domestic demand in China PR.
- xv. Information submitted by cooperating producers/exporters shows that producers/exporters have sufficient freely disposable capacity of subject goods and/or have increased their capacity and export sales to India during the injury investigation period.
- xvi. There is also threat of further aggravated injury to the domestic industry if anti-dumping duty is not imposed on imports of subject goods from China PR.
- xvii. No other factor appears to have caused injury to the domestic industry. The Authority concludes that the injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject country.
- xviii. The injury margin from subject country is not only positive but significant.
- xix. None of the importers/users have provided any quantifiable and/or verifiable information on the likely impact of anti-dumping duty on the downstream industry and end customers.
- xx. Quantifiable and verifiable information submitted by domestic industry shows that impact of anti-dumping duty is negligible.
- xxi. It is noted with regard to public interest that anti-dumping duty will have negligible impact on the downstream products. Also, the anti-dumping duty does not restrict imports but only ensures that the imports enter the market at fair prices.

134. In view of the above, the Authority, finds that there is sufficient evidence that the product under consideration has been exported to India from the subject country at dumped prices and such dumping of the subject product from the subject country has caused material injury to the domestic industry.

L. RECOMMENDATION

135. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, embassy of the subject country, exporters, importers and the other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link.
136. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping of the subject goods from subject country and the consequent injury to the domestic industry. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder for a period of five (5) years.
137. Having regard to the provision contained in Rule 4(d) and Rule 17(1)(b) of the Rules, the Authority recommends imposition of the anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table below is recommended to be imposed for five (5) years from the date of the notification to be issued by the Central Government, on imports of the subject goods described at column 3 of the duty table originating in or exported from China PR.

Duty Table

SN	Heading/ subheading	Description of the goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	UOM	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7210, 7225 and 7226*	Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel**	China PR	Any Country including China PR	Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.	223.82	MT	USD
2.	-do-	-do-	China PR	Any Country including China PR	Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.	223.82	MT	USD
3.	-do-	-do-	China PR	Any Country including China PR	Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.	223.82	MT	USD
4.	-do-	-do-	China PR	Any Country including China PR	Any producer other than SN 1, 2 and 3	414.92	MT	USD
5.	-do-	-do-	Any	China PR	Any	414.92	MT	USD

			country other than China PR					
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

**The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.*

*** Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel (CRNO) includes cold-rolled flat steel products of silicon-electrical steel, whether or not in coils, regardless of width and thickness. Cold Rolled Full Hard Silicon Electrical Steel (CRFH) used for manufacturing of CRNO is excluded from the scope of PUC.*

138. The landed value of imports for the purpose of this notification shall be assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under Sections 3, 8B, 9, 9A of the said Act.

M. FURTHER PROCEDURE

139. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority